जनवरी, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover ii

**प्रस्तावित संपादक-मंडल**

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

---

**सहायक संपादक** : श्री पुण्डरीक शर्मा

**उप-संपादक** : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

**परामर्शदाता** : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

---

**ISSN- 2457-0486**

**कीमत : डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

**© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (पी. डी)-1-2019 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2019 अंक - 1

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य प्रकाशन

(2019) 1 दा. नि. प.

**विधि साहित्य प्रकाशन**

**विधायी विभाग**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**Online selling of law Patrikas/Books is available on Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product**

---

**विक्रय कार्यालय** : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

# संपादकीय

समाज के रख-रखाव के लिए दोषियों को दंडित किया जाना समाज के लिए बहुत आवश्यक है किन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड न भोगना पड़े । बहुत से ऐसे मामले हमें दिखाई देते हैं जिनमें शिकायतकर्ता पक्ष अपनी स्थिति का दुरूपयोग करता है और निर्दोष व्यक्तियों को अकारण ही मुकदमेबाजी में फंसा लेता है । किसी अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए उस धारा के समस्त अवयवों का समाधान होना आवश्यक है जिस पर न्यायालयों को बड़ी सतर्कता के साथ कार्य करना होता है । कभी-कभी ऐसा भी पाया जाता है कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध रखे गए अपराध-जन्य साक्ष्य का स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया जाता जो कि उसका विधिक अधिकार है । जब अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने विरुद्ध रखे गए साक्ष्य का जिस प्रकार भी स्पष्टीकरण देता है, उससे न्यायालय को सम्पूर्ण घटनाक्रम को समझने और साक्ष्य की संवीक्षा करने में आसानी हो जाती है और अभियोजन तथा प्रतिरक्षा दोनों ही पक्षों के प्रति न्याय की संभावना बढ़ जाती है । इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस अंक में **प्राणबन्धु प्रधान** उर्फ **जबड़ू और एक अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 17 वाला मामला प्रकाशित किया जा रहा है ।

देश में नारी उत्पीड़न और दहेज-मृत्यु एक गंभीर समस्या है । नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की तारीख 16 जनवरी, 2013 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में अन्य पड़ोसी देशों की अपेक्षाकृत दहेज-मृत्यु के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं जिनकी संख्या 8391 है जिसमें 100,000 महिलाओं पर 1.4 महिलाओं की मृत्यु इसी कारण हुई है । वर्ष 1999 से लेकर 2016 तक की गई महिलाओं की हत्याओं में 40 से 50 प्रतिशत मामले दहेज-मृत्यु से संबंधित हैं । **बादल बिस्वास और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 42 वाला मामला दहेज-मृत्यु की घटना के लिए एक अच्छा उदाहरण है ।

अभियुक्त पर आरोप सिद्ध करने के लिए, निःसंदेह, अभियोजन पक्ष का कर्तव्य अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है किन्तु कभी-कभी

स्थिति ऐसी बन जाती है कि अभियोजन पक्षकथन का समर्थन प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके अपने ही साक्ष्य से हो जाता है । ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य एक अकाट्य साक्ष्य की श्रेणी में आ जाता है । घटनास्थल पर अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी के कार्यस्थल पर शिकायतकर्ता पक्ष की मौजूदगी प्रतिरक्षा साक्ष्य से ही साबित हो जाना अभियोजन पक्ष के लिए सहायक बन जाता है और ऐसी स्थिति में अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित बन जाती है । इस स्थिति को **निताई पोद्दार और एक अन्य** बनाम **त्रिपुरा राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 92 वाले मामले में उल्लिखित किया गया है । साथ ही इस मामले में न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया है कि यदि अभियुक्त की शारीरिक स्थिति नाजुक है और वह रोगग्रस्त भी है तब दंड अभिनिर्धारित करते समय उसके साथ रियायत बरती जा सकती है ।

इस अंक में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को भी प्रकाशित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करे और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

**असलम खान**
संपादक

## उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2019

### निर्णय-सूची


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| निताई पोद्दार और एक अन्य **बनाम** त्रिपुरा राज्य | 92 |
| प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और एक अन्य **बनाम** उड़ीसा राज्य | 17 |
| बन्नारेड्डी और अन्य **बनाम** कर्नाटक राज्य और अन्य | 1 |
| बादल बिस्वास और एक अन्य **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य | 42 |
| भरत साउ **बनाम** बिहार राज्य | 103 |
| लुमेश राम साहू **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य | 77 |
| हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** मदन सिंह | 121 |


### संसद् के अधिनियम


| | |
|---|---|
| प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ | 1 - 20 |

## विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

## दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 53 – दंड की मात्रा – अभियुक्तों द्वारा एक मास का कारावास भोगा जाना – दोनों अभियुक्तों का निर्धन होना जिनमें से एक अभियुक्त का रोगग्रस्त पाया जाना – दोनों अभियुक्तों ने एक मास का कारावास भोगा है और एक अभियुक्त गंभीर रूप से बीमार भी है, अतः कारावास की अवधि कम करते हुए जुर्माने की रकम बढ़ाना न्यायोचित है ।

**निताई पोद्दार और एक अन्य** बनाम **त्रिपुरा राज्य** 92

– धारा 148, 341, 504 और 326/149 – अभियुक्तों द्वारा आहत व्यक्तियों पर हमला – आपसी दुश्मनी – आहत और अन्य साक्षियों के कथनों में विरोधाभास – दोषमुक्ति – जहां घटना के वृत्तांत के संबंध में आहत साक्षियों के साथ-साथ अन्य साक्षियों के कथनों में विरोधाभास हो, कतिपय साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों और आहत व्यक्तियों तथा अभियुक्तों के बीच पहले से चली आ रही दुश्मनी का तथ्य विद्यमान हो तथा आहत व्यक्तियों का घटना के पश्चात् का आचरण संदेहास्पद हो, तो मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने के कारण अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

**बन्नारेड्डी और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य** 1

– धारा 279 और 338 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – दुर्घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित को गंभीर क्षति पहुंचना – यदि यह बात स्पष्ट नहीं कि पीड़ित के गिरने की वजह से

पृष्ठ संख्या

दुर्घटना घटी या अभियुक्त ड्राइवर के उपेक्षा से गाड़ी चलाने के कारण तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है तो पीड़ित का एकमात्र कथन अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषिता को साबित करने में युक्तियुक्त संदेह के परे विफल हुआ है तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषमुक्ति उचित है ।

**हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मदन सिंह** 121

– धारा 300 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – पीड़िता का पति और ससुर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कुटुंब विवाद के कारण ईंट मारकर पीड़िता की हत्या किया जाना – मामले में पीड़िता की तीन वर्ष की पुत्री के सिवाय घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होना – पीड़िता के चाचा को मृत्यु की सूचना दूरभाष से प्राप्त होना – मृत्यु का कारण और अपराधकर्ता के बारे में उन्हें ज्ञात न होना – नातेदार साक्षियों को सुना-सुनाया साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत न होना – पीड़िता की माता इत्तिलाकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त (दामाद) द्वारा पैसों की मांग की गई, उक्त रकम न देने पर पीड़िता के साथ वाक्कलह हुई, विभेदकारी है – पीड़िता की तीन वर्ष आयु की पुत्री द्वारा घटना नहीं देखा जाना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि पीड़िता की मृत्यु किसी नुकिले धारदार वस्तु से हुई है जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार ईंट से हमला करने के कारण हुई तो मृत्यु कारित

पृष्ठ संख्या

करने वाली वस्तु के बारे में विभेद प्रकट हुआ है, इसलिए अभियोजन पक्ष का वृत्तांत युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुआ है – अतः अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

**भरत साउ** बनाम **बिहार राज्य** 103

– धारा 300 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त के बारे यह अभिकथित है कि उसके द्वारा अपनी उप पत्नी और उसकी नानी की दरांती से हत्या की क्योंकि उसकी उप पत्नी ने निरंतर संबंध बनाने से इनकार कर दिया – पीड़िता की माता और विद्यालय के प्रधानाचार्य जहां अभियुक्त नौकरी करता था, ने विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्त के विरुद्ध उसे अपराध में फंसाने वाला कोई कथन नहीं किया है – दरांती, अभिगृहीत कपड़े रासायनिक परीक्षा के लिए भेजे गए – न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में अभिगृहीत वस्तुओं पर रक्त की मौजूदगी के बारे में कथन किया गया है परंतु रक्त ग्रुप की उत्पति के बारे में पुष्टि के संबंध में कोई सीरम विज्ञानी रिपोर्ट नहीं है – सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट के अभाव में वस्तु का अभिग्रहण किया जाना अपने महत्व को खो देता है – घटनास्थल से अभिगृहीत अभियुक्त से संबंधित चप्पलों की पहचान के बारे में अभिग्रहण पंचनामा के संबंध में साक्षी का अभिसाक्ष्य जैसाकि पुलिस द्वारा बताया गया – समरूप चप्पलें आसानी से बाजार में मिल जाती हैं – चप्पल का अभिग्रहण और उनकी पहचान को घटना के अभियुक्त को विनिर्दिष्ट रूप से उनसे जोड़ा नहीं जा सकता

पृष्ठ संख्या

– परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है – अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

**लुमेश राम साहू** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 77

– धारा 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 32 और 113ख] – दहेज मृत्यु – ससुराल द्वारा मृतका को दहेज के लिए तंग किया जाना और तत्पश्चात् आग में जलाकर उसकी हत्या करना – मृतका के कमरे से मिट्टी के तेल की केन बरामद होना – अन्य कारणों से आग लगने के संबंध में अभियुक्तों द्वारा स्पष्टीकरण न दिया जाना – मृत्युकालिक कथन में अभियुक्तों का नामित किया जाना – मृतका को उसके वैवाहिक गृह में ही दाह-क्षतियां पहुंची हैं, मिट्टी के तेल की केन भी उसी स्थान से बरामद की गई है तथा आग लगने का अन्य कोई कारण अभियुक्तों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और मृत्युकालिक कथन में अभियुक्तों को आलिप्त किया गया है, अतः, ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

**बादल बिस्वास और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 42

– धारा 332 – लोक सेवक को भयोपरत करने के लिए उपहति कारित करना – अभियुक्तों की दुकान से देशी शराब अभिगृहीत करने हेतु पुलिस का दुकान में प्रवेश करना – अभियुक्तों द्वारा पुलिस कार्मिकों के साथ कहा-सुनी, हाथापाई और मारपीट करना – प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य से घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी

पृष्ठ संख्या

साबित होना – प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस, अपीलार्थियों की दुकान में गई थी और उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई तथा मारपीट की है, अतः ऐसी स्थिति में उनकी दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

**निताई पोद्दार और एक अन्य** बनाम **त्रिपुरा राज्य** 92

– धारा 366 – विवाह के लिए विवश करने हेतु 15 वर्षीय अभियोक्त्री का व्यपहरण किए जाने का अभिकथन – अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध, अभियोक्त्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यपहृत किए जाने का कोई भी साक्ष्य न होना – अभियोक्त्री पर अपीलार्थियों द्वारा बल का प्रयोग न किया जाना और न ही उसे उत्प्रेरित किया जाना – अपीलार्थियों ने आहत पर ऐसे किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया है कि वह अपने माता-पिता का घर छोड़कर बाहर आए, यहां तक कि जब वह अपीलार्थियों के साथ जा रही थी तब भी उसने अपीलार्थियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, अतः किसी भी स्पष्ट कृत्य के अभाव में उनकी दोषसिद्धि उचित नहीं है ।

**प्राणबन्धु प्रधान** उर्फ **जबड़ू और एक अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य** 17

– धारा 375 और 376 (2013 के संशोधन अधिनियम 13 के पूर्व) – बलात्संग – सहमति – अभियोक्त्री का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभियुक्तों के साथ जाना – अभियोक्त्री का संभोग के लिए आपत्ति न करना – अभियोक्त्री के गुप्तांगों पर क्षति का न पाया जाना – अभियोक्त्री की आयु का सटीक निर्धारण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं किया गया है और वह वैवेकिक आयु को पहुंची हुई प्रतीत होती है, अतः अभियोक्त्री

पृष्ठ संख्या

ने अपनी इच्छा से संभोग किया है, इसलिए व्यपहरण या बलात्संग जैसे किसी भी अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि उचित नहीं है ।

**प्राणबन्धु प्रधान** उर्फ **जबडू और एक अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य** 17

– धारा 376 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313] – बलात्संग – अभियुक्त की परीक्षा – अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियुक्त से कोई भी प्रश्न न पूछना और उसे स्पष्टीकरण का अवसर न दिया जाना – अपीलार्थी महेन्द्र को उसके विरुद्ध रखी गई परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने से वंचित रखा गया है और उसके साथ गंभीर रूप से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया है, अतः अभियोजन पक्ष द्वारा आहत की आयु के संबंध में अभियुक्त के समक्ष रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए अपीलार्थी महेन्द्र की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

**प्राणबन्धु प्रधान** उर्फ **जबडू और एक अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य** 17

– धारा 498क – क्रूरता – घरेलू कार्य को लेकर अपीलार्थियों द्वारा मृतका को तंग किया जाना – पक्षकारों के बीच तनावपूर्ण संबंध होने का साक्ष्य – मृतका की मृत्यु का ससुराल में घटित होना – आहत के ससुरालवाले उसे घरेलू कार्य को लेकर तंग करते थे और उनके बीच सौहार्द संबंध नहीं थे तथा विवाह के थोड़े समय बाद ही दाह क्षतियों के कारण ससुराल में उसकी मृत्यु हुई है, इन परिस्थितियों में अपीलार्थी क्रूरता कारित करने के दोषी हैं ।

**बादल बिस्वास और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 42

पृष्ठ संख्या

**साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)**

– धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – मृतका द्वारा अभियुक्तों को स्पष्ट रूप से मृत्युकालिक कथन में आलिप्त किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह स्पष्ट न किया जाना कि मृतका बोलने की स्थिति में नहीं थी – मृतका को उसके नातेदारों द्वारा सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा बल दिया जाना – मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् पढ़कर न सुनाया जाना – मात्र इस कारण से कि आहत के नातेदार उससे मिलने आ सकते थे, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि आहत ने सिखाए-पढ़ाए जाने के पश्चात् कथन दिया है और मात्र इस लोप से मृत्युकालिक कथन निर्बल नहीं हो सकता कि यह मृतका को पढ़कर नहीं सुनाया गया था, अतः अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

**बादल बिस्वास और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 42

## बन्नारेड्डी और अन्य

बनाम

## कर्नाटक राज्य और अन्य

तारीख 12 मार्च, 2018

**न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 341, 504 और 326/149 – अभियुक्तों द्वारा आहत व्यक्तियों पर हमला – आपसी दुश्मनी – आहत और अन्य साक्षियों के कथनों में विरोधाभास – दोषमुक्ति – जहां घटना के वृत्तांत के संबंध में आहत साक्षियों के साथ-साथ अन्य साक्षियों के कथनों में विरोधाभास हो, कतिपय साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों और आहत व्यक्तियों तथा अभियुक्तों के बीच पहले से चली आ रही दुश्मनी का तथ्य विद्यमान हो तथा आहत व्यक्तियों का घटना के पश्चात् का आचरण संदेहास्पद हो, तो मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने के कारण अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।**

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 29 अगस्त, 2008 को जब ग्रामोत्सव चल रहा था, तब अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी) ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) के साथ झगड़ा किया, जिसमें अभियुक्त सं. 2 ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) को समाप्त कर देने की धमकी दी, किंतु यह झगड़ा वहां मौजूद व्यक्तियों द्वारा शांत करा दिया गया । उसी दिन जब अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) अपने मकान पर जा रहे थे, तब लगभग 9.30 बजे अपराह्न में अभियुक्त व्यक्ति लोहे की छड़ों, लाठियों आदि से लैस होकर उनके पास आए और उन्हें गालियां देने लगे तथा उन्हें घेर लिया । उसके पश्चात्, उन्होंने आहतों अर्थात् अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) पर हमला करना आंरभ कर दिया । कई साक्षियों ने बीच-बचाव किया और तुरंत शिकायतकर्ता तथा अन्य आहतों का बचाव किया । क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि.

सा. 3 क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए उन्हें नावलगुंड राजकीय अस्पताल और बाद में केआईएमएस अस्पताल ले जाया गया और उसके पश्चात् उन्हें सुश्रुत मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम स्थानांतरित किया गया । शिकायतकर्ता अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) ने पुलिस को एक शिकायत दी जिसे तारीख 29 अगस्त, 2008 को अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 147, 148, 323, 324, 341, 307, 504 और 506 के अधीन 2008 के अपराध सं. 194 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । विचारण न्यायालय मौखिक और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इसलिए, अभियुक्तों को उक्त अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया । उसके पश्चात्, राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की, जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148, 341, 504 और 326 के अधीन दोषसिद्ध किया । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – विचारण न्यायालय ने हमला करने की घटना और अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी के संबंध में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा किए गए कथनों में विरोधाभास होने का ठीक ही उल्लेख किया है । ये विरोधाभास तात्विक हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथनों का परिशीलन के पश्चात् इस न्यायालय ने यह पाया कि घटना और विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विरोधाभास विद्यमान हैं । विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर ठीक प्रकार से निष्कर्ष निकाला है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि उपरोक्त साक्षियों ने यह कथन किया है कि उपरोक्त घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे जिन्होंने हमला रोकने के लिए बीच-बचाव किया था, किंतु अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) और अभि. सा. 13 (मंजूरेड्डी) के

सिवाय अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । अन्य आहतों के अतिरिक्त, अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) उक्त घटना का एकमात्र साक्षी रह जाता है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि उन सभी के द्वारा किए गए कथन एक-दूसरे के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि कृत्य कारित करने से संबंधित तात्विक बिंदुओं पर ही उनमें भिन्नता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन कथनों का अवलंब लेना समुचित नहीं है । अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में एक अन्य बड़ा विरोधाभास, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, वह अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा) का कथन है, जिसने, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार, उक्त लड़ाई में बीच-बचाव किया था क्योंकि यह लड़ाई उसके मकान के पड़ोस में हो रही थी । किंतु, अभि. सा. 14 ने उपरोक्त वृत्तांत के बिल्कुल प्रतिकूल यह कथन किया कि वह उक्त तारीख को गांव से बाहर गया हुआ था और रात्रि में लगभग 11.00 बजे गांव वापस लौटने पर उसे उक्त घटना के बारे में पता चला था । यह उल्लेखनीय है कि आहत व्यक्तियों के कतिपय कृत्य अस्वाभाविक थे, जिनसे इस न्यायालय के मन में संदेह हो रहा है और इनमें विनिर्दिष्ट रूप से घटना के पश्चात् उनका व्यवहार है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उक्त घटना के पश्चात् आहत व्यक्तियों को राजकीय अस्पताल, नावलगुंड ले जाया गया था । चूंकि अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को उसके दाएं कंधे पर साधारण क्षतियां पहुंची थीं और उसके संबंध में उसे किसी आगे के उपचार के लिए रेफर नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को उनके सिर में क्षतियां पहुंचने के कारण आगे के उपचार के लिए केआईएमएस अस्पताल, हुबली रेफर किया गया था । किंतु विचारण न्यायालय ने यह पाया कि इस आशय के लिए आहत व्यक्तियों के भर्ती होने या उपचार से संबंधित कोई दस्तावेज या प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह उल्लेख किया है कि अभि. सा. 19 (डा. मिथुन सत्तुर) ने, जिसने सुविख्यात केआईएमएस अस्पताल में और बाद में सुश्रुत अस्पताल दोनों में आहत व्यक्तियों का उपचार किया था, यह स्वीकार किया कि केआईएमएस अस्पताल आहत व्यक्तियों का उपचार करने के लिए सुसज्जित है, तो भी यह बात अस्पष्ट है कि आहत व्यक्तियों को सुश्रुत अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए क्यों कहा गया था । इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । आहत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सीय

साक्ष्यों से यह साबित होता है कि उन्हें कोई घातक क्षतियां नहीं पहुंची थीं । ऐसी परिस्थितियों में, यह अति संदिग्ध बात है कि आहत, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को, केआईएमएस अस्पताल से किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर न करने के बावजूद सुश्रुत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में क्यों स्थानांतरित किया गया था । विचारण न्यायालय ने तद्द्वारा यह पाया कि आहत अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य सृजित करने की कोशिश कर रहे थे । (पैरा 17, 18, 19 और 21)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149 के अधीन अभियुक्तों की दोषिता पर विचार करने पर अभियोजन पक्ष सभी अभियुक्त व्यक्तियों की अंतर्ग्रस्तता को सिद्ध करने में असफल रहा है । यद्यपि कतिपय अभियुक्तों, जैसे कि अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) और अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी), के स्पष्ट कृत्यों का आहत व्यक्तियों और अन्य साक्षियों के कथनों में उल्लेख किया गया है । किंतु शेष अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषिता को सिद्ध करने के लिए उनकी आपराधिक मनःस्थिति या आपराधिक कृत्य होना नहीं समझा जा सकता है । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि सामग्री की बरामदगी के संबंध में मज़हर साक्षियों द्वारा किए गए कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वे पक्षद्रोही हो गए हैं । यहां तक कि रक्त से सनी कीचड़ की बरामदगी भी इस तथ्य पर विचार करते हुए संदिग्ध प्रतीत होती है कि घटना की कथित तारीख को स्वीकृत रूप से बूंदाबांदी हो रही थी और हजारों श्रद्धालू मेला देखने आए हुए थे । ऐसी परिस्थितियों में, यह बात अति असंभाव्य है कि रक्त के नमूने अगले दिन एकत्रित किए जा सके होंगे । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 3 के कथन का अवलंब लिया है, जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शेष अभियुक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को उन पर हमला करने में सहायता करने के लिए आयुधों से लैस अभियुक्त व्यक्तियों के पास खींच कर ला रहे थे । यह अभिकथन बहुत ही व्यापक है और अस्पष्ट रीति में किया गया है और किसी अन्य साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन नहीं होता है । अभियुक्त व्यक्तियों की आपराधिकता को साबित करने के लिए एकमात्र रूप से आहत व्यक्तियों के साक्ष्य का अवलंब लेना समुचित नहीं होगा । इसलिए, विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि जब इन अभियुक्तों को किसी प्रत्यक्ष कृत्य के

साथ सहयुक्त नहीं किया जा सका है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू नहीं होगी । प्रस्तुत मामले में, जब घटना के बारे में तथ्यों और अभियुक्तों की भूमिका को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया जा सका है, तो चाहे घटना के पीछे हेतु चाहरदिवारी के संबंध में विवाद हो या राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता, यह बात असंगत हो जाती है । उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा है कि अभिग्रहण पंचनामा के पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अन्वेषक अधिकारी ने आयुध अभिगृहीत किए थे और आहत व्यक्तियों तथा कतिपय साक्षियों द्वारा उनकी शनाख्त की गई थी, तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 13 को छोड़कर सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) ने अपनी प्रतिप्रतीक्षा में यह कथन किया कि वह तात्विक वस्तु सं. 1 और 2 में के आयुधों की शनाख्त कर सकता है क्योंकि उसने उन्हें देखा था, किंतु इस साक्षी ने स्वयं अपने कथन का यह कहते हुए खंडन किया कि वह अपराध में प्रयुक्त आयुधों की कोई विशेष विशिष्टता नहीं बता सकता है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 13 ने भी इन्हीं आयुधों की शनाख्त हमले में प्रयुक्त आयुधों के रूप में की थी । किंतु अभि. सा. 13 की अभि. सा. 3 के साथ नातेदारी होने की बात पर विचार करते हुए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अभि. सा. 13 एक हितबद्ध साक्षी प्रतीत होता है । ऐसी परिस्थितियों में, जहां पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों, वहां अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए इन आयुधों की बरामदगी का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त, हमें रक्त के नमूने एकत्रित करने के बारे में भी संदेह है, विशेष रूप से जब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना एक कीचड़ वाली सड़क पर तब घटी थी जब सारे समय बूंदाबांदी होती रही थी और इसके अतिरिक्त गांव में मेले में उपस्थित हजारों श्रद्धालू मौजूद थे । ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रक्त के नमूने एकत्रित करने की बात असंभाव्य प्रतीत होती है । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय को साक्ष्यों का समग्र रूप में पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई गंभीर कमी विद्यमान नहीं है । विचारण

न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने का कोई न्यायौचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब अभियोजन का पक्षकथन कई विरोधाभासों और कमियों से ग्रस्त है । अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट प्रकथन को साबित नहीं किया जा सका है । (पैरा 22, 23, 24, 26 और 27)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2011] | (2011) 2 एस. सी. सी. 490 : **रबिन्दर कुमार पाल** उर्फ **दारा सिंह** बनाम **भारत गणराज्य** ; | 12 |
| [2008] | (2008) 11 एस. सी. सी. 186 : **संभाजी हिंदूराव देशमुख और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । | 11 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 382.**

2014 की दांडिक अपील सं. 100108 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ के तारीख 29 नवम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** सर्वश्री एच. एन. नागमोहन दास, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सी. एम. अंगाडी, बी. वी. सोमापुर और रामेश्वर प्रसाद गोयल

**प्रत्यर्थियों की ओर से** सर्वश्री जोसफ अरिस्टोटल एस., आशीष यादव, एन. डी. बी. राजू, (सुश्री) कृष्णा बिपिन और उदय दूबे

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

**न्या. रमना** – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील विशेष इजाजत लेकर 2014 की दांडिक अपील सं. 100108 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ द्वारा तारीख 29 नवम्बर, 2017 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

3. अपीलार्थियों को आक्षेपित निर्णय द्वारा निम्नलिखित रीति में दोषसिद्ध किया गया था :–

(i) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148 के अधीन 18 माह का साधारण कारावास भुगतने और 3,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया है तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 341 के अधीन पंद्रह दिन की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और 200/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें एक सप्ताह की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 504 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और 1,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें पंद्रह दिन की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

(iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 326 के अधीन प्रत्येक अभियुक्त को चार वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का भी दंडादेश दिया गया है और वे 6,000/- रुपए के जुर्माने का भी संदाय करेंगे तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर उन्हें दो माह की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा ।

4. मामले के गुणागुण पर विचार करने और इसका विश्लेषण करने से पूर्व हमें अभियोजन के पक्षकथन को संक्षेप में निर्दिष्ट करना होगा । तारीख 29 अगस्त, 2008 को जब ग्रामोत्सव चल रहा था, अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी) ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) के साथ झगड़ा किया, जिसमें अभियुक्त सं. 2 ने अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) को समाप्त कर देने की धमकी दी, किंतु यह झगड़ा वहां मौजूद व्यक्तियों द्वारा शांत करा दिया गया । उसी दिन जब अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) अपने मकान पर जा रहे थे,

तब लगभग 9.30 बजे अपराह्न में अभियुक्त व्यक्ति लोहे की छड़ों, लाठियों आदि से लैस होकर उनके पास आए और उन्हें गालियां देने लगे तथा उन्हें घेर लिया । उसके पश्चात्, उन्होंने आहतों अर्थात् अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी), अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) और अभि. सा. 3 (लिंगारेड्डी) पर हमला करना आरंभ कर दिया । कई साक्षियों ने बीच-बचाव किया और तुरंत शिकायतकर्ता तथा अन्य आहतों का बचाव किया । क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए उन्हें नावलगुंड राजकीय अस्पताल और बाद में केआईएमएस अस्पताल ले जाया गया और उसके पश्चात् उन्हें सुश्रुत मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम स्थानांतरित किया गया ।

5. शिकायतकर्ता अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) ने पुलिस को एक शिकायत दी जिसे तारीख 29 अगस्त, 2008 को अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 147, 148, 323, 324, 341, 307, 504 और 506 के अधीन 2008 के अपराध सं. 194 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । उसके पश्चात्, तारीख 30 अगस्त, 2008 को सवेरे अभि. सा. 6 (देवारेड्डी) और अभि. सा. 9 (फकीरारेड्डी) की मौजूदगी में अभियुक्त-अपीलार्थी (बन्नारेड्डी) के कब्जे से लाठियां और लोहे की छड़ें बरामद की गईं । उसी दिन अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 1 के कब्जे से पंच साक्षियों की मौजूदगी में रक्तरंजित वस्त्र बरामद किए गए । अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 की मौजूदगी में क्षतिग्रस्त लिंगारेड्डी के कब्जे से रक्तरंजित वस्त्र बरामद किए गए । स्थल मज़हर किया गया और मज़हर साक्षियों की मौजूदगी में रक्त से सनी मिट्टी के नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए एकत्रित किए गए ।

6. विचारण न्यायालय मौखिक और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् तारीख 18 जनवरी, 2014 के निर्णय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इसलिए, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143, 147, 148, 341, 504 और 307 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया ।

7. उसके पश्चात्, राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 2014 की दांडिक अपील सं. 100108 फाइल की, जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 148, 341, 504 और 326 के अधीन दोषसिद्ध किया । इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दोषसिद्धि के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में समावेदन किया है ।

8. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने हमारे समक्ष यह दलील दी कि अभियोजन का पक्षकथन विरोधाभासों से भरा पड़ा है और अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य अत्यधिक विसंगत हैं तथा दोषमुक्ति के आदेश को उलटने वाला उच्च न्यायालय का आदेश असंधार्य है । विद्वान् काउंसेल ने हमें पक्षकारों के बीच हुए एक समझौते के विद्यमान होने के बारे में भी अवगत कराया, किंतु विधि के अधीन इस समझौते को प्रवृत्त करना और अपराध का शमन करना संभव नहीं है क्योंकि आरोपित अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन शमनीय नहीं हैं ।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया ।

10. दोनों काउंसेलों को सुना । चूंकि अभिकथित अपराध शमनीय नहीं हैं, इसलिए इस तथ्य के होते हुए कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है, हम मामले पर गुणागुण के आधार पर विचार करेंगे ।

11. इससे पूर्व कि हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष का परिशीलन करने के लिए अग्रसर हों, उच्च न्यायालय की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप करने की शक्ति और अधिकारिता की चर्चा करना सुसंगत है । विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के ऐसे सकारण आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् पारित किया गया हो । उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए परिणामों और निष्कर्षों को यथोचित श्रेय देना चाहिए, जब तक स्वयं साक्ष्य में ऐसे प्रबल और आबद्धकारी कारण विद्यमान न हों जिनसे निष्कर्षों पर ही

विश्वास न किया जा सकता हो । इस सिद्धांत को **संभाजी हिंदूराव देशमुख और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में के पैरा 13 में और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि :–

> "......उच्च न्यायालय दोषमुक्तियों के विरुद्ध अपीलों में केवल वहां हस्तक्षेप करेगा, जहां विचारण न्यायालय ने तात्विक तथ्यों की गलत अवधारणा की है या साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करने में असफल रहा है । यदि अभिलेख पर के साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से दो मत संभव हों जिनमें से एक अभियुक्त के पक्ष में हो और एक अभियुक्त के विरुद्ध हो, तो उच्च न्यायालय से यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि वह दोषमुक्ति को केवल इस कारण उलट दे कि यदि उसने विचारण किया होता तो वह अभियुक्त के विरुद्ध मत को अपनाता । जब तथ्य यह हो कि दो मत संभव हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है और परिणामस्वरूप अभियुक्त संदेह के फायदे का हकदार है ।"

12. इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि दोषमुक्त किए गए अभियुक्त के विरुद्ध निर्दोषिता की उपधारणा उसके पक्ष में निर्णय द्वारा और अधिक सुदृढ़, पुनःअभिपुष्ट और मजबूत हो जाती है (**रबिन्दर कुमार पाल** उर्फ **दारा सिंह** बनाम **भारत गणराज्य**[2] वाले मामले का पैरा 94 देंखे) ।

13. उपरोक्त सुस्थिर सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम साक्ष्य की यह परीक्षा और विश्लेषण करने के लिए अग्रसर होंगे कि क्या विचारण न्यायालय के आदेश में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायोचित है या नहीं ।

14. प्रथमतः, कतिपय साक्षियों के कथनों पर दृष्टिपात करना समुचित होगा ।

15. अभि. सा. 1, सिद्दप्पा डोडामणि ने यह कथन किया कि उक्त घटना की तारीख को जब वह मंदिर के नजदीक था, तब उसने

---

[1] (2008) 11 एस. सी. सी. 186.

[2] (2011) 2 एस. सी. सी. 490.

अभियुक्त व्यक्तियों को छड़ों और लाठियों से लैस होकर आहतों के मकान की ओर जाते हुए देखा । इसलिए वह उत्सुकतावश उनके पीछे-पीछे गया और देखा कि अभियुक्त आहत व्यक्तियों को गालियां दे रहे थे । उक्त झगड़े के दौरान अभियुक्त सं. 1 ने संजीवरेड्डी पर उसके कंधों और बाईं टांग पर लाठी से हमला किया और अभियुक्त सं. 7 (रामप्पा) ने लाठी से उसके शरीर पर प्रहार करके उस पर हमला किया । अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी) और अभियुक्त सं. 8 (वेंकारेड्डी) ने लोहे की छड़ से अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) पर उसके बाएं कंधे और बाएं हाथ पर हमला किया । यह भी कथन किया गया कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने भी आहतों पर हमला किया । उसके पश्चात् उसने अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा), अभि. सा. 15 (सुनील), अभि. सा. 16 (याल्लप्पा), अभि. सा. 4 (शिवारेड्डी), अभि. सा. 13 (मंजूरेड्डी) और अभि. सा. 6 (देवरेड्डी) के साथ आहतों को बचाने के लिए बीच-बचाव किया । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अपनी मुख्य-परीक्षा में किए गए उपरोक्त कथनों के प्रतिकूल कथन किया है ।

16. आहत अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) ने यह कथन किया कि तारीख 29 अगस्त, 2008 को अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी) ने सायंकाल में लगभग 5.00 बजे हनुमान मंदिर के निकट उसके साथ गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी, किंतु अभि. सा. 4 (शिवारेड्डी) और अभि. सा. 16 (येल्लप्पा) के बीच-बचाव से झगड़ा शांत हो गया । किंतु पुनः 9.30 बजे अपराह्न में उक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा) के मकान के निकट आहतों को पकड़ लिया और पक्षकारों के बीच लंबित विवाद को लेकर आहतों के साथ गाली-गलौच करने लगे । उसके पश्चात्, अभियुक्त सं. 9 (मल्लारेड्डी) ने शिकायतकर्ता-अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) पर, न कि अभि. सा. 2 (हेमारेड्डी) पर, हमला किया । अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) ने भी संजीवरेड्डी पर उसकी बाईं हथेली पर हमला किया । अभियुक्त सं. 7 (रामप्पा) ने लाठी से संजीवरेड्डी पर उसके सिर और शरीर के अन्य अंगों पर हमला किया । अभियुक्त सं. 3 (हनामरेड्डी) ने एक लोहे की छड़ से लिंगारेड्डी पर उसके हाथों और सिर पर हमला किया । अन्य अभियुक्त व्यक्ति आहतों को उन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की ओर खींच रहे थे जो लाठियों से लैस थे और उन्होंने उसके पश्चात् आहतों पर उनके सिर और शरीर पर

हमला किया । अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) ने लोहे की छड़ से संजीवरेड्डी पर उसके बाएं हाथ और सिर पर हमला किया । अभि. सा. 11 (मक्तुमसाब), अभि. सा. 16 (येल्लप्पा हलावर), अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा), अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) अन्य व्यक्तियों के साथ उनके बचाव में आए । उसने (अभि. सा. 2) यह भी कथन किया कि चूंकि आहतों को क्षतियां पहुंची थीं, इसलिए उसका भाई वेंकटरेड्डी उन्हें उपचार के लिए नावलगुंड सामान्य अस्पताल लेकर गया, उसके पश्चात् उन्हें केआईएमएस अस्पताल स्थानांतरित किया गया और वहां से छुट्टी होने के पश्चात् उन्हें सुश्रुत अस्पताल में भर्ती किया गया ।

17. विचारण न्यायालय ने हमला करने की घटना और अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी के संबंध में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा किए गए कथनों में विरोधाभास होने का ठीक ही उल्लेख किया है । ये विरोधाभास तात्विक हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है ।

18. इसी प्रकार, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथनों का परिशीलन के पश्चात् हमने यह पाया कि घटना और विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विरोधाभास विद्यमान हैं । विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर ठीक प्रकार से निष्कर्ष निकाला है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि उपरोक्त साक्षियों ने यह कथन किया है कि उपरोक्त घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे जिन्होंने हमला रोकने के लिए बीच-बचाव किया था, किंतु अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) और अभि. सा. 13 (मंजूरेड्डी) के सिवाय अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । अन्य आहतों के अतिरिक्त, अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) उक्त घटना का एकमात्र साक्षी रह जाता है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि उन सभी के द्वारा किए गए कथन एक-दूसरे के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि कृत्य कारित करने से संबंधित तात्विक बिंदुओं पर ही उनमें भिन्नता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन कथनों का अवलंब लेना समुचित नहीं है ।

19. अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में एक अन्य बड़ा विरोधाभास, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, वह अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा) का कथन है, जिसने, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार, उक्त लड़ाई में बीच-बचाव किया था क्योंकि यह लड़ाई उसके मकान के पड़ोस में हो रही थी । किंतु, अभि. सा. 14 ने उपरोक्त वृत्तांत के बिल्कुल प्रतिकूल यह कथन किया कि वह उक्त तारीख को

गांव से बाहर गया हुआ था और रात्रि में लगभग 11.00 बजे गांव वापस लौटने पर उसे उक्त घटना के बारे में पता चला था ।

20. यद्यपि हेतु की बात प्रत्यक्ष साक्ष्य की मौजूदगी में असंगत हो जाती है, तथापि, अभियोजन पक्ष ने यह निवेदन किया कि अभियुक्त और आहत अलग-अलग राजनैतिक दलों के हैं और हमले के पीछे हेतु राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता हो सकती है । यद्यपि आहत अभि. सा. 14 (वर्धमानगौड़ा), जो घटना के समय पंचायत का अध्यक्ष था, के अनुयायी हैं, किंतु आश्चर्यजनक रूप से उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों और शिकायतकर्ता-आहतों के बीच भूमि की चाहरदिवारी के संबंध में पहले से दुश्मनी थी । यह विवाद पिछले 10-15 वर्षों से चला आ रहा था, जिसे अन्य ग्रामवासियों के मध्यक्षेप से भी नहीं सुलझाया जा सका था ।

21. यह उल्लेखनीय है कि आहत व्यक्तियों के कतिपय कृत्य अस्वाभाविक थे, जिनसे हमारे मन में संदेह हो रहा है और इनमें विनिर्दिष्ट रूप से घटना के पश्चात् उनका व्यवहार है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उक्त घटना के पश्चात् आहत व्यक्तियों को राजकीय अस्पताल, नावलगुंड ले जाया गया था । चूंकि अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को उसके दाएं कंधे पर साधारण क्षतियां पहुंची थीं और उसके संबंध में उसे किसी आगे के उपचार के लिए रेफर नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को उनके सिर में क्षतियां पहुंचने के कारण आगे के उपचार के लिए केआईएमएस अस्पताल, हुबली रेफर किया गया था । किंतु विचारण न्यायालय ने यह पाया कि इस आशय के लिए आहत व्यक्तियों के भर्ती होने या उपचार से संबंधित कोई दस्तावेज या प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह उल्लेख किया है कि अभि. सा. 19 (डा. मिथुन सत्तुर) ने, जिसने सुविख्यात केआईएमएस अस्पताल में और बाद में सुश्रुत अस्पताल दोनों में आहत व्यक्तियों का उपचार किया था, यह स्वीकार किया कि केआईएमएस अस्पताल आहत व्यक्तियों का उपचार करने के लिए सुसज्जित है, तो भी यह बात अस्पष्ट है कि आहत व्यक्तियों को सुश्रुत अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए क्यों कहा गया था । इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । आहत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सीय साक्ष्यों से यह

साबित होता है कि उन्हें कोई घातक क्षतियां नहीं पहुंची थीं । ऐसी परिस्थितियों में, यह अति संदिग्ध बात है कि आहत, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 5 (संजीवरेड्डी) को, केआईएमएस अस्पताल से किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर न करने के बावजूद सुश्रुत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में क्यों स्थानांतरित किया गया था । विचारण न्यायालय ने तद्द्वारा यह पाया कि आहत अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य सृजित करने की कोशिश कर रहे थे ।

22. इसके बाद, धारा 149 के अधीन अभियुक्तों की दोषिता पर विचार करते हैं । अभियोजन पक्ष सभी अभियुक्त व्यक्तियों की अंतर्ग्रस्तता को सिद्ध करने में असफल रहा है । यद्यपि कतिपय अभियुक्तों, जैसे कि अभियुक्त सं. 1 (बन्नारेड्डी) और अभियुक्त सं. 2 (धर्मारेड्डी), के स्पष्ट कृत्यों का आहत व्यक्तियों और अन्य साक्षियों के कथनों में उल्लेख किया गया है । किंतु शेष अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दोषिता को सिद्ध करने के लिए उनकी आपराधिक मनःस्थिति या आपराधिक कृत्य होना नहीं समझा जा सकता है ।

23. विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि सामग्री की बरामदगी के संबंध में मज़हर साक्षियों द्वारा किए गए कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वे पक्षद्रोही हो गए हैं । यहां तक कि रक्त से सनी कीचड़ की बरामदगी भी इस तथ्य पर विचार करते हुए संदिग्ध प्रतीत होती है कि घटना की कथित तारीख को स्वीकृत रूप से बूंदाबांदी हो रही थी और हजारों श्रद्धालू मेला देखने आए हुए थे । ऐसी परिस्थितियों में, यह बात अति असंभाव्य है कि रक्त के नमूने अगले दिन एकत्रित किए जा सके होंगे ।

24. उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 3 के कथन का अवलंब लिया है, जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शेष अभियुक्त क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को उन पर हमला करने में सहायता करने के लिए आयुधों से लैस अभियुक्त व्यक्तियों के पास खींच कर ला रहे थे । यह अभिकथन बहुत ही व्यापक है और अस्पष्ट रीति में किया गया है और किसी अन्य साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन नहीं होता है । अभियुक्त व्यक्तियों की आपराधिकता को साबित करने के लिए एकमात्र रूप से आहत व्यक्तियों के साक्ष्य का अवलंब लेना समुचित नहीं होगा । इसलिए, विचारण

न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि जब इन अभियुक्तों को किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ सहयुक्त नहीं किया जा सका है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू नहीं होगी ।

25. उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा है कि अभिग्रहण पंचनामा के पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अन्वेषक अधिकारी ने आयुध अभिगृहीत किए थे और आहत व्यक्तियों तथा कतिपय साक्षियों द्वारा उनकी शनाख्त की गई थी, तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 13 को छोड़कर सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे । यद्यपि अभि. सा. 1 (सिद्दप्पा) ने अपनी प्रतिप्रतीक्षा में यह कथन किया कि वह तात्विक वस्तु सं. 1 और 2 में के आयुधों की शनाख्त कर सकता है क्योंकि उसने उन्हें देखा था, किंतु इस साक्षी ने स्वयं अपने कथन का यह कहते हुए खंडन किया कि वह अपराध में प्रयुक्त आयुधों की कोई विशेष विशिष्टता नहीं बता सकता है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 13 ने भी इन्हीं आयुधों की शनाख्त हमले में प्रयुक्त आयुधों के रूप में की थी । किंतु अभि. सा. 13 की अभि. सा. 3 के साथ नातेदारी होने की बात पर विचार करते हुए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अभि. सा. 13 एक हितबद्ध साक्षी प्रतीत होता है । ऐसी परिस्थितियों में, जहां पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों, वहां अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए इन आयुधों की बरामदगी का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त, हमें रक्त के नमूने एकत्रित करने के बारे में भी संदेह है, विशेष रूप से जब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना एक कीचड़ वाली सड़क पर तब घटी थी जब सारे समय बूंदाबांदी होती रही थी और इसके अतिरिक्त गांव में मेले में उपस्थित हजारों श्रद्धालु मौजूद थे । ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रक्त के नमूने एकत्रित करने की बात असंभाव्य प्रतीत होती है ।

26. प्रस्तुत मामले में, जब घटना के बारे में तथ्यों और अभियुक्तों की भूमिका को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया जा सका है, तो चाहे घटना के पीछे हेतु चाहरदीवारी के संबंध में विवाद हो या राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता, यह बात असंगत हो जाती है ।

27. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते

हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहा है । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय को साक्ष्यों का समग्र रूप में पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई गंभीर कमी विद्यमान नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करने के पीछे कोई न्यायौचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब अभियोजन का पक्षकथन कई विरोधाभासों और कमियों से ग्रस्त है । अभियुक्त-व्यक्तियों की भूमिका और अंतर्ग्रस्तता के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट प्रकथन को साबित नहीं किया जा सका है । इसके अतिरिक्त, स्वयं आहत-प्रत्यर्थियों के कतिपय कृत्य संदेहास्पद हैं, उदाहरण के लिए, उचित कारण के बिना बाद में अपने आप को एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कर लेना । हमारे ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि प्रत्यर्थियों ने पहले ही समझौता कर लिया है और इस सीमा तक एक समझौता विलेख निष्पादित किया है, यद्यपि यह समझौता हमारे निष्कर्ष का आधार नहीं है ।

28. अतः, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश की अभिपुष्टि करते हैं । अपीलार्थियों को तुरंत अभिरक्षा से उन्मोचित किया जाए ।

29. तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है । लंबित आवेदनों, यदि कोई हैं, का भी निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

---

## प्राणबन्धु प्रधान उर्फ जबड़ू और एक अन्य

बनाम

## उड़ीसा राज्य

तारीख 19 अप्रैल, 2018

**न्यायमूर्ति एस. के. साहू**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366 – विवाह के लिए विवश करने हेतु 15 वर्षीय अभियोक्त्री का व्यपहरण किए जाने का अभिकथन – अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध, अभियोक्त्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यपहृत किए जाने का कोई भी साक्ष्य न होना – अभियोक्त्री पर अपीलार्थियों द्वारा बल का प्रयोग न किया जाना और न ही उसे उत्प्रेरित किया जाना – अपीलार्थियों ने आहत पर ऐसे किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया है कि वह अपने माता-पिता का घर छोड़कर बाहर आए, यहां तक कि जब वह अपीलार्थियों के साथ जा रही थी तब भी उसने अपीलार्थियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, अतः किसी भी स्पष्ट कृत्य के अभाव में उनकी दोषसिद्धि उचित नहीं है ।**

**दंड संहिता, 1860 – धारा 376 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313] – बलात्संग – अभियुक्त की परीक्षा – अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियुक्त से कोई भी प्रश्न न पूछना और उसे स्पष्टीकरण का अवसर न दिया जाना – अपीलार्थी महेन्द्र को उसके विरुद्ध रखी गई परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने से वंचित रखा गया है और उसके साथ गंभीर रूप से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया है, अतः अभियोजन पक्ष द्वारा आहत की आयु के संबंध में अभियुक्त के समक्ष रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए अपीलार्थी महेन्द्र की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।**

**दंड संहिता, 1860 – धारा 375 और 376 (2013 के संशोधन अधिनियम 13 के पूर्व) – बलात्संग – सहमति – अभियोक्त्री का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभियुक्तों के साथ जाना – अभियोक्त्री का संभोग के लिए आपत्ति न करना – अभियोक्त्री के गुप्तांगों पर क्षति का**

**न पाया जाना – अभियोक्त्री की आयु का सटीक निर्धारण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं किया गया है और वह वैवेकिक आयु को पहुंची हुई प्रतीत होती है, अतः अभियोक्त्री ने अपनी इच्छा से संभोग किया है, इसलिए व्यपहरण या बलात्संग जैसे किसी भी अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि उचित नहीं है ।**

अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा ने दांडिक अपील सं. 59/2008 और अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत (जेल से) ने दांडिक अपील सं. 36/2008, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा 2002 के सेशन विचारण मामला सं. 148/26 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 366 के अधीन दंडनीय उस अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध फाइल की हैं जिसके संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 16/17 जनवरी, 2000 को रात्रि में ग्राम जमुतपाली में अपीलार्थियों ने आहत का व्यपहरण बलपूर्वक संभोग करने के आशय से किया और यह जानते हुए ऐसा किया कि उसे अवैध संभोग के लिए विलुब्ध किया जा सकता है । इन अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में अनुसूचित जाति अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(1)(xii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था । अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आहत के साथ बलात्संग कारित करने के अपराध के लिए भी आरोपित किया गया है । अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान और बालाराम रावत को दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन भी आरोपित किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 22 नवंबर, 2007 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अधीन दोषमुक्त कर दिया था और अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान और अपीलार्थी बालाराम रावत को दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषमुक्त कर दिया था । तथापि, अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा को दंड संहिता की धारा 366 और 376 के अधीन दोषी पाया गया और अपीलार्थी प्राणबन्धु **उर्फ** जबड़ू तथा अपीलार्थी बालाराम रावत को दंड संहिता की धारा 366/34 के अधीन दोषी पाया गया ।

अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन सात वर्ष के कठोर कारावास और सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया और इन सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया । फाल्गुनी बरीहा (अभि. सा. 1) द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 8) पुलिस थाना गैसलात में तारीख 17 जनवरी, 2001 को दर्ज कराई गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि 12/13 जनवरी, 2001 की मध्य रात्रि में भोजन करने के पश्चात् इत्तिलाकर्ता और उसकी पुत्री (जिसे इसमें इसके पश्चात् आहत कहा गया है) आयु लगभग 15 वर्ष अपने कमरे में सो रहे थे । मध्यरात्रि में जब इत्तिलाकर्ता जब सोकर उठी तो उसने यह देखा कि आहत घर में मौजूद नहीं है । अत्यधिक तलाश किए जाने के बावजूद इत्तिलाकर्ता आहत का पता न लगा सकी और तद्नुसार उसने पुलिस थाना गैसलात में रिपोर्ट दर्ज कराई । इसके पश्चात् उसे यह पता चला कि अपीलार्थी महेन्द्र ने आहत का व्यपहरण किया है और वह उसे रायपुर ले गया है और घटना के दिन से ही उक्त अपीलार्थी अपने घर पर मौजूद नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि घटना के दिन प्रातःकाल अपीलार्थी महेन्द्र इत्तिलाकर्ता के घर आया और आहत से बातें करने लगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता और आहत का संबंध अनुसूचित जनजाति समुदाय से है और अपीलार्थी महेन्द्र ब्राह्मण जाति से है । भिकारी चरन दास (अभि. सा. 11) ने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) के मौखिक साक्ष्य को लिखा है और उसे पढ़कर सुनाया है और रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को समझाया भी है और इत्तिलाकर्ता द्वारा इस रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु के सही पाए जाने पर उसने उस पर अपने बाएं अंगूठे की छाप लगाई है और इसके पश्चात् लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना गैसलात के भारसाधक अधिकारी अशोक कुमार दास (अभि. सा. 14) के समक्ष प्रस्तुत की । इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर तारीख 17 जनवरी, 2001 को दंड संहिता की धारा 366 और अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी महेन्द्र के विरुद्ध पुलिस थाना गैसलात में मामला सं. 5/2001 दर्ज किया गया । थाने के भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 14) ने इस मामले में अन्वेषण

किया । इस साक्षी ने इत्तिलाकर्ता से पूछताछ की और आहत के घर गया और वहां पर स्थल नक्शा (प्रदर्श 9) तैयार किया । इस साक्षी ने अन्य साक्षियों की भी परीक्षा की । इसके पश्चात् उसे पुलिस थाना गुदियारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत कांस्टेबल से अपीलार्थी और आहत के पुलिस थाने में अवरुद्ध किए जाने की सूचना मिली । अभि. सा. 14 गुदियारी पुलिस थाने के लिए रवाना हुआ और उसने पुलिस थाना गुदियारी में अपीलार्थियों को अवरुद्ध पाया और आहत महिला पुलिस, रायपुर में अवरुद्ध पाई गई । अभि. सा. 14 ने आहत और अपीलार्थियों की परीक्षा की, आहत द्वारा पहने गए वस्त्रों को अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 1) के अनुसार अभिगृहीत किया । इस साक्षी ने अपीलार्थी महेन्द्र द्वारा पहने गए कपड़ों को अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2) के अधीन अभिगृहीत किया । इस साक्षी ने तारीख 21 जनवरी, 2001 को अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया और आहत कन्या और अपीलार्थी महेन्द्र को एस. डी. अस्पताल, पदमपुर चिकित्सा उपचार के लिए भेज दिया । अपीलार्थियों को तारीख 22 जनवरी, 2001 को न्यायालय भेज दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर द्वारा आहत कन्या का कथन अभिलिखित किया गया । अभि. सा. 14 ने पंचायत हाईस्कूल, जमुतपाली से, जहां पर आहत शिक्षा ग्रहण कर रही थी, दाखिला रजिस्टर, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र पंचायत हाईस्कूल जमुतपाली के प्रधानाध्यापक से अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 3) के अनुसार प्राप्त किया और स्कूल रजिस्टर से यह सुनिश्चित किया गया कि आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है और इसीलिए, घटना के समय आहत की आयु 14 वर्ष और 10 दिन पाई गई । अभि. सा. 14 ने आहत और महेन्द्र की चिकित्सा रिपोर्टें प्राप्त कीं । इस साक्षी ने गैसलात के रिजर्व निरीक्षक के पास अध्यपेक्षा भेजी कि आहत और अपीलार्थियों के जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाएं और तद्नुसार उसने वे प्रमाणपत्र प्राप्त किए । तारीख 1 मई, 2001 को उपखण्ड पुलिस अधिकारी, पदमपुर श्री के. सी. मोहन्ती ने इस मामले का अन्वेषण संभाला, आहत और अन्य साक्षियों की पुनः परीक्षा की और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् उसने तारीख 17 मई, 2001 को दंड संहिता की धारा 366/376/120ख और अनुसूचित जाति अधिनियम की

धारा 3(1)(xii) के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया जहां पर विद्वान् सेशन विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को तारीख 15 मार्च, 2004 को उपरोक्त रूप में आरोपित किया और चूंकि अपीलार्थियों ने सभी आरोपों से इनकार किया, दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की, इसलिए सेशन विचारण प्रक्रिया का अवलंब लेते हुए उनका अभियोजन किया गया और उनको दोषसिद्ध किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और बालाराम, जिन्होंने दांडिक अपील सं. 36/2008 फाइल की है और जिन्हें दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366 के अधीन दोषी पाया गया है, के विरुद्ध साक्ष्य पर विचार करने पर आहत के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी महेन्द्र ने आहत को पत्र दिया था कि वह उससे विवाह करेगा और तारीख 12 जनवरी, 2001 को शुक्रवार के दिन उसने आहत से कहा कि वह रात्रि 12 बजे घर के बाहर उसकी प्रतीक्षा करेगा । आहत ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी महेन्द्र उसी के ग्राम का रहने वाला है और उसका घर आहत के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और आहत ने अपीलार्थी महेन्द्र को एक पत्र भी दिया था और रायपुर जाने के पूर्व आहत और अपीलार्थी महेन्द्र के बीच पत्राचार भी हुआ था । आहत ने यह भी कथन किया है कि जब वह अर्धरात्रि में घर से बाहर आई, उसकी माता और बहिन घर में सो रहे थे और जब वह घर के पिछवाड़े में गई, उसने देखा कि अभियुक्त उसके घर के पिछवाड़े में खड़े हुए हैं और इसके पश्चात् आहत अपने कपड़े और धन अपने घर से ले आई और इसके बाद वह अभियुक्तों के साथ पैदल-पैदल दीप्तिपुर चली गई और वहां से वे बस से सवार होकर बारगढ़ आ गए और इसके पश्चात् बारगढ़ से रायपुर पहुंच गए, उन्होंने रायपुर में किराए पर एक मकान लेने के लिए तलाश किया और किराए के मकान में आहत अपीलार्थी महेन्द्र के साथ रहने लगी जबकि अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत एक अन्य कमरे में रहने लगे

और उन्होंने साथ मिलकर भोजन तैयार किया और खाया । आहत की माता (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि जब पुलिस ने अपीलार्थी महेन्द्र की अभिरक्षा से उसकी पुत्री बरामद की तब पूछताछ किए जाने पर आहत ने उसे बताया कि अपीलार्थी महेन्द्र उसे भूलेकरी ले गया था । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि घटना के पूर्व उसने अपीलार्थी महेन्द्र को आहत के घर की ओर आते हुए देखा था और वह आहत से बातें भी कर रहा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट केवल अपीलार्थी महेन्द्र के विरुद्ध दर्ज कराई गई । अतः, आहत तथा अन्य साक्षियों का संचयी साक्ष्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी महेन्द्र की इस घटना में मुख्य भूमिका है । उसने न केवल आहत को विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए पत्र लिखा था अपितु उसने आहत से घटना वाले दिन यह भी कहा था कि वह रात में 12 बजे घर के बाहर उसकी प्रतीक्षा करेगा । वह आहत को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया और उसने उसके साथ एक ही कमरे में वास किया जो उसने रायपुर में किराए पर लिया था । आहत ने अपनी माता के समक्ष यह भी प्रकट किया कि अपीलार्थी महेन्द्र उसे लेकर गया था । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत करते हुए, मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत आहत और महेन्द्र के साथ थे और वे हर जगह साथ-साथ ही रहे जैसा कि आहत के साक्ष्य से विदित है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने आहत का व्यपहरण करने में कोई विशेष भूमिका अदा की है । यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी महेन्द्र और आहत के बीच बातचीत हुई थी और उन्होंने यह तय कर लिया था कि आहत अर्धरात्रि में विधिक संरक्षा अर्थात् अपने माता-पिता के यहां से बाहर निकल आएगी और अपीलार्थी महेन्द्र के साथ चली जाएगी । अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और बालाराम रावत ने इस योजना में भाग नहीं लिया था । उन्होंने आहत पर किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया है कि वह अपने माता-पिता का घर छोड़कर बाहर आए यहां तक कि जब वे साथ-साथ जा रहे थे तब भी आहत ने इन दो अपीलार्थियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी, महेन्द्र और आहत के साथ रायपुर गए थे और उनके साथ एक अलग कमरे में ठहरे थे, किसी भी स्पष्ट कृत्य के अभाव में मेरा यह मत है कि दंड संहिता की धारा 366 के अधीन इन अपीलार्थियों के

विरुद्ध अपराध नहीं बनता है । अतः, दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है । तद्नुसार, जेल अपील सं. 36/2008 मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366 के अधीन अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं और उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । (पैरा 8)

अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर, जहां तक आहत की आयु का संबंध है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभि. सा. 1 ने यह उल्लेख किया है कि आहत की आयु 15 वर्ष है । अपने साक्ष्य में, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि आहत की आयु 14 वर्ष थी । आहत की बड़ी बहिन (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 3 का विवाह 4 वर्ष पूर्व हुआ था और विवाह के समय उसकी आयु 20 वर्ष थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आहत उससे छह वर्ष छोटी है । अतः, अभि. सा. 3 के साक्ष्य के अनुसार आहत की आयु अभि. सा. 3 के न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिए जाने पर 18 वर्ष थी और यदि यह घटना अभि. सा. 3 के अभिसाक्ष्य देने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व की है, तब घटना के समय आहत की आयु लगभग 15 वर्ष होनी चाहिए । आहत की परीक्षा अभि. सा. 9 के रूप में कराई गई है जिसमें यह कथन किया है कि उस समय उसकी आयु 15 वर्ष थी जब उसे रायपुर ले जाया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसकी आयु उस समय 15 वर्ष थी जब यह घटना घटित हुई थी और वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी । आहत को उसकी परीक्षा के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि उसकी आयु उस समय 19 वर्ष थी जब उसे अपीलार्थी महेन्द्र द्वारा रायपुर ले जाया गया था किन्तु आहत ने इस सुझाव से इनकार किया है । अभियोजन पक्ष द्वारा आहत की आयु के संबंध में कोई भी अन्य मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन में अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा से यह प्रश्न पूछा गया है कि आहत की आयु जनवरी,

2001 में 15 वर्ष थी और अपीलार्थी ने यह उत्तर दिया है कि उसकी आयु 16 से 17 वर्ष हो सकती है । दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 5 ने पंचायत हाईस्कूल जमुतपाली के दाखिला रजिस्टर को अभिगृहीत किए जाने और उक्त स्कूल के हेड-मास्टर (अभि. सा. 6) द्वारा साक्ष्य दिए जाने के संबंध में अपना कथन दिया है । अभि. सा. 15 इस स्कूल में का अध्यापक है और इस साक्षी ने स्कूल के दाखिला रजिस्टर तथा आहत के स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र को साबित किया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 14) ने यह कथन किया है कि दाखिला रजिस्टर से यह सुनिश्चित हो गया है कि आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है, अतः स्कूल के दाखिला रजिस्टर के अनुसार आहत की आयु घटना के दिन 14 वर्ष 8 मास और 10 दिन थी । अभि. सा 15 ने यह भी कथन किया है कि आहत ने जमुतपाली ने यू. जी. एम. ई. स्कूल से स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् तारीख 14 जुलाई, 1998 को जमुतपाली सरकारी हाईस्कूल में कक्षा 8 में दाखिला लिया और इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि प्रदर्श 10 और प्रदर्श 11 के अनुसार आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है । अतः, स्कूल के दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आहत की घटना के समय आयु 16 वर्ष से कम थी । किसी भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा से ऐसी कोई सामग्री प्रकट नहीं हुई है जिसमें स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को अभिगृहीत किए जाने की बात कही गई हो जिससे यह दर्शित होता हो कि स्कूल के दाखिला रजिस्टर में जन्मतिथि को लेकर की गई प्रविष्टि गलत है । अतः, न केवल मौखिक साक्ष्य अपितु स्कूल से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह उपदर्शित होता है कि आहत की आयु घटना के समय 14 वर्ष से कम थी । चिकित्सक (अभि. सा. 8) के साक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि इस साक्षी ने आहत की आयु का निर्धारण एक्स-रे में दर्शायी गई आहत की अस्थियों की दशा के आधार पर किया है जिससे यह उपदर्शित होता है कि उसकी चिकित्सा परीक्षा के समय उसकी आयु 17 वर्ष थी । स्कूल के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य जो अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष

निकलता है कि घटना के समय आहत की आयु 16 वर्ष से कम थी । अपीलार्थी महेन्द्र के कथन पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि इस प्रकृति के मामले में भी आहत की आयु एक सुसंगत कारक है और विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने आहत की आयु आहत और उसके परिवार के सदस्यों के मौखिक साक्ष्य, स्कूल से अभिगृहीत किए गए दस्तावेजों तथा चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर 16 वर्ष से कम पाई है किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा किए जाने के समय अपीलार्थी महेन्द्र के समक्ष उपरोक्त किसी भी साक्ष्य को लेकर कोई भी विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का आशय न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधे बातचीत कराना है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा मात्र औपचारिकता नहीं है । अभियुक्त के समक्ष प्रश्नों का रखा जाना और उसके द्‌वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है । अभियुक्त को उसके विरुद्ध रखी गई सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे जाने के दौरान अभियुक्त की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह उससे संबद्ध सभी अपराधजन्य परिस्थितियों को स्पष्ट करे और न्यायालय को चाहिए कि वह अभियुक्त द्‌वारा दिए गए उस स्पष्टीकरण पर विचार करे । विचारण न्यायाधीश के लिए यह आज्ञापक है कि वह विचारण किए जा रहे अभियुक्त के समक्ष ऐसे प्रत्येक साक्ष्य को रखे जो उसके प्रति अपराधजन्य हो और वह अभियुक्त से उसका उत्तर लेने की भी ईप्सा करेगा । अभियुक्त इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर ले भी सकता है और नहीं भी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन यदि अभियुक्त के समक्ष अपराधजन्य परिस्थितियां नहीं रखी जाती हैं तब उनका प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता । इस मामले में आहत की आयु को लेकर सभी पहलू विचारण न्यायालय द्‌वारा अपीलार्थी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के दौरान उसकी परीक्षा किए जाने के समय पर नहीं रखे गए हैं और मात्र एक प्रश्न किया गया है जो कि ऊपर उल्लिखित प्रश्न सं. 3 है । मेरा यह मत है कि अपीलार्थी महेन्द्र को अपने विरुद्ध रखी गई परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने से वंचित रखा गया है और यत् द्‌वारा

उसके साथ गंभीर रूप से दुर्भावनापूर्ण कार्य किया गया है । अतः, अभियोजन पक्ष द्वारा, आहत की आयु के संबंध में अभियुक्त के समक्ष रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई यह दलील कि अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाने में घोर अन्याय किया गया है और मात्र एक औपचारिक कथन अभिलिखित किया गया है और इस दलील में हमें पर्याप्त रूप से बल दिखाई देता है । (पैरा 9)

अपीलार्थी महेन्द्र की दोषसिद्धि इस आधार पर की गई है कि आहत को घटना के समय 16 वर्ष की आयु से कम अभिनिर्धारित किया गया है । आहत की आयु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रयोग अभियुक्त के विरुद्ध न किए जाने से यह कहा जा सकता है अपराध का मूल संघटक जिसके अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है, साबित ही नहीं हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि आहत वैवेकिक आयु को पहुंच चुकी थी और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी समय बिना किसी आपत्ति के अपीलार्थी महेन्द्र के साथ गई । वह रायपुर में अपीलार्थी के साथ कमरे में भी ठहरी और उसने अपीलार्थी के साथ संभोग करने में भी आपत्ति नहीं की और कमरे से तब भी बाहर नहीं आई जब उसके साथ अपीलार्थी द्वारा संभोग करने का प्रयास किया गया था । आहत ने यह कथन किया है कि यदि वह चाहती तो कमरे से बाहर आ सकती थी किन्तु उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि अपीलार्थी ने उसे विवाह का आश्वासन दिया था । आहत की चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने आहत के शरीर पर हाल ही में किए गए संभोग के कोई चिह्न नहीं पाए यद्यपि योनिच्छद विदीर्ण होने के पुराने चिह्न पाए गए । उसके गुप्तांगों पर कोई भी क्षति नहीं पाई गई और सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के दौरान आहत के योनिक लेप में शुक्राणु भी नहीं पाए गए । इस प्रकार, इस साक्ष्य के संचयी प्रभाव से यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी महेन्द्र के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 366 और 376 के अधीन अपराध के आवश्यक अवयवों को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । पूर्वगामी चर्चा को दृष्टिगत करते हुए मेरा यह मत है कि अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा भी संदेह का लाभ पाने का हकदार है । तदनुसार, दाडिंक अपील सं. 59/2008 मंजूर की जाती है । दंड संहिता

की धारा 366 और 376 के अधीन अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा की दोषसिद्धि और दंडादेश एतद्‌द्वारा अपास्त किए जाते हैं और अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । (पैरा 9)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक (जेल) अपील सं. 36.**

2002 के सेशन विचारण मामला सं. 148 में विद्‌वान् अपर सेशन न्यायाधीश, बारगढ़ द्‌वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** श्री देबाशीष पटनायक

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री चिता रंजन स्वेन (अपर स्थायी काउंसेल)

**न्यायमूर्ति एस. के. साहू** – अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा ने दांडिक अपील सं. 59/2008 और अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत (जेल से) ने दांडिक अपील सं. 36/2008, विद्‌वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्‌वारा 2002 के सेशन विचारण मामला सं. 148/26 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 366 के अधीन दंडनीय उस अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध फाइल की हैं जिसके संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 16/17 जनवरी, 2000 को रात्रि में ग्राम जमुतपाली में अपीलार्थियों ने आहत का व्यपहरण बलपूर्वक संभोग करने के आशय से किया और यह जानते हुए ऐसा किया कि उसे अवैध संभोग के लिए विलुब्ध किया जा सकता है । इन अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे संक्षेप में "अनुसूचित जाति अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3(1)(xii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया था । अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आहत के साथ बलात्संग कारित करने के अपराध के लिए भी आरोपित किया गया है । अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान और बालाराम रावत को दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन भी आरोपित किया गया ।

विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 22 नवंबर, 2007 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश द्‌वारा अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अधीन दोषमुक्त कर दिया था और

अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान और अपीलार्थी बालाराम रावत को दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन दोषमुक्त कर दिया था । तथापि, अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा को दंड संहिता की धारा 366 और 376 के अधीन दोषी पाया गया और अपीलार्थी प्राणबन्धु **उर्फ** जबड़ू तथा अपीलार्थी बालाराम रावत को दंड संहिता की धारा 366/34 के अधीन दोषी पाया गया । अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन सात वर्ष के कठोर कारावास और सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया और इन सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया ।

2. फाल्गुनी बरीहा (अभि. सा. 1) द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 8) पुलिस थाना गैसलात में तारीख 17 जनवरी, 2001 को दर्ज कराई गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि 12/13 जनवरी, 2001 की मध्य रात्रि में भोजन करने के पश्चात् इत्तिलाकर्ता और उसकी पुत्री (जिसे इसमें इसके पश्चात् आहत कहा गया है) आयु लगभग 15 वर्ष अपने कमरे में सो रहे थे । मध्यरात्रि में जब इत्तिलाकर्ता जब सोकर उठी तो उसने यह देखा कि आहत घर में मौजूद नहीं है । अत्यधिक तलाश किए जाने के बावजूद इत्तिलाकर्ता आहत का पता न लगा सकी और तद्नुसार उसने पुलिस थाना गैसलात में रिपोर्ट दर्ज कराई । इसके पश्चात् उसे यह पता चला कि अपीलार्थी महेन्द्र ने आहत का व्यपहरण किया है और वह उसे रायपुर ले गया है और घटना के दिन से ही उक्त अपीलार्थी अपने घर पर मौजूद नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि घटना के दिन प्रातःकाल अपीलार्थी महेन्द्र इत्तिलाकर्ता के घर आया और आहत से बाते करने लगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता और आहत का संबंध अनुसूचित जनजाति समुदाय से है और अपीलार्थी महेन्द्र ब्राह्मण जाति से है ।

भिकारी चरन दास (अभि. सा. 11) ने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) के मौखिक साक्ष्य को लिखा है और उसे पढ़कर सुनाया है और रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को समझाया भी है और इत्तिलाकर्ता द्वारा इस रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु के सही पाए जाने पर उसने उस पर अपने बाएं अंगूठे की

छाप लगाई है और इसके पश्चात् लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना गैसलात के भारसाधक अधिकारी अशोक कुमार दास (अभि. सा. 14) के समक्ष प्रस्तुत की । इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर तारीख 17 जनवरी, 2001 को दंड संहिता की धारा 366 और अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी महेन्द्र के विरुद्ध पुलिस थाना गैसलात में मामला सं. 5/2001 दर्ज किया गया । थाने के भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 14) ने इस मामले में अन्वेषण किया । इस साक्षी ने इत्तिलाकर्ता से पूछताछ की और आहत के घर गया और वहां पर स्थल नक्शा (प्रदर्श 9) तैयार किया । इस साक्षी ने अन्य साक्षियों की भी परीक्षा की । इसके पश्चात् उसे पुलिस थाना गुदियारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत कांस्टेबल से अपीलार्थी और आहत के पुलिस थाने में अवरुद्ध किए जाने की सूचना मिली । अभि. सा. 14 गुदियारी पुलिस थाने के लिए रवाना हुआ और उसने पुलिस थाना गुदियारी में अपीलार्थियों को अवरुद्ध पाया और आहत महिला पुलिस, रायपुर में अवरुद्ध पाई गई । अभि. सा. 14 ने आहत और अपीलार्थियों की परीक्षा की, आहत द्वारा पहने गए वस्त्रों को अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 1) के अनुसार अभिगृहीत किया । इस साक्षी ने अपीलार्थी महेन्द्र द्वारा पहने गए कपड़ों को अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2) के अधीन अभिगृहीत किया । इस साक्षी ने तारीख 21 जनवरी, 2001 को अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया और आहत कन्या और अपीलार्थी महेन्द्र को एस. डी. अस्पताल, पदमपुर चिकित्सा उपचार के लिए भेज दिया । अपीलार्थियों को तारीख 22 जनवरी, 2001 को न्यायालय भेज दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर द्वारा आहत कन्या का कथन अभिलिखित किया गया । अभि. सा. 14 ने पंचायत हाईस्कूल, जमुतपाली से, जहां पर आहत शिक्षा ग्रहण कर रही थी, दाखिला रजिस्टर, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र पंचायत हाईस्कूल जमुतपाली के प्रधानाध्यापक से अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 3) के अनुसार प्राप्त किया और स्कूल रजिस्टर से यह सुनिश्चित किया गया कि आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है और इसीलिए, घटना के समय आहत की आयु 14 वर्ष और 10 दिन पाई गई । अभि. सा. 14 ने आहत और महेन्द्र की चिकित्सा रिपोर्टें प्राप्त कीं । इस साक्षी ने

गैसलात के रिजर्व निरीक्षक के पास अध्यपेक्षा भेजी कि आहत और अपीलार्थियों के जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाएं और तद्नुसार उसने वे प्रमाणपत्र प्राप्त किए । तारीख 1 मई, 2001 को उपखण्ड पुलिस अधिकारी, पदमपुर श्री के. सी. मोहन्ती ने इस मामले का अन्वेषण संभाला, आहत और अन्य साक्षियों की पुनः परीक्षा की और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् उसने तारीख 17 मई, 2001 को दंड संहिता की धारा 366/376/120ख और अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

3. आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया जहां पर विद्वान् सेशन विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को तारीख 15 मार्च, 2004 को उपरोक्त रूप में आरोपित किया और चूंकि अपीलार्थियों ने सभी आरोपों से इनकार किया, दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की, इसलिए सेशन विचारण प्रक्रिया का अवलंब लेते हुए उनका अभियोजन किया गया और उनका दोष सिद्ध किया गया ।

4. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 15 साक्षियों की परीक्षा कराई ।

फाल्गुनी बरीहा (अभि. सा. 1) आहत की माता है और इस मामले में इत्तिलाकर्ता भी है । इस साक्षी ने आहत के घर से लापता होने और रायपुर में अपीलार्थी महेन्द्र की अभिरक्षा से आहत के बरामद होने के बारे में साक्ष्य दिया है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उस समय आहत की आयु लगभग 14 वर्ष थी जब अपीलार्थी महेन्द्र उसे लेकर गया था ।

मालती बरीहा (अभि. सा. 2) आहत की चाची है जिसने यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी महेन्द्र को आहत के घर से आते हुए और उससे बात करते हुए देखा ।

जसोदा बरीहा (अभि. सा. 3) आहत की बड़ी बहिन है और इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे अपनी माता से यह पता चलने के पश्चात् कि आहत लापता है, वह अन्य व्यक्तियों के साथ उसे तलाश

करने गई थी ।

जोसेफ डिप (अभि. सा. 4) पुलिस थाना गैसलात से संबद्ध ग्रामराखी है और वह आहत तथा अपीलार्थी महेन्द्र के पहने हुए कपड़ों को अभिग्रहण सूची क्रमशः प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 के अनुसार अभिगृहीत किए जाने का साक्षी है ।

नारायण बाग (अभि. सा. 5) पंचायत हाईस्कूल, जमुतपाली में कार्यरत चपरासी है जिसने अभिग्रहण सूची प्रदर्श 3 के अनुसार स्कूल के दाखिला रजिस्टर को अभिगृहीत किए जाने के संबंध में कथन किया है ।

प्रफुल्ल दन्दासन (अभि. सा. 6) पंचायत हाईस्कूल जमुतपाली का प्रधानाध्यापक है और इस साक्षी ने जमुतपाली उत्तर प्रदेश स्कूल से दाखिला रजिस्टर और स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र पुलिस द्वारा अभिगृहीत किए जाने के संबंध में कथन किया है । इस साक्षी ने रजिस्टर और प्रमाणपत्र अपनी जिम्मेदारी पर जिम्मानामा (प्रदर्श 4) के अनुसार प्राप्त किए ।

डा. सुबर्न चन्द्र पांडा (अभि. सा. 7) पदमपुर अस्पताल में कार्यरत चिकित्साधिकारी है और इस साक्षी ने अपीलार्थी महेन्द्र की चिकित्सा परीक्षा पुलिस के कहने पर की है और यह पाया है कि उसके शरीर पर हाल ही में किए गए संभोग के कोई चिह्न नहीं हैं और तद्नुसार, इस साक्षी ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श 5) प्रस्तुत की है ।

डा. सबिता बोहिदर (अभि. सा. 8) एस. डी. अस्पताल, पदमपुर में सहायक शल्य-चिकित्सक है जिसने पुलिस की अध्यपेक्षानुसार आहत की चिकित्सा परीक्षा की और विभिन्न अस्थियों के एक्स-रे प्लेटों का परिशीलन करने के पश्चात् आहत की आयु लगभग 17 वर्ष पाई गई और उसके शरीर पर हाल ही में किए गए मैथुन का कोई चिह्न नहीं पाया गया और न ही उसके गुप्तांग पर किसी प्रकार की कोई क्षति पाई गई । इस साक्षी ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श 6) साबित की है ।

अभि. सा. 9 आहत है और उसने घटना का विस्तार से वर्णन किया है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके पहने हुए वस्त्र पुलिस द्वारा अभिग्रहण सूची प्रदर्श 1 के अनुसार अभिगृहीत किए गए

थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब उसे रायपुर ले जाया गया था तब उसकी आयु 14 से 15 वर्ष के बीच थी ।

बेनुधर देबता (अभि. सा. 10) गैसलात का रिजर्व इंस्पैक्टर है जिसने आहत कन्या और अपीलार्थी के जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं और इस साक्षी के अनुसार आहत अनुसूचित जाति की है और उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 7 साबित की है ।

भिकारी चरन दास (अभि. सा. 11) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी है ।

गौरी शंकर प्रधान (अभि. सा. 12) अन्वेषण अधिकारी के साथ आहत कन्या को ढूंढने रायपुर गया था और उसने आहत को महिला पुलिस थाने में पाया जहां पर आहत ने इस घटना के बारे में बताया ।

बिहारी कुम्भर (अभि. सा. 13) पुलिस थाना गैसलात के अधीन ग्रामराखी है और इस साक्षी ने भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिग्रहण सूची प्रदर्श 1 के अनुसार आहत के पहने हुए कपड़े अभिगृहीत किए जाने के संबंध में कथन किया है ।

अशोक कुमार दास (अभि. सा. 14) पुलिस थाना गैसलात का भारसाधक अधिकारी है और उसने इस मामले में अन्वेषण किया है ।

मनरंजन प्रधान (अभि. सा. 15) जमुतपाली हाईस्कूल में अध्यापक है और इस साक्षी ने स्कूल के दाखिला रजिस्टर को साबित किया है और यह कथन किया है कि आहत की जन्मतिथि स्कूल के दाखिला रजिस्टर के अनुसार 7 मई, 1986 है ।

अभियोजन पक्ष ने दस दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं । प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 क्रमशः आहत और अपीलार्थी महेन्द्र के पहने हुए वस्त्र हैं, प्रदर्श 3 पंचायत हाईस्कूल, जमुतपाली के दाखिला रजिस्टर और स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र की अभिग्रहण सूची है, प्रदर्श 4 जिमनामा है जो प्रदर्श 3 के अधीन अभिगृहीत किए गए दस्तावेजों के संबंध में तैयार किया गया है, प्रदर्श 5 अपीलार्थी महेन्द्र की चिकित्सा रिपोर्ट है, प्रदर्श 6 आहत की चिकित्सा रिपोर्ट है, प्रदर्श 7 रिजर्व निरीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट

है । प्रदर्श 8 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है, प्रदर्श 9 स्थल नक्शा है, प्रदर्श 10 दाखिला रजिस्टर है और प्रदर्श 11 स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र है ।

5. अपीलार्थियों ने प्रतिरक्षा में अभियोजन पक्ष की सभी बातों से इनकार करते हुए अभिवाक् किया है । आहत को यह सुझाव दिया गया है कि जब वह अपीलार्थी महेन्द्र के साथ रायपुर गई थी उस समय उसकी आयु 19 वर्ष थी और उसने पत्र लिखकर अपीलार्थी से विवाह करने का आग्रह किया था तथा अपनी सहमति से उसने अपीलार्थी के साथ मैथुन किया था । आहत ने इन सुझावों से इनकार किया है ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श 6 और एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित आहत की शारीरिक दशा का संचयी रूप से निर्धारण करने पर यह पता चलता है कि आहत की आयु उसके द्वारा कथन दिए जाने के समय पर 14 वर्ष से अधिक और 17 वर्ष से कम थी । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 9 के मौखिक साक्ष्य पर प्रदर्श 6, प्रदर्श 10 और प्रदर्श 11/1 को ध्यान में रखते हुए विचार करने पर आहत की आयु को लेकर केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि उसकी आयु 16 वर्ष से कम है जो कि मामले की इस पृष्ठभूमि में अत्यंत संभावी है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आहत की माता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत की आयु घटना के समय 14 वर्ष थी और उस समय वह कक्षा 8 की छात्रा थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि आहत की आयु 18 वर्ष से ही कम नहीं अपितु 16 वर्ष से भी कम साबित की गई है । अभियुक्तों को अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के अधीन और अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबडू और अपीलार्थी बालाराम रावत को दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन अपराध से दोषमुक्त करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप बनता है और दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी महेन्द्र के विरुद्ध अपराध साबित हुआ है और तद्नुसार विचारण न्यायालय ने इन अपराधों के

लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

7. चूंकि दांडिक अपील सं. 36/2008 में अपीलार्थियों की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ है, इसलिए श्री देबाशीष पटनायक जो अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा की ओर से दांडिक अपील सं. 59/2008 में हाजिर हो रहे थे, को दांडिक अपील सं. 36/2008 में के दो अपीलार्थियों के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है । उन्होंने निर्णय, आहत और अन्य साक्षियों के कथन प्रस्तुत किए हैं और यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष कोई भी सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि अभिकथित घटना के समय आहत की आयु 16 वर्ष से कम थी । यह भी दलील दी गई है कि (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित) अभियुक्त के कथन में सुसंगत प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जिससे घोर अन्याय हुआ है और अपीलार्थी अपने विरुद्ध रखी गई परिस्थितियों को स्पष्ट करने से वंचित रहे हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अपराध के संघटक साबित नहीं किए गए हैं, अतः अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिए जाने के लिए यह एक उचित मामला है ।

दूसरी ओर, राज्य के विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल श्री चिता रंजन स्वेन ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि दस्तावेजी साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि घटना के समय आहत की आयु 16 वर्ष से कम थी और इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में आयु को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आई है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि जिस रीति में अपराध कारित किया गया प्रतीत होता है, उसे ध्यान में रखते हुए आहत का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वासप्रद है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 366 और अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है, अतः, अपीलें खारिज की जानी चाहिए ।

8. अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और बालाराम, जिन्होंने

दांडिक अपील सं. 36/2008 फाइल की है और जिन्हें दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366 के अधीन दोषी पाया गया है, के विरुद्ध साक्ष्य पर विचार करने पर आहत के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी महेन्द्र ने आहत को पत्र दिया था कि वह उससे विवाह करेगा और तारीख 12 जनवरी, 2001 को शुक्रवार के दिन उसने आहत से कहा कि वह रात्रि 12 बजे घर के बाहर उसकी प्रतीक्षा करेगा । आहत ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी महेन्द्र उसी के ग्राम का रहने वाला है और उसका घर आहत के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और आहत ने अपीलार्थी महेन्द्र को एक पत्र भी दिया था और रायपुर जाने के पूर्व आहत और अपीलार्थी महेन्द्र के बीच पत्राचार भी हुआ था । आहत ने यह भी कथन किया है कि जब वह अर्धरात्रि में घर से बाहर आई, उसकी माता और बहिन घर में सो रहे थे और जब वह घर के पिछवाड़े में गई, उसने देखा कि अभियुक्त उसके घर के पिछवाड़े में खड़े हुए हैं और इसके पश्चात् आहत अपने कपड़े और धन अपने घर से ले आई और इसके बाद वह अभियुक्तों के साथ पैदल-पैदल दीप्तिपुर चली गई और वहां से वे बस से सवार होकर बारगढ़ आ गए और इसके पश्चात् बारगढ़ से रायपुर पहुंच गए, उन्होंने रायपुर में किराए पर एक मकान लेने के लिए तलाश किया और किराए के मकान में आहत अपीलार्थी महेन्द्र के साथ रहने लगी जबकि अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत एक अन्य कमरे में रहने लगे और उन्होंने साथ मिलकर भोजन तैयार किया और खाया ।

आहत की माता (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि जब पुलिस ने अपीलार्थी महेन्द्र की अभिरक्षा से उसकी पुत्री बरामद की तब पूछताछ किए जाने पर आहत ने उसे बताया कि अपीलार्थी महेन्द्र उसे भूलेकरी ले गया था । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि घटना के पूर्व उसने अपीलार्थी महेन्द्र को आहत के घर की ओर आते हुए देखा था और वह आहत से बातें भी कर रहा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट केवल अपीलार्थी महेन्द्र के विरुद्ध दर्ज कराई गई । अतः, आहत तथा अन्य साक्षियों का संचयी साक्ष्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी महेन्द्र की इस घटना में मुख्य भूमिका है । उसने न केवल आहत को विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए पत्र लिखा था अपितु उसने आहत से घटना वाले दिन

यह भी कहा था कि वह रात में 12 बजे घर के बाहर उसकी प्रतीक्षा करेगा । वह आहत को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया और उसने उसके साथ एक ही कमरे में वास किया जो उसने रायपुर में किराए पर लिया था । आहत ने अपनी माता के समक्ष यह भी प्रकट किया कि अपीलार्थी महेन्द्र उसे लेकर गया था ।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत करते हुए, मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत आहत और महेन्द्र के साथ थे और वे हर जगह साथ-साथ ही रहे जैसा कि आहत के साक्ष्य से विदित है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने आहत का व्यपहरण करने में कोई विशेष भूमिका अदा की है । यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी महेन्द्र और आहत के बीच बातचीत हुई थी और उन्होंने यह तय कर लिया था कि आहत अर्धरात्रि में विधिक संरक्षा अर्थात् अपने माता-पिता के यहां से बाहर निकल आएगी और अपीलार्थी महेन्द्र के साथ चली जाएगी । अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और बालाराम रावत ने इस योजना में भाग नहीं लिया था । उन्होंने आहत पर किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया है कि वह अपने माता-पिता का घर छोड़कर बाहर आए यहां तक कि जब वे साथ-साथ जा रहे थे तब भी आहत ने इन दो अपीलार्थियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है । मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी, महेन्द्र और आहत के साथ रायपुर गए थे और उनके साथ एक अलग कमरे में ठहरे थे, किसी भी स्पष्ट कृत्य के अभाव में मेरा यह मत है कि दंड संहिता की धारा 366 के अधीन इन अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है ।

अतः, दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

तद्नुसार, जेल अपील सं. 36/2008 मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366 के अधीन अपीलार्थी प्राणबन्धु प्रधान **उर्फ** जबड़ू और अपीलार्थी बालाराम रावत की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं और उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया

जाता है ।

9. अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर, जहां तक आहत की आयु का संबंध है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभि. सा. 1 ने यह उल्लेख किया है कि आहत की आयु 15 वर्ष है । अपने साक्ष्य में, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि आहत की आयु 14 वर्ष थी । आहत की बड़ी बहिन (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 3 का विवाह 4 वर्ष पूर्व हुआ था और विवाह के समय उसकी आयु 20 वर्ष थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि आहत उससे छह वर्ष छोटी है । अतः, अभि. सा. 3 के साक्ष्य के अनुसार आहत की आयु अभि. सा. 3 के न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिए जाने पर 18 वर्ष थी और यदि यह घटना अभि. सा. 3 के अभिसाक्ष्य देने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व की है, तब घटना के समय आहत की आयु लगभग 15 वर्ष होनी चाहिए । आहत की परीक्षा अभि. सा. 9 के रूप में कराई गई है जिसमें यह कथन किया है कि उस समय उसकी आयु 15 वर्ष थी जब उसे रायपुर ले जाया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसकी आयु उस समय 15 वर्ष थी जब यह घटना घटित हुई थी और वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी । आहत को उसकी परीक्षा के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि उसकी आयु उस समय 19 वर्ष थी जब उसे अपीलार्थी महेन्द्र द्वारा रायपुर ले जाया गया था किन्तु आहत ने इस सुझाव से इनकार किया है । अभियोजन पक्ष द्वारा आहत की आयु के संबंध में कोई भी अन्य मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन दिए गए कथन में अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा से यह प्रश्न पूछा गया है कि आहत की आयु जनवरी, 2001 में 15 वर्ष थी और अपीलार्थी ने यह उत्तर दिया है कि उसकी आयु 16 से 17 वर्ष हो सकती है ।

दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 5 ने पंचायत हाईस्कूल जमुतपाली के दाखिला रजिस्टर को अभिगृहीत किए जाने और उक्त स्कूल के हेड-मास्टर (अभि. सा. 6) द्वारा साक्ष्य दिए जाने के संबंध में अपना कथन दिया है । अभि. सा.

15 इस स्कूल में का अध्यापक है और इस साक्षी ने स्कूल के दाखिला रजिस्टर तथा आहत के स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र को साबित किया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 14) ने यह कथन किया है कि दाखिला रजिस्टर से यह सुनिश्चित हो गया है कि आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है, अतः स्कूल के दाखिला रजिस्टर के अनुसार आहत की आयु घटना के दिन 14 वर्ष 8 मास और 10 दिन थी । अभि. सा 15 ने यह भी कथन किया है कि आहत ने जमुतपाली यू. जी. एम. ई. स्कूल से स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् तारीख 14 जुलाई, 1998 को जमुतपाली सरकारी हाईस्कूल में कक्षा 8 में दाखिला लिया और इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि प्रदर्श 10 और प्रदर्श 11 के अनुसार आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है । अतः, स्कूल के दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि आहत की जन्मतिथि 7 मई, 1986 है और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आहत की घटना के समय आयु 16 वर्ष से कम थी । किसी भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा से ऐसी कोई सामग्री प्रकट नहीं हुई है जिसमें स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को अभिगृहीत किए जाने की बात कही गई हो जिससे यह दर्शित होता हो कि स्कूल के दाखिला रजिस्टर में जन्मतिथि को लेकर की गई प्रविष्टि गलत है । अतः, न केवल मौखिक साक्ष्य अपितु स्कूल से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह उपदर्शित होता है कि आहत की आयु घटना के समय 14 वर्ष से कम थी ।

चिकित्सक (अभि. सा. 8) के साक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि इस साक्षी ने आहत की आयु का निर्धारण एक्स-रे में दर्शायी गई आहत की अस्थियों की दशा के आधार पर किया है जिससे यह उपदर्शित होता है कि उसकी चिकित्सा परीक्षा के समय उसकी आयु 17 वर्ष थी ।

स्कूल के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य जो अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना के समय आहत की आयु 16 वर्ष से कम थी ।

अपीलार्थी महेन्द्र के कथन पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है

कि इस प्रकृति के मामले में भी आहत की आयु एक सुसंगत कारक है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने आहत की आयु आहत और उसके परिवार के सदस्यों के मौखिक साक्ष्य, स्कूल से अभिगृहीत किए गए दस्तावेजों तथा चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर 16 वर्ष से कम पाई है किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा किए जाने के समय अपीलार्थी महेन्द्र के समक्ष उपरोक्त किसी भी साक्ष्य को लेकर कोई भी विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया है । अभियुक्त से आहत की आयु से संबंधित मात्र यह प्रश्न पूछा गया है :-

> प्रश्न 3 – जनवरी, 2001 में आहत की आयु 15 वर्ष थी, इस पर आपको क्या कहना है ?
>
> अपीलार्थी द्वारा इस प्रश्न का यह उत्तर दिया गया कि वह नहीं बता सकता किन्तु आहत की आयु 16 से 17 वर्ष के बीच हो सकती है ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का आशय न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधे बातचीत कराना है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा मात्र औपचारिकता नहीं है । अभियुक्त के समक्ष प्रश्नों का रखा जाना और उसके द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है । अभियुक्त को उसके विरुद्ध रखी गई सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे जाने के दौरान अभियुक्त की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह उससे संबद्ध सभी अपराधजन्य परिस्थितियों को स्पष्ट करे और न्यायालय को चाहिए कि वह अभियुक्त द्वारा दिए गए उस स्पष्टीकरण पर विचार करे । विचारण न्यायाधीश के लिए यह आज्ञापक है कि वह विचारण किए जा रहे अभियुक्त के समक्ष ऐसे प्रत्येक साक्ष्य को रखे जो उसके प्रति अपराधजन्य हों और वह अभियुक्त से उसका उत्तर लेने की भी ईप्सा करेगा । अभियुक्त इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर ले भी सकता है और नहीं भी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन यदि अभियुक्त के समक्ष अपराधजन्य परिस्थितियां नहीं रखी जाती हैं तब उनका प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता ।

इस मामले में आहत की आयु को लेकर सभी पहलू विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के दौरान उसकी परीक्षा किए जाने के समय पर नहीं रखे गए हैं और मात्र एक प्रश्न किया गया है जो कि ऊपर उल्लिखित प्रश्न सं. 3 है । मेरा यह मत है कि अपीलार्थी महेन्द्र को अपने विरुद्ध रखी गई परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने से वंचित रखा गया है और यत् द्वारा उसके साथ गंभीर रूप से दुर्भावनापूर्ण कार्य किया गया है । अतः, अभियोजन पक्ष द्वारा, आहत की आयु के संबंध में अभियुक्त के समक्ष रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई यह दलील कि अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाने में घोर अन्याय किया गया है और मात्र एक औपचारिक कथन अभिलिखित किया गया है और इस दलील में हमें पर्याप्त रूप से बल दिखाई देता है ।

अपीलार्थी महेन्द्र की दोषसिद्धि इस आधार पर की गई है कि आहत को घटना के समय 16 वर्ष की आयु से कम अभिनिर्धारित किया गया है । आहत की आयु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रयोग अभियुक्त के विरुद्ध न किए जाने से यह कहा जा सकता है कि अपराध का मूल संघटक जिसके अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है, साबित ही नहीं हुआ है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि आहत वैवेकिक आयु को पहुंच चुकी थी और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी समय बिना किसी आपत्ति के अपीलार्थी महेन्द्र के साथ गई । वह रायपुर में अपीलार्थी के साथ कमरे में भी ठहरी और उसने अपीलार्थी के साथ संभोग करने में भी आपत्ति नहीं की और कमरे से तब भी बाहर नहीं आई जब उसके साथ अपीलार्थी द्वारा संभोग करने का प्रयास किया गया था । आहत ने यह कथन किया है कि यदि वह चाहती तो कमरे से बाहर आ सकती थी किन्तु उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि अपीलार्थी ने उसे विवाह का आश्वासन दिया था । आहत की चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक

ने आहत के शरीर पर हाल ही में किए गए संभोग के कोई चिह्न नहीं पाए यद्यपि योनिच्छद विदीर्ण होने के पुराने चिह्न पाए गए । उसके गुप्तांगों पर कोई भी क्षति नहीं पाई गई और सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के दौरान आहत के योनिक लेप में शुक्राणु भी नहीं पाए गए ।

इस प्रकार, इस साक्ष्य के संचयी प्रभाव से यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी महेन्द्र के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 366 और 376 के अधीन अपराध के आवश्यक अवयवों को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है ।

पूर्वगामी चर्चा को दृष्टिगत करते हुए मेरा यह मत है कि अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा भी संदेह का लाभ पाने का हकदार है । तद्नुसार, दाडिंक अपील सं. 59/2008 मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 366 और 376 के अधीन अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मिश्रा की दोषसिद्धि और दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं और अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

10. मामले का निपटारा करने के पूर्व, मैं जेल अपील सं. 36/2008 में हाजिर होने वाले विद्वान् न्यायमित्र श्री देवाशीष पटनायक द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता हूं जिसकी सहायता से ऊपर उल्लिखित विनिश्चय दिया गया है । विद्वान् न्यायमित्र अपने व्यावसायिक शुल्क के रूप में 5,000/- रुपए की राशि के हकदार होंगे ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

---

## बादल बिस्वास और एक अन्य

बनाम

## पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 31 अगस्त, 2018

**न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 32 और 113ख] – दहेज मृत्यु – ससुराल द्‌वारा मृतका को दहेज के लिए तंग किया जाना और तत्पश्चात् आग में जलाकर उसकी हत्या करना – मृतका के कमरे से मिट्टी के तेल की केन बरामद होना – अन्य कारणों से आग लगने के संबंध में अभियुक्तों द्‌वारा स्पष्टीकरण न दिया जाना – मृत्युकालिक कथन में अभियुक्तों का नामित किया जाना – मृतका को उसके वैवाहिक गृह में ही दाह-क्षतियां पहुंची हैं, मिट्टी के तेल की केन भी उसी स्थान से बरामद की गई है तथा आग लगने का अन्य कोई कारण अभियुक्तों द्‌वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और मृत्युकालिक कथन में अभियुक्तों को आलिप्त किया गया है, अतः, ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।**

**साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – मृतका द्‌वारा अभियुक्तों को स्पष्ट रूप से मृत्युकालिक कथन में आलिप्त किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्‌वारा यह स्पष्ट न किया जाना कि मृतका बोलने की स्थिति में नहीं थी – मृतका को उसके नातेदारों द्‌वारा सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना पर प्रतिरक्षा पक्ष द्‌वारा बल दिया जाना – मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् पढ़कर न सुनाया जाना – मात्र इस कारण से कि आहत के नातेदार उससे मिलने आ सकते थे, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि आहत ने सिखाए-पढ़ाए जाने के पश्चात् कथन दिया है और मात्र इस लोप से मृत्युकालिक कथन निर्बल**

**नहीं हो सकता कि यह मृतका को पढ़कर नहीं सुनाया गया था, अतः अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।**

**दंड संहिता, 1860 – धारा 498क – क्रूरता – घरेलू कार्य को लेकर अपीलार्थियों द्वारा मृतका को तंग किया जाना – पक्षकारों के बीच तनावपूर्ण संबंध होने का साक्ष्य – मृतका की मृत्यु का ससुराल में घटित होना – आहत के ससुरालवाले उसे घरेलू कार्य को लेकर तंग करते थे और उनके बीच सौहार्द संबंध नहीं थे तथा विवाह के थोड़े समय बाद ही दाह क्षतियों के कारण ससुराल में उसकी मृत्यु हुई है, इन परिस्थितियों में अपीलार्थी क्रूरता कारित करने के दोषी हैं ।**

बादल बिस्वास और उसकी पत्नी पारुल बिस्वास तथा उनके पुत्र बसुदेब बिस्वास (जिन्हें संचयी रूप से संक्षेप में 'अभियुक्त' कहा गया है) का विचारण सुसंगत सेशन न्यायाधीश के समक्ष भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 498क/304ख/34 के अधीन किया गया और इसके अनुकल्प में दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन बसुदेब की पत्नी शीला (जिसे संक्षेप में 'आहत' कहा गया है) की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए विचारण किया गया है । इस मामले में तारीख 9 सितंबर, 2015 को सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया गया । विचारण न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बसुदेब संदेह का लाभ पाने का हकदार है और परिणामतः उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में 'संहिता' कहा गया है) की धारा 235(1) के अधीन दोषमुक्त कर दिया गया । जहां तक बादल और पारुल (जिन्हें संक्षेप में संचयी रूप से 'सास-श्वसुर' कहा गया है) का संबंध है, उन्हें दंड संहिता की धारा 498क/302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने का दोषी ठहराया गया है और परिणामस्वरूप तारीख 23 सितंबर, 2015 को दंडादिष्ट किया गया है । दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध के लिए सास-श्वसुर को दो वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन गंभीर अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से जिसका

व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया है । इस आदेश से व्यथित होकर बादल (जिसे संक्षेप में 'अभियुक्त-1' कहा गया है) और पारुल (जिसे संक्षेप में 'अभियुक्त-2' कहा गया है) ने संहिता की धारा 374 की उपधारा (2) द्वारा गारंटीकृत अपील के कानूनी अधिकार का प्रयोग किया । इस अपील की सुनवाई इस न्यायालय की माननीय खण्ड न्यायपीठ द्वारा की गई । इस अपील में तारीख 25 जनवरी, 2017 को निर्णय दिया गया था जिसके द्वारा न्यायपीठ के विद्वान् न्यायाधीशों के बीच मतान्तर प्रकट किया गया । न्यायपीठ के पीठासीन न्यायाधीश ने अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 की दोषसिद्धि कायम रखी जबकि उनके साथी न्यायाधीश ने इस दोषसिद्धि के साथ अपनी सहमति व्यक्त नहीं की । इस प्रकार, संहिता की धारा 392 के अधीन निर्देश फाइल किया गया जिसे माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात् इस न्यायपीठ के समक्ष अपील की सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस संबंध में अत्यंत स्पष्ट है कि आहत को उसके वैवाहिक गृह के अपने ही कमरे में दाह-क्षतियां पहुंची हैं । प्रदर्श 11 के अनुसार बसुदेब उस समय घर पर नहीं था जब अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 द्वारा उसे आग में जलाया गया था और वे खिड़की से कूदकर भाग गए थे । प्रदर्श 2 से यह भी प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 24) ने तारीख 13 दिसंबर, 2009 को घटनास्थल से काले रंग का एक पुराना प्लास्टिक जेरी केन (तात्विक वस्तु-1) अभिगृहीत किया था । इसमें से मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी । अभिग्रहण सूची बिना किसी आक्षेप के साक्ष्य में स्वीकार की गई है । तात्विक वस्तु-1 अर्थात् मिट्टी के तेल की केन जिसमें से मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी, आहत के कमरे में कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंची, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । इस परिस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है । यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि दोषसिद्धि का निर्णय मात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर

अभिलिखित किया जा सकता है, परन्तु यह तब जब कि न्यायालय का इस संबंध में समाधान हो जाए कि वह कथन सत्य और स्वेच्छया दिया गया है । मृत्युकालिक कथन की सत्यता और स्वेच्छा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय अन्य परिस्थितियों पर विचार कर सकता है । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उनके निवास स्थान पर निजी कक्ष में आहत को आग कैसे लगी । यह दलील दी गई है कि अभियुक्तों को मौन रहने का अधिकार है । यद्यपि, ऐसा मौन निश्चायक रूप से यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे आहत की हत्या का अपराध कारित करने के दोषी हैं किन्तु विधिक स्थिति यह है कि इसे अभियुक्तों के विरुद्ध ऐसी परिस्थिति माना जा सकता है जो विवादित नहीं है । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके मकान के निजी भाग में आहत को आग कैसे लगी जबकि घटना के समय वे वहां मौजूद थे और उसके बाद भी वे उपखण्ड अस्पताल अपनी बहु के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए क्यों नहीं गए जो कि ऐसी परिस्थितियों में एक सामान्य प्रतिक्रिया होती, अभियुक्त यह सोचकर अस्पताल नहीं गए थे कि कहीं उनका नाम उस अपराध से न जोड़ दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप आहत की मृत्यु हुई है, यह परिस्थिति साक्ष्य में अत्यंत प्रबल है जिससे यह दर्शित होता है कि ये अभियुक्त इस अपराध के कारित किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं । (पैरा 23, 25, 28, 29 और 32)

आहत को सिखाया-पढ़ाया गया था या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुनिश्चित किया जाना चाहिए । मात्र इस कारण से कि आहत के नातेदार उससे मिलने आ सकते थे, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि आहत ने सिखाए-पढ़ाए जाने के पश्चात् कथन दिया है । साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायपीठ को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि प्रदर्श 11 में उल्लिखित आहत का कथन सिखाया-पढ़ाया नहीं है । लक्ष्मण वाले मामले में किए गए विनिश्चय के पैरा 3 में उल्लिखित मत को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायपीठ को ऐसा कोई संदेह नहीं है कि जिन परिस्थितियों में आहत का कथन अभिलिखित किया गया था वे

ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि प्रदर्श 11 को अविश्वसनीय मानकर त्यक्त कर दिया जाए । चिकित्सक और नर्स (अभि. सा. 17 और अभि. सा. 19) मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के साक्षी नहीं होते यदि मृतका बोलने की स्थिति में नहीं थी । अभि. सा. 15 वह चिकित्सक है जिसने मृतका की शव-परीक्षा की है और इस संबंध में शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 8) तैयार की है । शवपरीक्षण रिपोर्ट में कंठनाल की स्थिति का उल्लेख नहीं किया है । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कंठनाल की स्थिति के संबंध में अभि. सा. 15 से कोई भी साक्ष्य निकलवाने का प्रयास नहीं किया गया है जिससे मृतका की शारीरिक दशा स्पष्ट हो पाती अर्थात् यह निश्चित हो पाता कि वह बोलने की स्थिति में थी या नहीं या वह दाह-क्षतियों के कारण प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में थी या नहीं । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 17 को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि जो कुछ उसने अभिलिखित किया था वह सिखाए-पढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप किया गया था । आहत का मृत्युकालिक कथन जो अभि. सा. 17 द्वारा अभिलिखित किया गया है, विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध किया गया है । छोटे-मोटे विरोधाभास अर्थात् आहत ने अपने पूर्ववर्ती कथन (प्रदर्श 9) में यह नहीं कहा है कि अभियुक्त-2 खिड़की से कूदकर भागा था या यह कि आहत ने यह कथन किया था कि बसुदेब भी दोषी है, से अभियोजन पक्षकथन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । यह ध्यान में रखना चाहिए अभि. सा. 17 आहत की शारीरिक दशा बताने के लिए अत्यंत उचित साक्षी है और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभि. सा. 17 या अभि. सा. 19 के मन में अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी । ऐसी परिस्थितियों के अभाव में जिनसे कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके, अभि. सा. 17 के साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित करना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है कि आहत ने मृत्यु के समय मिथ्या कथन दिया है । मामले की सम्पूर्ण स्थिति, विशेषकर प्रदर्श 11 की सच्चाई को दृष्टिगत करते हुए केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के विरुद्ध धारा 302 के अधीन आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है । यह न्यायपीठ यह मत व्यक्त करने को आनत नहीं है कि

मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 11) अभिलिखित करने में मात्र इस लोप से मृत्युकालिक कथन निर्बल नहीं हो जाता है कि यह उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था और न ही स्पष्ट किया गया था । अभि. सा. 17 और अभि. सा. 19 को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रदर्श 11 पर आहत अर्थात् मृतका के बाएं अंगूठे की छाप उस स्थिति में ली गई थी जब उसे यह पता ही नहीं था कि जो कुछ उस पर लिखा गया है उसकी अन्तर्वस्तु क्या है । (पैरा 42, 43 और 45)

अब श्री दास द्वारा दी गई अन्तिम दलील पर विचार किया जा रहा है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने आहत के साथ किसी भी प्रकार से कोई क्रूरता कारित की थी या यह कि दहेज की कोई भी मांग की गई थी, अतः, एक अन्य मामले में किए गए विनिश्चय में अधिकथित विधि को दृष्टिगत करते हुए दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती । अभिलेख पर यह साक्ष्य है कि आहत के ससुरालवाले उसके साथ घरेलू कामकाज को लेकर झगड़ा किया करते थे और यह कि उनके बीच संबंध जैसे भी थे सौहार्द नहीं थे । एक विवाहित महिला अपने विवाह के थोड़े समय बाद ही अपने वैवाहिक गृह में अपने ससुरालवालों द्वारा आग में जलाई जाती है, इस बात से पर्याप्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध बनता है । यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि **हो सकता है यह अपराध किया गया हो** अपितु यह ऐसा मामला है जिसमें **अपराध किया गया है**, जैसा कि उक्त विनिश्चय से स्पष्ट है । अतः, श्री दास द्वारा दी गई दलील चलने योग्य नहीं है । (पैरा 49)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2016] | (2016) 10 एस. सी. सी. 220 =<br>ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 5231 :<br>**महावीर सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश** ; | 48 |
| [2016] | ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 4930 :<br>**राजा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; | 47 |

| | | |
|---|---|---|
| [2015] | (2015) 8 एस. सी. सी. 299 =<br>2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1674 :<br>**रमाकान्त मिश्रा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 44 |
| [2012] | ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3265 :<br>**सुधाकर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; | 47 |
| [2009] | (2009) 13 एस. सी. सी. 783 :<br>**हजारी लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; | 49 |
| [2009] | ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2703 :<br>**कान्तिलाल** बनाम **राजस्थान राज्य** ; | 47 |
| [2007] | (2007) 11 एस. सी. सी. 269 =<br>2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4120 :<br>**शेख बख्शू** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 44 |
| [2006] | ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1319 :<br>**पी. मणि** बनाम **तमिलनाडू राज्य** ; | 47 |
| [2006] | (2006) 10 एस. सी. सी. 681 =<br>2006 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5300 :<br>**त्रिमुख मरोटी किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 29 |
| [2002] | (2002) 6 एस. सी. सी. 710 =<br>ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2973 :<br>**लक्ष्मण** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 39 |
| [2000] | (2000) 8 एस. सी. सी. 382 =<br>ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2988 :<br>**पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **मीर मोहम्मद उमर** ; | 29 |
| [1999] | (1999) 9 एस. सी. सी. 562 =<br>ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3695 :<br>**कोली चूनीलाल सावजी** बनाम **गुजरात राज्य** ; | 39 |
| [1990] | (1990) 7 एस. सी. सी. 695 =<br>ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3455 :<br>**पापरामबंका रोसम्मा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** । | 39 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 1.**

सेशन न्यायालय के तारीख 9 सितंबर, 2015 के दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री शिबाजी कुमार दास, सम्राट चौधरी और एहशाब अहमद

**प्रत्यर्थी की ओर से** सुश्री ककाली चटर्जी

**न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त** – बादल बिस्वास और उसकी पत्नी पारुल बिस्वास तथा उनके पुत्र बसुदेब बिस्वास (जिन्हें संचयी रूप से संक्षेप में अभियुक्त कहा गया है) का विचारण सुसंगत सेशन न्यायाधीश के समक्ष भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 498क/304ख/34 के अधीन किया गया और इसके अनुकल्प में दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन बसुदेब की पत्नी शीला (जिसे संक्षेप में "आहत" कहा गया है) की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए विचारण किया गया है । इस मामले में तारीख 9 सितंबर, 2015 को सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिया गया । विचारण न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि बसुदेब संदेह का लाभ पाने का हकदार है और परिणामतः उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 235 (1) के अधीन दोषमुक्त कर दिया गया । जहां तक बादल और पारुल (जिन्हें संक्षेप में संचयी रूप से "सास-श्वसुर" कहा गया है) का संबंध है, उन्हें दंड संहिता की धारा 498क/302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने का दोषी ठहराया गया है और परिणामस्वरूप तारीख 23 सितंबर, 2015 को दंडादिष्ट किया गया है । दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध के लिए सास-श्वसुर को दो वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन गंभीर अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया है ।

2. इस आदेश से व्यथित होकर बादल (जिसे संक्षेप में इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त-1" कहा गया है) और पारुल (जिसे संक्षेप में "अभियुक्त-2" कहा गया है) ने संहिता की धारा 374 की उपधारा (2) द्वारा गारंटीकृत अपील के कानूनी अधिकार का प्रयोग किया । इस अपील की सुनवाई इस न्यायालय की माननीय खण्ड न्यायपीठ द्वारा की गई । इस अपील में तारीख 25 जनवरी, 2017 को निर्णय दिया गया था जिसके द्वारा न्यायपीठ के विद्वान् न्यायाधीशों के बीच मतान्तर प्रकट किया गया । न्यायपीठ के पीठासीन न्यायाधीश ने अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 की दोषसिद्धि कायम रखी जबकि उनके साथी न्यायाधीश ने इस दोषसिद्धि के साथ अपनी सहमति व्यक्त नहीं की । इस प्रकार, संहिता की धारा 392 के अधीन निर्देश फाइल किया गया जिसे माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात् इस न्यायपीठ के समक्ष अपील की सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

3. अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री दास और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता सुश्री चटर्जी की सुनवाई की गई और साथ ही राय व्यक्त करने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन और प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन भी किया गया है ।

4. तारीख 4 दिसंबर, 2009 को आहत को दाह क्षतियां पहुंची । उसे जियागंज के ग्रामीण अस्पताल (जिसे संक्षेप में इसमें इसके पश्चात् "ग्रामीण अस्पताल" कहा गया है) में भर्ती कराया गया, उसे बाद में उपखण्ड अस्पताल, लालबाग (जिसे संक्षेप में "उपखण्ड अस्पताल" कहा गया है) भेज दिया गया । तारीख 5 दिसंबर, 2009 को वहां के एक चिकित्सक (अभि. सा. 20) ने स्टाफ नर्स (अभि. सा. 21) की मौजूदगी में आहत का कथन शैय्या-पर्ची (बैड-हैड-टिकट) पर अभिलिखित किया जो प्रदर्श 9 है । आहत ने अभियुक्त के संबंध में यह बताया कि इसी व्यक्ति ने उस पर मिट्टी का तेल उंडेलकर आग लगाई है । आश्चर्य की बात है कि संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की कोई भी रिपोर्ट तारीख 13 दिसंबर, 2009 तक दर्ज नहीं कराई गई और आहत के पिता अर्थात् अभि. सा. 1 ने जियागंज पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 498क/326/307 के अधीन अपराध के लिए तारीख 13 दिसंबर, 2009

को एक लिखित रिपोर्ट सं.193/2009 दर्ज कराई जो प्रदर्श 1 है । अन्य बातों के साथ शिकायत में यह भी अभिकथन किया गया कि आहत का विवाह बसुदेब के साथ होने के कुछ महिनों के दौरान ही दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण वे आहत के साथ यातनापूर्ण व्यवहार करने लगे और परिणामस्वरूप उसको आग में जला दिया । यह भी अभिकथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा आहत को आग में जलाने के पश्चात् निभा रानी बिस्बास (अभि. सा. 5) और बूरो बिस्बास (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है) आहत को ग्रामीण अस्पताल ले गए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारी (अभि. सा. 24) के कहने पर अन्वेषण आरंभ किया गया । इस साक्षी ने संहिता की धारा 161 के अधीन आहत का कथन उपखण्ड अस्पताल में अभिलिखित किया जो प्रदर्श 15 है जिसमें सही समय का उल्लेख नहीं किया गया है । यह प्रकट होता है कि आहत ने बसुदेब को बचाया है किन्तु अपने सास-श्वसुर को आलिप्त किया है । तारीख 13 दिसंबर, 2009 को लगभग 7 बजे अपराह्न में एक अन्य चिकित्सक (अभि. सा. 17) ने एक अन्य स्टाफ नर्स (अभि. सा. 19) की मौजूदगी में आहत का कथन अभिलिखित किया जो प्रदर्श 11 है । यह कथन अभि. सा. 17 द्वारा आम बोली में अभिलिखित किया गया है जिस पर आहत के अगूंठे की छाप तथा अभि. सा. 17 और अभि. सा. 19 के हस्ताक्षर लिए गए हैं । यद्यपि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले कौन सा कथन अभिलिखित किया गया, आहत द्वारा प्रदर्श 11 में जो आरोप लगाया गया है वह कथन प्रदर्श 15 के साथ पूर्णतया संगत है । उपखण्ड अस्पताल में उपचार किए जाने के बावजूद आहत की दशा और बिगड़ने लगी और अभि. सा. 1 तथा उसके नातेदारों को यह सलाह दी गई कि वे आहत को कोलकाता ले जाएं । इस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और परिणामस्वरूप तारीख 17 दिसंबर, 2009 को उपखण्ड अस्पताल में आहत की मृत्यु हो गई ।

5. सेशन न्यायाधीश के समक्ष अभिलेख पर आहत के तीन कथन हैं जिनमें से एक प्रदर्श 9 है जो अभि. सा. 20 द्वारा तारीख 5 दिसंबर, 2009 को अभिलिखित किया गया था और अन्य दो कथन तारीख 13 दिसंबर, 2009 को अभि. सा. 17 और अभि. सा. 15 द्वारा अभिलिखित

किए गए थे जो क्रमशः प्रदर्श 11 और प्रदर्श 15 हैं । संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित आहत का कथन (प्रदर्श 15) सेशन न्यायाधीश को महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं हुआ है । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श 9 में आहत पर किए गए हमले का उल्लेख किया गया है और यह कथन आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के पश्चात् नहीं लिखा गया है जिनमें एक औपचारिकता यह है कि यह कथन आहत द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों में सीधे ही अभिलिखित किया जाना चाहिए था और अभिलिखित किए गए इस कथन से आहत का आशय ठीक प्रकार स्पष्ट नहीं होता है । प्रदर्श 11 आहत का कथन है जो सेशन न्यायाधीश के अनुसार अभि. सा. 17 द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् रोगी के शब्दों में सीधे ही अभिलिखित किया गया है । कथन (प्रदर्श 11) में बसुदेब को बचाया गया है और अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को आलिप्त किया गया है जिस पर सेशन न्यायाधीश द्वारा अभि. सा. 1 और अन्य साक्षियों (अभि. सा. 4, 13, 14 और 16) के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अवलंब लिया गया है । सेशन न्यायाधीश का यह भी मत है कि कथन (प्रदर्श 11) में ऐसी कोई कमी नहीं है कि साक्षी को सिखाया-पढ़ाया गया हो या यह कथन ऐसे समय पर अभिलिखित किया गया हो जब आहत बोलने की हालत में न हो । प्रतिरक्षा पक्ष का यह दावा है कि अभि. सा. 17 द्वारा आहत की शारीरिक दशा प्रमाणित नहीं की गई है कि वह कथन दे सकती थी, यह दलील सेशन न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं की गई है और प्रदर्श 11 को आहत का मृत्युकालिक कथन माना गया है जिसका अवलंब उसके समक्ष चल रही कार्यवाहियों में लिया जा सकता है । इस प्रकार, अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 की दोषसिद्धि की गई है ।

6. विद्वान् न्यायाधीश जिन्होंने अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के पक्ष में मत व्यक्त किया है और दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाने का आदेश किया है, ने अभियोजन पक्षकथन में कई कमियां पाई हैं जिनके आधार पर आक्षेपित निर्णय और आदेश कायम रखा जा सकता है । माननीय न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर विचार किया है जिससे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है

और आहत के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 11) को अविश्वसनीय ठहराया है । माननीय न्यायाधीश ने यह भी मत व्यक्त किया है कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 24) ने अन्वेषण के दौरान लापरवाही बरती है जो उसने यह उपदर्शित नहीं किया है कि जिस खिड़की से अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 अभिकथित रूप से कूदकर भागे थे वह लोहे के सरियों की बनी हुई थी या बांस की और न ही खिड़की की माप का उल्लेख किया है । यदि स्थल नक्शे (प्रदर्श 13) में इन विशिष्टियों का उल्लेख किया गया होता और माप भी दर्शायी गई होती कि खिड़की का आकार वास्तव में इतना बड़ा था कि उसमें से एक बूढ़ी महिला निकलकर बाहर जा सके । अभियोजन साक्षियों के मौखिक साक्ष्य में विरोधाभास हैं और साथ ही आहत के मृत्युकालिक कथनों में भिन्नताएं हैं जिनके आधार पर माननीय न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 का दोष साबित करने में असफल रहा है ।

7. तथापि, विद्वान् न्यायाधीश जिन्होंने दोषसिद्धि कायम रखी है, यह मत व्यक्त किया है कि साक्ष्य का मूल्यांकन तुच्छ बातों पर ध्यान न रखते हुए किया गया है । माननीय न्यायाधीश ने आहत के मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 11) को विश्वसनीय पाया है और निष्पक्ष साक्षियों (अभि. सा. 17, 19, 20, 21 और 24) के साक्ष्य को महत्वपूर्ण मानते हुए अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला है । यह भी मत व्यक्त किया गया है कि साक्ष्य में जो फर्क दिखाई पड़ते हैं वे इतने तुच्छ हैं कि उनके आधार पर संदेह का लाभ अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को नहीं दिया जा सकता ।

8. माननीय खण्ड न्यायपीठ के दोनों विद्वान् न्यायाधीशों के मतान्तर से, जिन्होंने विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन, आंकलन और विश्लेषण किया है, न्यायपीठ के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऐसे साक्ष्य की सूक्ष्मता से संवीक्षा करें । यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही जैसे साक्ष्य के आधार पर दो विद्वान् न्यायाधीशों ने भिन्न मत व्यक्त किया है, अभियोजन पक्षकथन की महत्ता पर आरंभ में ही संदेह उत्पन्न हो जाता है । इस कारण से यह आवश्यक है कि मामले पर सामान्य से अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ विचार किया गया है । अतः,

इस न्यायपीठ ने साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया है और निम्न रूप में उसका मूल्यांकन, आंकलन और विश्लेषण किया है ।

9. आहत के कथन (प्रदर्श 11) से अन्य बातों के साथ यह प्रकट होता है कि अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला था, आग लगाई और कमरे की खिड़की से कूदकर भाग गए । आग लगाने पर आहत ने किसी प्रकार दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आई । उसकी चीख-पुकार से पड़ोसी वहां पहुंचे जिन्होंने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया । घटना के दिन, बसुदेब घर से बाहर काम पर गया हुआ था । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 फरार हो गए थे जो अस्पताल वापस नहीं आए किन्तु बसुदेब प्रतिदिन अस्पताल आया और आहत की ऐसी दशा देखकर रोया ।

10. कथन (प्रदर्श 11) के अंग्रेजी अनुवाद से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने सामान्य आशय के साथ आहत को आग में जलाया है । पहली बात तो यह कि कथन (प्रदर्श 11) के पैरा 2 की दूसरी पंक्ति में प्रयोग किए गए शब्द **सामान्य आशय** से इस न्यायपीठ को यह प्रतीत होता है कि इनका प्रयोग अनुचित रूप से किया गया है और संदेह किए जाने के लिए पर्याप्त है । सामान्य आशय का बंगाली अनुवाद **सोमो उद्देश्य** है । इससे यह पता चलता है कि इन शब्दों का प्रयोग आहत द्वारा नहीं किया गया है जो कि एक ग्रामीण महिला है और चिकित्सक (अभि. सा. 17) द्वारा बंगाली भाषा में उसका कथन अभिलिखित किया गया है । मूल कथन और अनुवादित कथन को पढ़ने के पश्चात् सामान्य आशय जैसी अभिव्यक्ति को लेकर घोर विरोधाभास दिखाई पड़ता है । आहत ने यह कहा था कि अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने एक-दूसरे के साथ सलाह करके (जिसे बंगाली भाषा में **परामोर्शो कोरे** कहा गया है) उसको आग में जलाया है । भारतीय दंड संहिता के अधीन सामान्य आशय अभिव्यक्ति का एक निश्चित अर्थ है, अतः कथन (प्रदर्श 11) का अनुवाद करते समय, अनुवादक को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचने के लिए समझाना चाहिए था ।

11. स्थिति कुछ भी हो, घटनाक्रम से हम जिस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं वह बाह्य परिस्थितियों से समझा जा सकता है ।

12. अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 द्वारा आहत को जलाए जाने का ठीक समय प्रदर्श 11 में उल्लिखित नहीं है । तथापि, क्षति रिपोर्ट प्रदर्श 16 और प्रदर्श 16/1 जो ग्रामीण अस्पताल में तैयार की गई थी, से यह प्रतीत होता है कि आहत को 10 बजे पूर्वाह्न में 80% दाह क्षतियों के साथ भर्ती कराया गया था । प्रदर्श 16/1 में यह अभिलिखित है कि आहत को निभा (अभि. सा. 5) और बेबी हल्दर (अभि. सा. 16) द्वारा लाया गया था जो क्रमशः आहत की पड़ोसी चचेरी बहिन थी । उपखण्ड अस्पताल की शैय्या पर्ची (प्रदर्श 9) से यह भी प्रतीत होता है कि आहत को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न में भर्ती कराया गया था । आहत को उसके पिता (अभि. सा. 1) द्वारा अस्पताल लाया गया था और उसे 90% दाह क्षतियां कारित हुई थीं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 1 को लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में घटना के दिन फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्तों द्वारा आहत को आग से जलाया गया है । अभि. सा. 1 के वृत्तान्त के इस भाग को परीक्षा के दौरान साक्षी को नहीं दिखाया गया जिससे यह पता चलता है कि आहत को 9 बजे पूर्वाह्न से थोड़ा ही पहले आग में जलाया गया था ।

13. आहत के पिता (अभि. सा. 1) ने लिखित शिकायत में, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, यह भी अभिकथन किया था कि अभियुक्तों ने आहत की हत्या करने के लिए उसे आग में जलाया था और यह भी उल्लेख किया था कि आहत को पड़ोस में रहने वाली नीवा और बूरो द्वारा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया था । अभि. सा. 1 का यह साक्ष्य है कि पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी जिसकी पुष्टि प्रदर्श 16 से होती है । प्रदर्श 16 पर यह लिखा हुआ है कि जियागंज पुलिस थाने को सूचना दी गई है और यह भी उल्लेख है कि आहत को लालबाग उपखण्ड अस्पताल भेजा गया है । जियागंज के पुलिस थाने की पुलिस ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्काल दर्ज क्यों नहीं की, यह रहस्य बना हुआ है किन्तु मात्र इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घटना के आरंभ में अभियुक्तों का आपराधिक आशय नहीं था । इसके प्रतिकूल अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 की ओर से श्री दास द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस को पहली बार तारीख 13

दिसंबर, 2009 को सूचना दी गई थी । जियागंज पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा स्वयं मामला दर्ज न करने जैसी लापरवाही की निन्दा की जानी चाहिए किन्तु इससे अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के पक्षकथन को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता ।

14. बेबी (अभि. सा. 16) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि नीवा (अभि. सा. 5) लगभग 9.30 बजे अपराह्न में एक वैन द्वारा आहत को बेबी के घर लाई थी, तब नीवा ने बेबी को बताया कि आहत और उसके ससुराल वालों के बीच रात्रि में झगड़ा हो गया था जिसके दौरान आहत को दाह क्षतियां पहुंची हैं; और आहत ने बेबी को यह भी बताया कि अभियुक्त-2 ने आहत को आग में जलाया है; नीवा यह नहीं बता सकी कि वास्तव में घर में क्या हुआ था किन्तु नीवा ने आग बुझाई और आहत को बेबी के घर लेकर आई । इसके पश्चात् बेबी आहत को ग्रामीण अस्पताल ले गई जिसके पश्चात् उसे उपखण्ड अस्पताल भेज दिया गया । प्रतिपरीक्षा में केवल एक सुसंगत परिस्थिति सामने आती है जो इस प्रकार है कि आहत ने बेबी को कभी भी यह नहीं बताया कि बसुदेब आहत के साथ मारपीट किया करता था किन्तु उसने यह अवश्य बताया था कि कई बार दोनों के बीच कहा-सुनी हुई थी ।

15. नीवा (अभि. सा. 5) ने विचारण के दौरान अभियोजन पक्षकथन का समर्थन इस संबंध में नहीं किया है कि वह आहत को ग्रामीण अस्पताल लेकर गई थी । नीवा ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे वह स्थान मालूम नहीं है जहां पर आहत को जलाया गया था, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 24) को इस संबंध में अपना कथन दिया था कि घटना के दिन वह (नीवा) दौड़कर घटनास्थल पर गई थी और उसने आहत की चीख-पुकार सुनी थी और उसे आग में जलते हुए देखा था, इस साक्षी ने आहत को बचाने का प्रयास किया और यह कि उसे ग्रामीण अस्पताल लेकर गई ।

16. नीवा (अभि. सा. 5) और बेबी (अभि. सा. 16) के कथन संगत नहीं हैं; वास्तव में वे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं । इस प्रकार, यह

प्रश्न सामने आता है कि किस कथन पर विश्वास किया जाए ।

17. बेबी (अभि. सा. 16) के परिसाक्ष्य को मात्र इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वह आहत की चचेरी बहिन है । बेबी का यह कथन है कि नीवा (अभि. सा. 5) ने आहत के शरीर से आग बुझाई थी, आहत को बेबी के घर लेकर गई थी जिसके पश्चात् वह आहत को ग्रामीण अस्पताल लेकर गई, इन बातों को प्रदर्श 16/1 में अभिलिखित व्यक्तियों की शनाख्त को दृष्टिगत करते हुए जो आहत को अस्पताल लेकर आए थे, अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता । प्रदर्श 16/1 में स्पष्ट रूप से नीवा और बेबी का नाम आहत को अस्पताल लाने वाले व्यक्तियों के रूप में उल्लिखित है ।

18. बेबी (अभि. सा. 16) के पति गौतम हलदर (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन 11 बजे पूर्वाह्न अभियुक्त-2 ने आहत पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगाई और इसके पश्चात् आहत की पड़ोसन नीवा (अभि. सा. 5) उसे अस्पताल ले गई । अभि. सा. 7 आहत के विवाह के निमंत्रण पत्र को अभिगृहीत किए जाने का साक्षी है । वह आहत से अस्पताल में मिला था और उस समय आहत उससे बात करने की स्थिति में थी । यद्यपि, गौतम (अभि. सा. 7) द्वारा बताया गया समय विभागीय अभिलेख तथा परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है, इस साक्षी का यह साक्ष्य है कि नीवा आहत को अस्पताल लेकर गई थी जिसका प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान खण्डन नहीं किया गया है । अतः, यह स्पष्ट है कि आहत को अस्पताल लेकर ही गई थी ।

19. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है महत्वपूर्ण बात यह है कि विभागीय अभिलेख (प्रदर्श 16/1) में यह उल्लेख है कि नीवा (अभि. सा. 5) और बेबी (अभि. सा. 16) आहत को ग्रामीण अस्पताल लेकर गए थे । अभिकथित घटना के पश्चात् दो दस्तावेज तैयार किए गए थे जिनमें से पहला दस्तावेज इसी संबंध में है । स्वयं नीवा ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्तों के साथ न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के लिए न्यायालय परिसर में पहुंची थी जिन्हें वह सह-ग्रामवासी होने के नाते पहले से जानती थी । नीवा के कथन पर विचार करते हुए यह पता चलता है कि

अभियुक्त को बचाने का स्पष्ट प्रयास किया गया है । डा. ए. हलदर, ब्लाक स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी द्‌वारा प्रदर्श 16/1 लिखा गया है । उक्त चिकित्सक ने विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । तथापि, प्रदर्श 16/1 को प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किए गए किसी भी आक्षेप के बिना स्वीकार किया गया है । नीवा को यह महसूस हुआ कि उसका नाम प्रदर्श 16/1 में उल्लिखित है । क्षति रिपोर्ट प्रदर्श 16 और प्रदर्श 16/1 को अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 24) द्‌वारा साबित किया गया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है कि नीवा का नाम प्रदर्श 16/1 में गलती से प्रविष्ट किया गया है । प्रदर्श 16/1 में नीवा का नाम अभिलिखित करना न्यायालय में दिए गए उसके कथन को मिथ्या बनाता है क्योंकि वह उन दो व्यक्तियों में से एक है जो आहत को अस्पताल लेकर गए थे । इस संबंध में अकाट्य निष्कर्ष यह निकलता है कि नीवा (अभि. सा. 5) को सिखाया-पढ़ाया गया है । उसका साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को दोषमुक्त करने के लिए उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

20. बेबी (अभि. सा. 16) ने आहत से बातचीत करने के पश्चात् यह अभिसाक्ष्य दिया है कि आहत की सास (अभियुक्त-2) ने आहत को जलाया है । प्रतिरक्षा पक्ष द्‌वारा इस संबंध में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है जिससे यह पता चलता हो कि आहत ने बेबी से यह नहीं कहा था कि उसकी सास ने ऐसा किया है । इस प्रकार, बेबी द्‌वारा उसकी मुख्य परीक्षा में दिया गया कथन अविवादित है ।

21. बेबी (अभि. सा. 16) के साक्ष्य का मूल्यांकन उपर्युक्त प्रतिवेशी परिस्थितियों के आलोक में करते हुए इस न्यायपीठ ने इसे विश्वसनीय अभिनिर्धारित किया है ।

22. अब घटनास्थल और अभियुक्त-1 तथा अभियुक्त-2 के आचरण पर विचार करना उचित होगा ।

23. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस संबंध में अत्यंत स्पष्ट है कि आहत को उसके वैवाहिक गृह के अपने ही कमरे में दाह-क्षतियां पहुंची हैं । प्रदर्श 11 के अनुसार बसुदेब उस समय घर पर नहीं था जब अभियुक्त-1

और अभियुक्त-2 द्वारा उसे आग में जलाया गया था और वे खिड़की से कूदकर भाग गए थे ।

24. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रदर्श 11 से यह प्रकट होता है कि आहत ने यह साक्ष्य दिया है कि कमरे की खिड़की से अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के कूदकर भाग जाने के पश्चात् वह किसी प्रकार दरवाजा खोल पाई, कमरे से बाहर निकली और मदद के लिए चिल्लाई । यद्यपि, स्पष्ट नहीं कहा गया है, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 24) द्वारा तैयार किए स्थल-नक्शे (प्रदर्श 13) से यह पता चलता है कि आहत के कमरे में दो खिड़कियां हैं । इस कमरे को **ए** से चिह्नांकित किया गया है । दो खिड़कियों को कमरे की दीवार पर **एक्स** से चिह्नांकित किया गया है यद्यपि, खिड़कियों को कोई अलग-अलग चिह्न नहीं दिया गया है । अभि. सा. 24 ने अन्वेषण के दौरान कौशिक कर्माकर (अभि. सा. 8) को फोटोग्राफर के रूप में नियुक्त किया था जिसने आहत के कमरे के फोटो खींचे हैं । इन फोटों (प्रदर्श 5) को बिना किसी आक्षेप के साक्ष्य में स्वीकार किया गया है । फोटोग्राफर द्वारा खींचे गए तीन में से दो फोटो से स्पष्ट रूप से दीवार में दो खिड़कियों का पाया जाना स्पष्ट होता है जिसके निकट चारपाई दिखाई गई है । एक फोटो से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि खिड़की का आकार इतना बड़ा है जिससे किसी व्यक्ति का निकलकर जाना संभव है और इस खिड़की में रुकावट के लिए कोई भी सरिया आदि लगा हुआ नहीं है । चूंकि फोटो खींचे जाने के समय पर खिड़की बंद थी इसलिए यह नहीं देखा जा सकता कि उसमें ग्रिल आदि लगी हुई थी या नहीं । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटनास्थल एक गांव में है जहां पर आमतौर पर खिड़कियों में ग्रिल या सरिए आदि नहीं लगाए जाते और आमतौर पर खिड़कियां रुकावट-रहित होती हैं, इससे ठीक प्रकार यह उपधारित किया जा सकता है कि आहत के कमरे में बनी खिड़कियों में कोई भी ग्रिल या सरिए आदि लगे हुए नहीं थे और वे खिड़कियां रुकावट-रहित थीं । किसी भी स्थिति में, प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से ऐसा कोई भरपूर प्रयास नहीं किया गया है ताकि यह साबित हो सके कि आहत के कमरे में कोई खिड़की नहीं थी या यह साबित किया जा सके

कि कोई खिड़की तो थी लेकिन वह ऐसी नहीं थी जिससे कोई कूदकर बाहर जा सके । आहत के इस साक्ष्य की संपुष्टि मधावी हलदर (अभि. सा. 18) अर्थात् आहत के बड़े भाई के साक्ष्य से होती है कि अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 खिड़की से कूदकर भागे थे जिसका उल्लेख प्रदर्श 11 में किया गया है । यद्‌यपि, मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि अभियुक्त-2 खिड़की से कूदकर भागा था जिस पर प्रतिरक्षा पक्ष द्‌वारा आक्षेप किया गया है, मधावी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है जिससे उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके । वास्तव में, इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान उसे ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियुक्त-2 खिड़की से कूदकर नहीं भागा था या वह ऐसा कर ही नहीं सकता था ।

25. प्रदर्श 2 से यह भी प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 24) ने तारीख 13 दिसंबर, 2009 को घटनास्थल से काले रंग का एक पुराना प्लास्टिक जेरी केन (तात्विक वस्तु-1) अभिगृहीत किया था । इसमें से मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी । अभिग्रहण सूची बिना किसी आक्षेप के साक्ष्य में स्वीकार की गई है । तात्विक वस्तु-1 अर्थात् मिट्टी के तेल की केन जिसमें से मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी, आहत के कमरे में कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंची, प्रतिरक्षा पक्ष द्‌वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । इस परिस्थिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है ।

26. अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान इस बात से इनकार किया है कि वे घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद थे । वे आहत के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेने के लिए उपखण्ड अस्पताल भी नहीं गए थे । वास्तव में, निचले न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त-1 की अग्रिम जमानत के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्‌वारा तारीख 18 अगस्त, 2010 को खारिज कर दिया गया था । अभियुक्त-2 के अभ्यर्पण की तारीख घटना के पश्चात् कुछ महीनों के बाद के लिए रखी गई थी । इन परिस्थितियों में यह प्रश्न सामने आता है कि अभियुक्त-1 और

अभियुक्त-2 सुसंगत समय पर और घटना के पश्चात् कुछ महीनों तक कहां थे । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् करते हुए कहा है कि वे उस समय अपने निवास-स्थान पर मौजूद नहीं थे जब आहत आग में जल रही थी (जिसके संबंध में यह उपधारित किया गया है कि उसे अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 द्वारा नहीं जलाया गया है), यह इन अभियुक्तों का कर्तव्य है कि वे यह साबित करें कि वे सुसंगत समय पर कहां थे । न तो इन्होंने और न ही अन्य किसी साक्षी ने अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के घटनास्थल पर मौजूद न होने का अभिसाक्ष्य दिया है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे संक्षेप में साक्ष्य "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 106 के निबंधनों में अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को ही अपनी-अपनी स्थिति की जानकारी थी । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् किया है जो यदि साबित हो जाता तो उन्हें आपराधिक दायित्व से बचाया जा सकता था, किन्तु इस संबंध में सबूत का भार निश्चय ही अभियुक्तों पर है जिसका निर्वहन करने में वे असफल रहे हैं ।

27. आहत के जीजा (अभि. सा. 4), चाची (अभि. सा. 15), चाचा (अभि. सा. 14) और चचेरी बहिन (अभि. सा. 16) को उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान सामान्य सुझाव दिए गए हैं जिनसे प्रतिरक्षा वृत्तांत की शैली का पता चलता है कि वे आहत के नातेदार होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं और इस प्रकार उन्होंने अभियुक्त को दोषसिद्ध कराने के लिए मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । यदि इन साक्षियों के अपराधजन्य साक्ष्य को अनदेखा कर दिया जाए तब भी मृत्यु-शैय्या पर आहत द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन जिसे चिकित्सक (अभि. सा. 17) द्वारा स्टाफ नर्स (अभि. सा. 19) की मौजूदगी में अभिलिखित किया गया था, अभियोजन पक्षकथन का एक महत्वपूर्ण अंग है । जब कभी किसी व्यक्ति की दाह क्षतियों के कारण मृत्यु होती है, तब यह राय व्यक्त करना कठिन होता है कि यह मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना या मानववध से हुई है । प्रतिरक्षा पक्ष का यह पक्षकथन नहीं है कि आहत को दुर्घटनावश आग लगी थी । उसका यह भी पक्षकथन नहीं है कि आहत ने आत्महत्या करने का

प्रयास किया था और उसके परिणामस्वरूप उसे दाह क्षतियां कारित हुईं । अब शेष यही रहता है कि यह मृत्यु मानववध से हुई है । अब प्रश्न यह सामने आता है कि इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं । मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, यह एक आम धारणा है । इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि प्रदर्श 11 में जो कुछ अभिलिखित किया गया है वह अविश्वसनीय है । चिकित्सक (अभि. सा. 17) और स्टाफ नर्स (अभि. सा. 19) की प्रतिपरीक्षा से यह प्रकट नहीं होता है कि प्रतिरक्षा पक्ष ने अभि. सा. 17 और अभि. सा. 19 के समक्ष सुसंगत और सारभूत सुझाव इस संबंध में रखे हैं कि दाह क्षतियों की घटना के कारण आहत बोलने की स्थिति में नहीं थी या दाह क्षतियों के संबंध में आहत ने स्वेच्छया कोई भी प्रकटीकरण कथन नहीं दिया है । मात्र इस कारण से कि आहत के नातेदारों को उपखण्ड अस्पताल में उसके निकट जाने का अवसर प्राप्त था, इस दलील पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को अपराध में आलिप्त करने के लिए आहत को सिखाया-पढ़ाया होगा । यदि वास्तव में आहत को सिखाया-पढ़ाया गया है तब यह प्रश्न सामने आता है कि आहत ने बसुदेब के विरुद्ध कथन क्यों नहीं किया ।

28. यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि दोषसिद्धि का निर्णय मात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर अभिलिखित किया जा सकता है, परन्तु यह तब जब कि न्यायालय का इस संबंध में समाधान हो जाए कि वह कथन सत्य और स्वेच्छया दिया गया है । मृत्युकालिक कथन की सत्यता और स्वेच्छा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय अन्य परिस्थितियों पर विचार कर सकता है ।

29. अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उनके निवास-स्थान पर निजी कक्ष में आहत को आग कैसे लगी । यह दलील दी गई है कि अभियुक्तों को मौन रहने का अधिकार है । यद्यपि, ऐसा मौन निश्चायक रूप से यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे आहत की हत्या का अपराध कारित करने के दोषी हैं किन्तु विधिक स्थिति यह है कि इसे

अभियुक्तों के विरुद्ध ऐसी परिस्थिति माना जा सकता है जो विवादित नहीं है । इस संबंध में **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **मीर मोहम्मद उमर**[1] और **त्रिमुख मरोटी किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों को निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

30. उपरोक्त निर्णयों में से पहले वाले निर्णय में न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

"31. इस मूल नियम को अश्मीभूत नहीं मानना चाहिए कि सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है जिसको अभियुक्त का दोष साबित करना होता है क्योंकि इसमें तर्कणा का आधार नहीं लिया जाता । उपधारणा का सिद्धांत उपरोक्त नियम के साथ बेमेल नहीं है, न ही इस सिद्धांत से मूल नियम का महत्व कम होता है । इसके प्रतिकूल, अभियोजन पक्ष पर सबूत का भार होने संबंधी पारंपरिक नियम को यदि अत्यंत महत्व दिया गया तब गंभीर अपराध कारित करने वाले अपराधी सबसे अधिक लाभान्वित होंगे और समाज को बहुत हानि पहुंचेगी ।

32. इस मामले में चूंकि अभियोजन पक्ष पूर्व-वर्णित परिस्थितियों को साबित करने में सफल हो गया है इसलिए न्यायालय को कुछ तथ्यों की विद्यमानता को उपधारित करना होगा । उपधारणा ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुमोदन न्यायालय विधि द्वारा ऐसी परिस्थितियों में करता है जिनका उल्लेख यहां किया गया है ।

33. किसी तथ्य की उपधारणा से उसकी विद्यमानता का पता चलता है और यह विद्यमानता अन्य तथ्यों की विद्यमानता से सृजित होती है जब तक कि वह असत्य साबित न हो जाए । तथ्य की उपधारणा साक्ष्य विधि का एक नियम है जिसके अनुसार तथ्य की विद्यमानता साबित किए गए अन्य तथ्यों से सिद्ध हो सकती है जब तक कि वह तथ्य अन्यथा संदिग्ध न हो । जब साबित किए गए अन्य तथ्यों से किसी एक तथ्य की विद्यमानता का निष्कर्ष

---

[1] (2000) 8 एस. सी. सी. 382 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2988.

[2] (2006) 10 एस. सी. सी. 681 = 2006 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5300.

निकाला जाता है तब न्यायालय तर्कणा का प्रयोग करता है और ऐसे तर्कसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचता है जो सबसे अधिक संभावी हो । भारत में उपरोक्त सिद्धांत विधायी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है और इसीलिए साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 को निगमित किया गया है । इस धारा के अधीन न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे किसी तथ्य की विद्यमानता को उपधारित कर सके जिसका घटित होना न्यायालय की दृष्टि से संभावित हो । इस प्रक्रिया में न्यायालय मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नैसर्गिक घटनाक्रम और मानव आचरण आदि पर विचार करेगा ।"

31. उपरोक्त मताभिव्यक्तियों का अनुमोदन **त्रिमुख मरोटी किरकन** (उपरोक्त) वाले मामले से किया गया है । उक्त विनिश्चय के सुसंगत पैरा निम्न प्रकार हैं :–

"12. वर्तमान मामले में इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में सामान्य सिद्धांत यह है कि ऐसी परिस्थतियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, वे तर्कसम्मत रूप से सिद्ध की जानी चाहिए, वे परिस्थितियां ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि उनसे बिना किसी त्रुटि के अभियुक्त के दोषी होने का ही पता चलता हो, उन परिस्थितियों के संचयी निष्कर्ष से साक्ष्य की ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनती हो कि केवल यही निष्कर्ष निकले कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के अधीन यही माना जाए कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है और उन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोषी होने से अन्यथा कोई भी निष्कर्ष न निकाला जा सके और वे परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ ही असंगत होनी चाहिए ।

13. वधू के माता-पिता से दहेज या धन की मांग पिछले कुछ वर्षों में अधिक दिखाई पड़ती है । न्यायालय के समक्ष प्रायः ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें पति या ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण वधू की हत्या तक कर दी है । ये अपराध प्रायः घर में पूर्णतया निजी स्थान पर कारित किए जाते हैं

और अभियोजन पक्ष के लिए यह अत्यंत कठिन हो जाता है कि इस संबंध में वह साक्ष्य एकत्र कर सके । परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी क्यों न हो, अपने परिवार के अन्य सदस्य के विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं होता है । पड़ोसियों का साक्ष्य किसी सीमा तक अभियोजन पक्ष के लिए सहायक हो सकता है किन्तु पड़ोसी भी न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने से बचते हैं और वे अपने को घटना से अलग रखना चाहते हैं और वे पड़ोस में शत्रुता की भावना से भी दूर रहते हैं । वधू के माता-पिता या उसके परिवार के अन्य सदस्य अपराध के स्थान से बहुत दूर होते हैं इसलिए वे सीधे साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं होते जिसके आधार पर वास्तविक अपराधी को अपराध से संबद्ध किया जा सके और वे केवल धन या दहेज की मांग किए जाने या वधू को तंग किए जाने के संबंध में ही साक्ष्य दे पाते हैं । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो अपराध किसी गुप्त या निजी स्थान पर कारित किया गया है उसमें अपराधी को दंडित न किया जा सके ।

14. यदि कोई अपराध किसी मकान के गुप्त या निजी स्थान में कारित होता है और ऐसी परिस्थितियों में कारित होता है कि हमलावर अपनी इच्छानुसार अपराध का समय और स्थान नियत कर सके, तब अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त का दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य एकत्र करना अत्यंत कठिन हो जाता है वह भी ऐसी स्थिति में जब न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित सटीक पारिस्थितिक साक्ष्य के सिद्धांत का अवलंब लिए जाने के लिए कहा जाए । एक न्यायाधीश का कार्य दांडिक विचारण के दौरान मात्र यह देखना नहीं है कि किसी निर्दोष को दंडित न कर दिया जाए अपितु उसका यह भी कर्तव्य है कि कोई दोषी व्यक्ति बच कर न निकल जाए । दोनों ही कार्य लोक कर्तव्य के अधीन आते हैं । विधि के अधीन अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य नहीं है कि वह ऐसा साक्ष्य जुटाए जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव हो या अत्यंत कठिन हो । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा साक्ष्य एकत्र करे जिसे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में

रखते हुए कोई निष्कर्ष निकाला जा सके । यहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में ध्यान रखना आवश्यक है जिसके अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब कोई तथ्य विशेषकर किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा । इस धारा के दृष्टांत-ख के अधीन इस उपबंध की अन्तर्वस्तु और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया है जो निम्न प्रकार है –

> (ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है । यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है ।

15. जब हत्या जैसा अपराध किसी मकान जैसे किसी निजी स्थान पर कारित किया जाता है, तब नि:संदेह आरंभिक रूप से सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होगा किन्तु साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा का उतना होना आवश्यक नहीं है जितना पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में ईप्सित है । सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर तुलनात्मक रूप से कम होगा । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को दृष्टिगत करते हुए घर के सदस्यों पर भी समान्तर भार होता है कि वे इस संबंध में तर्कसम्मत स्पष्टीकरण दें कि यह अपराध किस प्रकार कारित हुआ है । घर के सदस्य मात्र मौन रहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते और न यह अभिवाक् कर सकते हैं कि अभियोजन पक्ष को ही यह साबित करना होगा कि अपराध किस प्रकार कारित हुआ है और यह कि स्पष्टीकरण देने के लिए अभियुक्त कर्तव्यबद्ध नहीं है ।

*     *     *     *     *

21. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में जब किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य उपलब्ध न हो तब एक अन्य सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए । वह सिद्धांत यह है कि जब अपराधजन्य परिस्थितियां अभियुक्त के समक्ष रखी जाती हैं और वह अभियुक्त इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो सत्य नहीं पाया जाता है तब अभियोजन पक्षकथन को

साबित करने वाले साक्ष्य की श्रृंखला को पूर्ण करने में एक और कड़ी जुड़ जाती है । ऐसा मत इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में व्यक्त किया गया है ।

* * * *"

32. अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके मकान के निजी भाग में आहत को आग कैसे लगी जबकि घटना के समय वे वहां मौजूद थे और उसके बाद भी वे उपखण्ड अस्पताल अपनी बहू के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए क्यों नहीं गए जो कि ऐसी परिस्थितियों में एक सामान्य प्रतिक्रिया होती, अभियुक्त यह सोचकर अस्पताल नहीं गए थे कि कहीं उनका नाम उस अपराध से न जोड़ दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप आहत की मृत्यु हुई है, यह परिस्थिति साक्ष्य में अत्यंत प्रबल है जिससे यह दर्शित होता है कि ये अभियुक्त इस अपराध के कारित किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं ।

33. अब अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के अनुकूल जाने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा ।

34. वास्तव में यह सत्य है कि आहत के पिता (अभि. सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस अभिकथन से पूर्णतः इनकार किया है कि अभियुक्त द्वारा, जैसा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित है, आहत के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता है । इस उपशमनकारी परिस्थिति से अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 का पक्षकथन अधिक प्रभावी हो जाता है ।

35. श्री दास द्वारा इस न्यायपीठ का ध्यान बिद्युत बिस्वास (अभि. सा. 3) के अभिसाक्ष्य की ओर दिलाया गया है । इस साक्षी के अनुसार घटना के दिन लगभग 10.30 बजे पूर्वाहन में उसने चीख-पुकार की आवास सुनी और वह घटनास्थल की ओर दौड़ा जहां पर उसने आहत को आग में जलते हुए देखा । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आहत की आग बुझाई थी और उसे अस्पताल लेकर गया था । इस साक्षी का नाम आहत को अस्पताल लाने वाले व्यक्तियों की सूची में नहीं लिखा गया है जिसका उल्लेख प्रदर्श 16/1 में है । उसके कथन में यह उल्लेख है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं सुनी जिससे यह पता

चलता हो कि आहत को आग क्यों और कैसे लगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई और इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि जब आहत को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब आहत ने उसे यह बताया था कि अभियुक्तों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग में जलाया है ।

36. सनत सरकार (अभि. सा. 11) भी अपीलार्थियों और आहत का पड़ोसी है । यह साक्षी यह नहीं बता सका कि आहत ने इस प्रकार आत्महत्या करना क्यों चाहा । इस साक्षी को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है और उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है जो मृत्यु के पहले पति-पत्नी के बीच घटित हुई हो क्योंकि आहत ने कभी भी अपने जीवनकाल के दौरान अपने पति द्वारा किए गए अत्याचार की कोई भी बात नहीं बताई ।

37. अभियोजन पक्षकथन के विरुद्ध और उसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसका अनुमोदन साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अधीन कानूनी रूप में यूं ही नहीं माना जाना चाहिए । इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है यदि ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय, तर्कसम्मत, संगत और विश्वासोत्पादक है । साक्ष्य की गुणवत्ता पर बल दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप गणना में लिया जाता है और साक्ष्य की मात्रा तथा साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है । विधि की यह भी सुस्थापित स्थिति है कि हितबद्ध पक्षपाती साक्षी के साक्ष्य का निर्धारण कड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और उसे बिना सोचे-समझे त्यक्त भी नहीं किया जा सकता । साक्ष्य से ऐसा निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जिससे अन्यथा निष्कर्ष निकालना संभव ही न हो ।

38. रीति-रिवाज के अनुसार चलने वाले भारतीय समाज में एक रूढ़िवादी महिला अपने पिता के समक्ष यह बताने में संकोच करेगी कि उसके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है । मात्र इस कारण से कि उसके पिता (अभि. सा. 1) ने यह अभिकथन नहीं किया है कि आहत के

साथ उसकी ससुराल में उसके साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता था या उसे तंग किया जाता था और इसके प्रतिकूल उसका यह अभिसाक्ष्य देना कि उसे अपने ससुरालवालों से कोई शिकायत नहीं थी, यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आहत के साथ यातनापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता था । इस परिस्थिति पर अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को, विशेषकर, आहत की चचेरी बहिन (अभि. सा. 16) द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि आहत के साथ कई बार कहासुनी हुई थी और इस सुझाव से इनकार किया गया था कि अभियुक्त ने आहत के साथ कोई भी यातनापूर्ण व्यवहार कभी नहीं किया था ।

39. मृत्युकालिक कथन और उसका अवलंब लिए जाने से संबंधित सीमा को उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा **लक्ष्मण** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में अधिकथित किया गया है । इस न्यायपीठ का गठन **पापरामबका रोसम्मा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2] और **कोली चूनीलाल सावजी** बनाम **गुजरात राज्य**[3] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों में पाए गए तथाकथित विवाद का निपटारा करने के लिए किया गया है । न्यायपीठ ने निर्णय के पैरा 3 में निम्न प्रकार विधि अधिकथित की है :-

> "3. मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता से संबंधित विधिक सिद्धांत यह है कि ऐसा कथन उग्र अवस्था में किया जाता है जब कथन देने वाला मरणासन्न होता है और जीवन की प्रत्येक आशा समाप्त हो जाती है, झूठ बोलने के किसी भी हेतु की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और मनुष्य केवल सत्य बोलने के लिए स्वतः ही आबद्ध हो जाता है । इस बात के होते हुए भी इस प्रकार के साक्ष्य को महत्व देने के समय कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ऐसे साक्ष्य का संबंध बहुत सी परिस्थितियों के साथ होता है जो सच्चाई को प्रभावित कर सकती हैं । ऐसी स्थिति, जब कोई व्यक्ति मृत्यु-शैय्या

---

[1] (2002) 6 एस. सी. सी. 710 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2973.

[2] (1990) 7 एस. सी. सी. 695 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3455.

[3] (1999) 9 एस. सी. सी. 562 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3695.

पर होता है, अत्यंत परमपावन और महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि ऐसी स्थिति में दिया गया कथन विधि की दृष्टि से सत्य माना जाता है । इसी कारण ऐसे कथन को शपथ लेने और उसकी प्रतिपरीक्षा किए जाने से दूर रखा गया है । चूंकि अभियुक्त को मृत्युकालिक कथन देने वाले व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए न्यायालयों को इस बात पर बल देना चाहिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि मृत्युकालिक कथन ऐसा होना चाहिए जो विश्वासोत्पादक हो और उससे सच्चाई और सटीकता प्रकट होती हो । तथापि, न्यायालय को सदैव इस पर विचार करना चाहिए कि मृतक का कथन सिखाए-पढ़ाए जाने या कल्पना के आधार पर नहीं दिया गया है । न्यायालय को यह भी विनिश्चित करना चाहिए कि कथन देने के समय मृतक की मानसिक दशा ठीक थी और वह हमलावरों की शनाख्त कर सकता था । अतः, आमतौर पर न्यायालय को इस बात का पता लगाने के लिए कि कथन देने के समय मृतक की मानसिक दशा ठीक थी या नहीं, चिकित्सीय राय पर विचार करना चाहिए । किन्तु जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने यह कथन किया हो कि मृतक ठीक हालत में था और कथन देने के लिए पूर्णतया सचेत था, तब ऐसी स्थिति में चिकित्सीय राय अधिक महत्व नहीं रखती है और न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि चिकित्सक द्वारा कथन देने वाले की मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कोई भी प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है इसलिए मृत्युकालिक कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता । मृत्युकालिक कथन मौखिक या लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है और इसे किसी भी प्रकार से अर्थात् शब्दों द्वारा या सांकेतिक भाषा में या अन्यथा किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है परन्तु यह तब जब कि ऐसी सांकेतिक भाषा सकारात्मक और स्पष्ट हो । तथापि, बहुत से मामलों में मृत्यु के पूर्व मौखिक कथन दिए जाते हैं और उन्हें किसी व्यक्ति जैसे मजिस्ट्रेट या चिकित्सक या पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाता है । जब मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया जाता है तब शपथ दिलाना आवश्यक नहीं है न ही उस समय किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है,

यद्यपि प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए आमतौर पर किसी मजिस्ट्रेट को बुला लिया जाता है । विधि के अधीन ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की गई है कि मृत्युकालिक कथन अवश्य ही मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाना चाहिए और जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कथन अभिलिखित किया जाता है, उसके लिए कोई भी वैधानिक प्रारूप आवश्यक नहीं है । परिणामतः, किसी कथन को कितना महत्व दिया जाना चाहिए यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर है । अपेक्षा यह की जाती है कि जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करता है उसका यह समाधान होना चाहिए कि मृतक की मानसिक स्थिति कथन देने के समय ठीक थी । यदि मजिस्ट्रेट के परिसाक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि कथन देने वाले कथन देने के लिए ठीक हालत में था तब चिकित्सक द्वारा परीक्षा किए जाने के बिना उस कथन पर कार्यवाही की जा सकती है परन्तु यह तब जब कि न्यायालय का अन्तिम निष्कर्ष यह हो कि कथन स्वेच्छा से दिया गया है और सत्य है । सतर्कता के नियमानुसार, चिकित्सक द्वारा इस संबंध में प्रमाणपत्र दिया जाता है, अतः, अन्यथा यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसा कथन स्वेच्छा से दिया गया है और सत्य है ।

उच्चतम न्यायालय के अन्य विनिश्चयों पर विचार करने पर भी न्यायपीठ ने **पापरम्वका रोसम्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में उल्लिखित निर्णयों को ठीक प्रकार विनिश्चित नहीं किया है और **कोली चूनीलाल सावजी** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि की पुष्टि की जाती है ।"

40. अभिलेख पर यह साक्ष्य (प्रदर्श 14 और प्रदर्श 14-1) है कि लालबाग उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी और उपखण्ड अस्पताल के अधीक्षक के समक्ष अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 24) और पुलिस थाना जियागंज के भारसाधक अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के लिए क्रमशः निवेदन किए गए । चिकित्सक (अभि. सा. 17) ने आहत का कथन अभिलिखित किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया कि यह कथन उपखण्ड अधिकारी के निवेदन पर अभिलिखित किया

गया है । अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 की ओर से इस बात पर संदेह किया गया है कि मृतका के एक से अधिक मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए गए हैं और इस आक्षेप को न्यायालय द्‌वारा स्वीकार नहीं किया गया है ।

41. श्री दास ने यह दलील दी है कि आहत को उपचार के दौरान संबंधित नातेदारों से अलग नहीं रखा गया था और वे व्यक्ति उसके पास आ जा रहे थे, इसलिए, आहत को अपने ससुरालवालों को आलिप्त करने के लिए सिखाया-पढ़ाया गया था ।

42. आहत को सिखाया-पढ़ाया गया था या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुनिश्चित किया जाना चाहिए । मात्र इस कारण से कि आहत के नातेदार उससे मिलने आ सकते थे, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि आहत ने सिखाए-पढ़ाए जाने के पश्चात् कथन दिया है । साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायपीठ को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि प्रदर्श 11 में उल्लिखित आहत का कथन सिखाया-पढ़ाया नहीं है ।

43. **लक्ष्मण** (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए विनिश्चय के पैरा 3 में उल्लिखित मत को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायपीठ को ऐसा कोई संदेह नहीं है कि जिन परिस्थितियों में आहत का कथन अभिलिखित किया गया था वे ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि प्रदर्श 11 को अविश्वसनीय मानकर त्यक्त कर दिया जाए । चिकित्सक और नर्स (अभि. सा. 17 और अभि. सा. 19) मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के साक्षी नहीं होते यदि मृतका बोलने की स्थिति में नहीं थी । अभि. सा. 15 वह चिकित्सक है जिसने मृतका की शव-परीक्षा की है और इस संबंध में शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 8) तैयार की है । शवपरीक्षण रिपोर्ट में कंठनाल की स्थिति का उल्लेख नहीं किया है । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कंठनाल की स्थिति के संबंध में अभि. सा. 15 से कोई भी साक्ष्य निकलवाने का प्रयास नहीं किया गया है जिससे मृतका की

शारीरिक दशा स्पष्ट हो पाती अर्थात् यह निश्चित हो पाता कि वह बोलने की स्थिति में थी या नहीं या वह दाह-क्षतियों के कारण प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में थी या नहीं । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 17 को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि जो कुछ उसने अभिलिखित किया था वह सिखाए-पढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप किया गया था । आहत का मृत्युकालिक कथन जो अभि. सा. 17 द्वारा अभिलिखित किया गया है, विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध किया गया है । छोटे-मोटे विरोधाभास अर्थात् आहत ने अपने पूर्ववर्ती कथन (प्रदर्श 9) में यह नहीं कहा है कि अभियुक्त-2 खिड़की से कूदकर भागा था या यह कि आहत ने यह कथन किया था कि बसुदेब भी दोषी है, से अभियोजन पक्षकथन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । यह ध्यान में रखना चाहिए अभि. सा. 17 आहत की शारीरिक दशा बताने के लिए अत्यंत उचित साक्षी है और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभि. सा. 17 या अभि. सा. 19 के मन में अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी । ऐसी परिस्थितियों के अभाव में जिनसे कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके, अभि. सा. 17 के साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित करना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है कि आहत ने मृत्यु के समय मिथ्या कथन दिया है । मामले की सम्पूर्ण स्थिति, विशेषकर प्रदर्श 11 की सच्चाई को दृष्टिगत करते हुए केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के विरुद्ध धारा 302 के अधीन आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है ।

44. श्री दास ने **शेख बख्शू** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 11) अभिलिखित किए जाने के बाद आहत को पढ़कर नहीं सुनाया गया और न ही समझाया गया, इसलिए ऐसे कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता । ऊपर उल्लिखित

[1] (2007) 11 एस. सी. सी. 269 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4120.

विनिश्चय के पैरा 8 से यह उपदर्शित होता है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृत्युकालिक कथन में यद्‌यपि यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मृतका कथन की अन्तर्वस्तु पढ़कर सुनाई गई है और स्पष्ट की गई है फिर भी यह उपधारित किया जाना चाहिए कि यह कथन उसे पढ़कर सुनाया गया था और स्पष्ट भी किया गया था । उच्च न्यायालय द्‌वारा व्यक्त किए गए इस मत को उच्चतम न्यायालय द्‌वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है ।

45. यह न्यायपीठ यह मत व्यक्त करने को आनत नहीं है कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 11) अभिलिखित करने में मात्र इस लोप से मृत्युकालिक कथन निर्बल नहीं हो जाता है कि यह उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था और न ही स्पष्ट किया गया था । अभि. सा. 17 और अभि. सा. 19 को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रदर्श 11 पर आहत अर्थात् मृतका के बाएं अंगूठे की छाप उस स्थिति में ली गई थी जब उसे यह पता ही नहीं था कि जो कुछ उस पर लिखा गया है उसकी अन्तर्वस्तु क्या है ।

46. **शेख बख्शू** (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए विनिश्चय के पैरा 8 में चर्चा किए गए कारणों के आधार पर उस न्यायालय के विचार से मृत्युकालिक कथन अविश्वसनीय पाया गया था । ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियां पूर्णतया भिन्न हैं इसलिए उक्त विनिश्चय इस मामले को लागू नहीं होगा ।

47. श्री दास द्‌वारा अन्य विनिश्चय अर्थात् **पी. मणि** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1], **कान्तिलाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] **और सुधाकर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] **और रमाकान्त मिश्रा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[4]

---

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1319.

[2] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2703.

[3] ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3265.

[4] (2015) 8 एस. सी. सी. 299 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1674.

वाले मामलों का अवलंब मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के विषय पर लिया गया है साथ ही श्री दास ने पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में **राजा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है जिन पर सम्यक् रूप से विचारण किया गया है । इन विनिश्चयों में अधिकथित विधि पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता किन्तु इस न्यायपीठ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करने पर अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 को, उद्धृत किए गए इन विनिश्चयों से, कोई सहायता नहीं मिल सकती ।

48. एक मुद्दा यह भी उठाया गया है कि अन्वेषण दूषित है और इस संबंध में **महावीर सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय का अवलंब लिया गया है । वास्तव में, त्रुटिपूर्ण अन्वेषण अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक साबित हो सकता है, फिर भी पुलिस ने मामले का अन्वेषण समुचित रूप से, प्रभावपूर्ण और सार्थक रीति में करने के लिए लोप और खामियां कारित की हैं जैसा कि श्री दास द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, इसके बावजूद सत्य को मिथ्या से अलग करना बिल्कुल कठिन नहीं है । तथापि, यह सत्य है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है किन्तु विधि यह नहीं है कि इस आधार पर की गई दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाए । प्रदर्श 16 ऐसा पहला दस्तावेज है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहत को ग्रामीण अस्पताल लाने के तत्काल पश्चात् पुलिस को सूचना दी गई थी । श्री दास द्वारा यह दलील दी गई है कि अभियुक्तों को मिथ्या फंसाया गया है, यह दलील न्यायिक संवीक्षा किए जाने पर टिकने योग्य नहीं है ।

49. अब श्री दास द्वारा दी गई अन्तिम दलील पर विचार किया जा रहा है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 ने आहत के साथ किसी भी प्रकार से

---

[1] ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 4930.

[2] (2016) 10 एस. सी. सी. 220 = ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 5231.

कोई क्रूरता कारित की थी या यह कि दहेज की कोई भी मांग की गई थी, अतः, **हजारीलाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में किए गए विनिश्चय में अधिकथित विधि को दृष्टिगत करते हुए दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती । अभिलेख पर यह साक्ष्य है कि आहत के ससुरालवाले उसके साथ घरेलू कामकाज को लेकर झगड़ा किया करते थे और यह कि उनके बीच संबंध जैसे भी थे सौहार्द नहीं थे । एक विवाहित महिला अपने विवाह के थोड़े समय बाद ही अपने वैवाहिक गृह में अपने ससुरालवालों द्वारा आग में जलाई जाती है, इस बात से पर्याप्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध बनता है । यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि **'हो सकता है यह अपराध किया गया हो'** अपितु यह ऐसा मामला है जिसमें **'अपराध किया गया है',** जैसा कि उक्त विनिश्चय से स्पष्ट है । अतः, श्री दास द्वारा दी गई दलील चलने योग्य नहीं है ।

50. इस न्यायपीठ का यह मत है कि इस प्रकृति के भयावह अपराध के लिए अपराधी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ना चाहिए । तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर के अनुसार **'विधि न्याय के लिए वचनबद्ध है'**, अतः यदि दोषी पाए गए व्यक्तियों को विधि के अनुसरण में समुचित रूप से दंडित किया जाए तो आहत के साथ न्याय होगा ।

51. सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि कायम रखी जाती है और इस दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

---

[1] (2009) 13 एस. सी. सी. 783.

## लुमेश राम साहू

बनाम

## छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 19 जनवरी, 2018

**न्यायमूर्ति प्रीतिनेकर दिवाकर और न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथित है कि उसके द्‌वारा अपनी उप पत्नी और उसकी नानी की दरांती से हत्या की क्योंकि उसकी उप पत्नी ने निरंतर संबंध बनाने से इनकार कर दिया – पीड़िता की माता और विद्‌यालय के प्रधानाचार्य जहां अभियुक्त नौकरी करता था, ने विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्त के विरुद्ध उसे अपराध में फंसाने वाला कोई कथन नहीं किया है – दरांती, अभिगृहीत कपड़े रासायनिक परीक्षा के लिए भेजे गए – न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में अभिगृहीत वस्तुओं पर रक्त की मौजूदगी के बारे में कथन किया गया है परंतु रक्त ग्रुप की उत्पति के बारे में पुष्टि के संबंध में कोई सीरम विज्ञानी रिपोर्ट नहीं है – सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट के अभाव में वस्तु का अभिग्रहण किया जाना अपने महत्व को खो देता है – घटनास्थल से अभिगृहीत अभियुक्त से संबंधित चप्पलों की पहचान के बारे में अभिग्रहण पंचनामा के संबंध में साक्षी का अभिसाक्ष्य जैसाकि पुलिस द्‌वारा बताया गया – समरूप चप्पलें आसानी से बाजार में मिल जाती हैं – चप्पल का अभिग्रहण और उनकी पहचान को घटना के अभियुक्त को विनिर्दिष्ट रूप से उनसे जोड़ा नहीं जा सकता – परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है – अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।**

वर्तमान मामले में, दो मृतका अर्थात् श्रीमती मकतुला बाई और पवन रेखा हैं । यह कहा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी और मृतका कु. पवन रेखा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, तथापि, उस पर कु. पवन

रेखा के कुटुंब के सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी और, इसलिए, उसने अपीलार्थी से बातचीत बंद कर दी थी । अभियुक्त/अपीलार्थी कु. पवन रेखा के इस व्यवहार को सहन नहीं कर सका और घटना की तारीख अर्थात् तारीख 30 सितंबर, 2010 को उसने कु. पवन रेखा से बातचीत करने का प्रयास किया और जब उसने उससे कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया तो अभियुक्त/अपीलार्थी अपने हाथ में दरांती और चाकू लेकर कु. पवन रेखा के मकान पर गया और उसने पवन रेखा पर वेधित क्षतियां कारित करके उसकी हत्या कर दी और इसके पश्चात् पवन रेखा की नानी की भी हत्या कर दी । अपराध किए जाने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया और तारीख 1 अक्तूबर, 2010 को कुछ जहरीला पदार्थ पीने के पश्चात् वह उप-जेल बलोद के सामने गया था और उसने जेलर के दरवाजे खटखटाए, इसके पश्चात् उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया था और उसकी एमएलसी प्रदर्श पी/32 है । मृतका पवन रेखा के पिता मंगलराम (अभि. सा. 1) के कहने पर तारीख 30 सितंबर, 2010 को 4.20 बजे और 4.35 बजे अपराह्न प्रदर्श पी/1 और प्रदर्श पी/2 पर मर्ग सूचना अभिलिखित की गई थी जिसके आधार पर उसी दिन 4.45 बजे अपराह्न दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अनजान व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/3) दर्ज की गई थी । तारीख 30 सितंबर, 2010 को मृतका मकतुला बाई और पवन रेखा के शवों की मृत्युसमीक्षा की गई जो क्रमशः प्रदर्श पी/6 और पी/7 के द्वारा की गई और शवों को शव-परीक्षा के लिए सरकारी अस्पताल बलोद में भेजा गया था जहां डा. बाबूलाल रात्रे (अभि. सा. 6) ने मृतका मकतुला बाई के शव का शवपरीक्षण किया और प्रदर्श पी/22 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें बाईं अंश-फलक क्षेत्र के नीचे 7 × 7 × 2 इंच का एक छिन्न घाव पाया गया था । मृतका कुमारी पवन रेखा के शव का शवपरीक्षण बाबूलाल रात्रे (अभि. सा. 6) द्वारा किया गया था जिन्होंने प्रदर्श पी/23 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें दाहिने प्रबाहु और बाएं वक्ष, दाहिनी कोहनी और दाहिनी भुजा और कंधे पर भिन्न-भिन्न आकार के दो छिन्न घाव, एक खरोंच और दो विदीर्ण घावों का उल्लेख किया है । शव-परीक्षा सर्जन ने मृतका की मृत्यु का कारण अंग के मर्मस्थान से

अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप आघात से होना बताया था । तारीख 2 अक्तूबर, 2010 को अभियुक्त/अपीलार्थी का वक्तव्य अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर एक चाकू, दरांती और एक प्लास्टिक थैला प्रदर्श पी/12 के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । एक टी-शर्ट तथा काले रंग की फुल पेंट तथा एक इंडेक्स का सेलफोन प्रदर्श पी/11-क के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । घटनास्थल से एक जोड़ी चप्पलें और दरांती प्रदर्श पी/14 के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे जिन्हें अभियुक्त/अपीलार्थी के पिता सोनू द्वारा प्रदर्श पी/26 के माध्यम से पहचान किए जाने का अभिकथन किया गया था । अभिगृहीत वस्तुएं प्रदर्श/28 के माध्यम से रसायनिक परीक्षा के लिए रसायन प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए थे और बिना प्रदर्श डाले हुए न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार वस्तुओं पर रक्त की मौजूदगी अर्थात् प्लास्टर (क और ग), दरांती (ई), चप्पल (एफ), कमीज, स्कर्ट और अन्दर पहने वाला कपड़ा (जी-1, जी-2, जी-3 और जी-4) जो मृतका कु. पवन रेखा के हैं तथा मृतका मकतुला बाई की साड़ी (एच), अपीलार्थी का चाकू, दरांती, टी-शर्ट और फुल पेंट (आई.जे.के.एल.) की पुष्टि की गई थी और रक्त-ग्रुप की उत्पति के बारे में कोई सीरम विज्ञानी रिपोर्ट अभिलेख पर पुष्टि किए जाने हेतु नहीं रखी गई थी । कोमनलाल देखमुख (अभि. सा. 10) वह साक्षी था जिसके समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति किए जाने का अभिकथन किया गया है परन्तु उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसलिए, उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया । आरोप पत्र फाइल करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 450 और 302 (दो गणनाओं पर) अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए । इस तरह, अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्षकथन में उसके विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों से इनकार किया है तथा अपनी निर्दोषिता का अभिवाक् किया और मिथ्या फंसाए जाने का कारण

बताया था । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करके अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसा कि इस निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित है, इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – स्वीकृततः, अभिलेख पर विधिक रूप से ग्राहय-योग्य कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषिता इंगित होती हो और उसकी दोषसिद्धता उसके वक्तव्य (प्रदर्श पी/11) में प्रकट पारिस्थितिक मुख्य साक्ष्य (प्रदर्श पी/11-क और प्रदर्श पी/12) के अधीन किया गया अभिग्रहण, न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट, जिस पर प्रदर्श नहीं डाला गया है, पर आधारित है और प्रभाकर पाण्डे (अभि. सा. 7) का साक्ष्य, जो घटनास्थल से अभिगृहीत किए गए चप्पल (प्रदर्श पी/26) के पंचनामा की पहचान करने का साक्षी है । वर्तमान मामले में, अभियुक्त/अपीलार्थी के वक्तव्य (प्रदर्श पी/11) का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी का मृतका कुमारी पवन रेखा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था क्योंकि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी से बातचीत करना छोड़ दिया था तब उसने सबसे पहले उसकी हत्या की और इसके पश्चात् उसकी नानी श्रीमती मकतुला की दरांती और चाकू से हत्या की । उसके वक्तव्य पर दरांती, चाकू, टी-शर्ट और फुल पेन्ट और मोबाइल फोन प्रदर्श पी/11 और प्रदर्श पी/12 के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे, इन वस्तुओं को रसायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था और बिना प्रदर्श के न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार उनमें रक्त की मौजूदगी (मोबाइल फोन को छोड़कर) की पुष्टि की गई थी परन्तु अभिलेख पर सीरम विज्ञानी की कोई रिपोर्ट नहीं थी जिससे इसके मूल ग्रुप की पुष्टि होती है । इस प्रकार सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट के अभाव में प्रदर्श पी/11-क और प्रदर्श पी/12ख कतिपय वस्तुओं के बारे में वक्तव्य पर आधारित है, अपने महत्व को खोती है । प्रभाकर पांडे (अभि. सा. 7) जो पंचनामा प्रदर्श पी/26 को पहचानने का अभिसाक्षी है, ने पैरा 2 में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि क्योंकि पुलिस द्वारा उसे यह बताया गया था कि इसने चप्पलों की पहचान की

है जो अभियुक्त/अपीलार्थी की हैं । इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि समरूप चप्पल बाजार से आसानी से उपलब्ध हो सकती है । इस प्रकार चप्पल का अभिग्रहण उनकी पहचान से संदेह पैदा होता है और जो अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया अभिसाक्ष्य की प्रकृति कमजोर है और उसके आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । इस प्रकार, विधि के पूर्वोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले में साक्ष्य की परीक्षा करते हुए हम यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी प्रश्नगत अपराध का दोषी है । विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी परिस्थिति का अवलंब नहीं लिया गया है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा इस संभावना को अपवर्जित करते हुए साबित किया गया हो कि वह अकेला अपीलार्थी था जो सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अपराध का कर्ता है । ऐसा होते हुए भी संदेह का फायदा अपीलार्थी को मिलना चाहिए और उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । (पैरा 19, 21, 24 और 25)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2008] | (2008) 3 एस. सी. सी. 210 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1184 : **साततातिया** उर्फ **सतीश रंजन कारतल्ला** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 20 |
| [2006] | (2006) 3 सी. जी. एल. जे. 55 : **अमर साई** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ; | 6 |
| [1989] | (1989) (सप्ली.) 2 एस. सी. सी. 706 : **पडाला वीरा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; | 20 |
| [1987] | ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1507 : **कंस बेहेरा** बनाम **उड़ीसा राज्य** ; | 6, 22 |
| [1984] | [1984] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद विरधी चंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । | 20 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 842.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सुश्री रोशी तिवारी और सुश्री सामिशती सोलेमोम

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री अनिल पिल्लै, उप महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति प्रीतिनेकर दिवाकर ने दिया ।

**न्या. दिवाकर** – यह अपील 2011 के सेशन विचारण सं. 68 में अपर सेशन न्यायाधीश, जिला दुर्ग द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2011 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 450 और 302 (दो गणनाओं पर) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और 50 रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कठोर कारावास भोगने के लिए उसे दंडादिष्ट किया तथा 50/- रुपए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का दंडादेश भी दिया गया ।

2. वर्तमान मामले में, दो मृतका अर्थात् श्रीमती मकतुला बाई और पवन रेखा हैं । यह कहा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी और मृतका कु. पवन रेखा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, तथापि, उस पर कु. पवन रेखा के कुटुंब के सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाई गई थी और, इसलिए, उसने अपीलार्थी से बातचीत बंद कर दी थी । अभियुक्त/अपीलार्थी कु. पवन रेखा के इस व्यवहार को सहन नहीं कर सका और घटना की तारीख अर्थात् तारीख 30 सितंबर, 2010 को उसने कु. पवन रेखा से बातचीत करने का प्रयास किया और जब उसने उससे कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया तो अभियुक्त/अपीलार्थी अपने हाथ में दरांती और चाकू लेकर कु. पवन रेखा के मकान पर गया और उसने पवन रेखा पर वेधित क्षतियां कारित करके उसकी हत्या कर दी और इसके पश्चात् पवन रेखा की नानी की भी हत्या कर दी । अपराध किए जाने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया और तारीख 1 अक्तूबर, 2010 को कुछ जहरीला पदार्थ पीने के पश्चात् वह उप-जेल बलोद के सामने गया था और उसने जेलर के दरवाजे खटखटाए, इसके पश्चात् उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया था और उसकी एमएलसी

प्रदर्श पी/32 है । मृतका पवन रेखा के पिता मंगलराम (अभि. सा. 1) के कहने पर तारीख 30 सितंबर, 2010 को 4.20 बजे और 4.35 बजे अपराह्न प्रदर्श पी/1 और प्रदर्श पी/2 पर मर्ग सूचना अभिलिखित की गई थी जिसके आधार पर उसी दिन 4.45 बजे अपराह्न दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अनजान व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/3) दर्ज की गई थी । तारीख 30 सितंबर, 2010 को मृतका मकतुला बाई और पवन रेखा के शवों की मृत्युसमीक्षा की गई जो क्रमशः प्रदर्श पी/6 और पी/7 के द्वारा की गई और शवों को शव-परीक्षा के लिए सरकारी अस्पताल बलोद में भेजा गया था जहां डा. बाबूलाल रात्रे (अभि. सा. 6) ने मृतका मकतुला बाई के शव का शवपरीक्षण किया और प्रदर्श पी/22 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें बाईं अंश-फलक क्षेत्र के नीचे 7 × 7 × 2 इंच का एक छिन्न घाव पाया गया था । मृतका कुमारी पवन रेखा के शव का शवपरीक्षण बाबूलाल रात्रे (अभि. सा. 6) द्वारा किया गया था जिन्होंने प्रदर्श पी/23 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें दाहिने प्रबाहु और बाएं वक्ष, दाहिनी कोहनी और दाहिनी भुजा और कंधे पर भिन्न-भिन्न आकार के दो छिन्न घाव, एक खरोंच और दो विदीर्ण घावों का उल्लेख किया है । शव-परीक्षा सर्जन ने मृतका की मृत्यु का कारण अंग के मर्मस्थान से अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप आघात से होना बताया था ।

3. तारीख 2 अक्तूबर, 2010 को अभियुक्त/अपीलार्थी का वक्तव्य अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर एक चाकू, दरांती और एक प्लास्टिक थैला प्रदर्श पी/12 के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । एक टी-शर्ट तथा काले रंग की पूरी पेंट तथा एक इंडेक्स का सेलफोन प्रदर्श पी/11-क के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे । घटनास्थल से एक जोड़ी चप्पलें और दरांती प्रदर्श पी/14 के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे जिन्हें अभियुक्त/अपीलार्थी के पिता सोनू द्वारा प्रदर्श पी/26 के माध्यम से पहचान किए जाने का अभिकथन किया गया था । अभिगृहीत वस्तुएं प्रदर्श/28 के माध्यम से रसायनिक परीक्षा के लिए रसायन प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए थे और बिना प्रदर्श डाले हुए न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार वस्तुओं पर रक्त की मौजूदगी अर्थात् प्लास्टर (क और ग), दरांती (ई), चप्पल (एफ), कमीज, स्कर्ट और अन्दर पहने वाला कपड़ा (जी-1, जी-2, जी-3 और जी-4) जो मृतका कु. पवन रेखा के हैं तथा मृतका मकतुला बाई की साड़ी (एच),

अपीलार्थी का चाकू, दरांती, टी-शर्ट और फुल पेंट (आई.जे.के.एल.) की पुष्टि की गई थी और रक्त-ग्रुप की उत्पति के बारे में कोई सीरम विज्ञानी रिपोर्ट अभिलेख पर पुष्टि किए जाने हेतु नहीं रखी गई थी । कोमनलाल देखमुख (अभि. सा. 10) वह साक्षी था जिसके समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति किए जाने का अभिकथन किया गया है परन्तु उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसलिए, उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया गया । आरोप पत्र फाइल करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 450 और 302 (दो गणनाओं पर) अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए ।

4. इस तरह, अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्षकथन में उसके विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों से इनकार किया है तथा अपनी निर्दोषिता का अभिवाक् किया और मिथ्या फंसाए जाने का कारण बताया था ।

5. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करके अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसा कि इस निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित है, इसलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि :-

घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है परन्तु परिस्थितियों में से कोई भी जिससे अपीलार्थी की दोषिता का निष्कर्ष निकलता हो, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया जा सकता है और, इसलिए, ऐसा कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि वह अपीलार्थी था जिसने हत्या की ।

कोमनलाल देशमुख (अभि. सा. 10), जिसके समक्ष न्यायकेतर संस्वीकृति अपीलार्थी द्वारा की गई थी,अभियोजन पक्षकथन का समर्थन

नहीं किया है ।

कि यद्‌यपि अभियुक्त/अपीलार्थी के वक्तव्य (प्रदर्श पी/11) के कुछ अभिग्रहण प्रभाव में आए थे, देखिए प्रदर्श पी/11-क, पी/12 और न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट भी सकारात्मक हैं, किन्तु सीरम विज्ञानी रिपोर्ट के अभाव में जहां अभियोजन पक्ष इसकी मूल उत्पत्ति और रक्त-समूह को साबित करने में विफल हुआ है, अभिग्रहण से इसकी महत्ता कम हुई है ।

जहां तक घटनास्थल से अभिगृहीत चप्पलों का जोड़े का संबंध है,ऐसी समरूप चप्पलें आसानी से बाजार में उपलब्ध होती हैं और कई लोग इस तरह की चप्पल पहनते हैं । **अमर साई** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] **और कंस बेहेरा** बनाम **उड़ीसा राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया है ।

7. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य के विद्‌वान् काउंसेल द्‌वारा यह दलील दी गई है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अनुसरण में पूर्णतया पाई गई है और उसमें कोई दुर्बलता नहीं है ।

8. हमने पक्षकारों के विद्‌वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

9. मंगल राम (अभि. सा. 1), जो शिकायतकर्ता है, जिसके कहने पर मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1 और प्रदर्श पी/2) तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/3) अभिलिखित किए गए थे । वह मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी/6 और प्रदर्श पी/7) का भी साक्षी है ।

10. मीना बाई (अभि. सा. 2) जो मृतका की माता है, उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट रूप से कोई कथन नहीं किया है ।

11. बिनजवाहर राम (अभि. सा. 3) मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी/6, पी/7) घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी/10) का साक्षी है । अभियुक्त/अपीलार्थी के वक्तव्य (प्रदर्श पी/11) और अभिग्रहण (प्रदर्श पी/11-क और पी/12)

---

[1] (2006) 3 सी. जी. एल. जे. 55.

[2] ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1507.

का भी साक्षी है । इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

12. घनश्याम साहू (अभि. सा. 4) अभियुक्त/अपीलार्थी के वक्तव्य (प्रदर्श पी/11) का भी साक्षी है तथा अभिग्रहण (प्रदर्श पी/11-क और पी/12) का साक्षी है ।

13. तमोंदर कुंजाम (अभि. सा. 5) जो कांस्टेबल है, उसने अन्वेषण में सहायता की ।

14. डा. बाबूलाल रात्रे (अभि.सा. 6), जिन्होंने मृतका के शव की शवपरीक्षण परीक्षा की थी और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/22 और पी/23) में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें यह राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु का कारण नाजुक अंग पर अत्यधिक रक्त-स्राव के कारण हुई थी ।

15. प्रभाकर पाण्डे (अभि. सा. 7) चप्पल के पंचनामा (प्रदर्श पी/26) को पहचान करने का साक्षी है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि ऐसी चप्पलें सामान्यतया बाजार में उपलब्ध होती हैं और पुलिस द्वारा उसे बताया गया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी की उक्त चप्पलें थीं और जिसके आधार पर उसने पहचान की थी ।

16. गणेश राम देवदास (अभि. सा. 8), जो ग्राम कोटवार का रहने वाला है वह प्रदर्श पी/6, प्रदर्श पी/7 के अधीन की गई मृत्यु समीक्षा, अभिगृहीत दरांती, चप्पल, सादी और रक्तरंजित मिट्टी जिनमें क्रमशः पी/14, पी/15 और पी/16 प्रदर्श डाले गए हैं, का साक्षी है ।

17. पी. सी. श्रीवास्तव (अभि. सा. 9) अन्वेषण अधिकारी है, जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का सम्यक् रूप से समर्थन किया है ।

18. कोमनलाल देशमुख (अभि. सा. 10) उप-जेलर ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट रूप से कोई भी कथन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है । पवन कुमार साहू (अभि. सा. 11) प्रधानाचार्य है जिनके अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी अध्यापक के पद पर नौकरी करता था, उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट रूप से कुछ भी कथन नहीं किया है ।

19. स्वीकृततः, अभिलेख पर विधिक रूप से ग्राहय-योग्य कोई

साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषिता इंगित होती हो और उसकी दोषसिद्धता उसके वक्तव्य (प्रदर्श पी/11) में प्रकट पारिस्थितिक मुख्य साक्ष्य (प्रदर्श पी/11-क और प्रदर्श पी/12) के अधीन किया गया अभिग्रहण, न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट, जिस पर प्रदर्श नहीं डाला गया है, पर आधारित है और प्रभाकर पाण्डे (अभि. सा. 7) का साक्ष्य, जो घटनास्थल से अभिगृहीत किए गए चप्पल (प्रदर्श पी/26) के पंचनामा की पहचान करने का साक्षी है ।

20. **साततातिया** उर्फ **सतीश रंजन कारतल्ला** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले के (पैरा 9, 10 और 11) में उच्चतम न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य पर विचार करते हुए पैरा 11, 12 और 13 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

> 11. हनुमंत गोविंद नरगवांदकर **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343) जो इस विषय पर पूर्ववर्ती विनिश्चयों में से एक है, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है –
>
> > 10........... यह सुस्मरणीय है कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य की प्रकृति का है, परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकलता है, उन्हें प्रथमदृष्ट्या पूर्ण रूप से साबित होना चाहिए और सभी तथ्य जो इस तरह सिद्ध किए गए हैं, अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के ही संगत होने चाहिए । पुनः, परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उनसे प्रत्येक परिकल्पना इस प्रकार अपवर्जित होनी चाहिए परन्तु उन्हें पूर्ण रूप से साबित किया जाना प्रस्तावित होना चाहिए । दूसरे शब्दों में साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो यहां तक हुई हो जिनसे अभियुक्त की निर्दोषिता का संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न छोड़ता हो और इस बारे में ऐसा होना चाहिए जिससे कि यह दर्शित हो कि सभी मानवीय संवेदताओं के अन्तर्गत ऐसा कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया

---

[1] (2008) 3 एस. सी. सी. 210 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1184.

होना चाहिए ।

12. पडाला वीरा रेड्डी **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य (1989) (सप्ली.) 2 एस. सी. सी. 706 वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, तो निम्नलिखित कसौटियों का समाधान होना चाहिए –

"(1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें तर्कपूर्ण और दृढ़तापूर्वक साबित किया जाना चाहिए ।

(2) उन परिस्थितियों को निश्चित प्रवृत्ति का होना चाहिए जिससे अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता इंगित होती हो ;

(3) परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है एक श्रृंखला के रूप में उसे पूरा होना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालने का कोई क्षेत्र नहीं होना चाहिए कि सभी मानवीय अधिसंभावना के भीतर अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया था न कि किसी दूसरे के द्वारा ; और

(4) दोषसिद्धि कायम करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य को पूरा होना चाहिए और किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए कि अभियुक्त की दोषिता और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता के केवल संगत नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए ।"

13. शरद विरधी चंद शारदा **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [1984] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार था कि श्रृंखला पूरी है और अभियुक्त द्वारा दी गई प्रतिपरीक्षा मिथ्यापूर्ण या अतर्कसंगत है, गंभीर खामियों की उपेक्षा किए जाने का आधार नहीं हो सकता है । तब न्यायालय इन शर्तों को प्रकट

करने के लिए अग्रसर होगा जो दोषसिद्धि से पूर्व पूर्णतया साबित किए जाने चाहिए, और पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो सकता है । वे इस प्रकार हैं –

(1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्णतया सिद्ध किया जाना चाहिए । संबंधित परिस्थितियां विद्यमान होनी चाहिए और उन्हें साबित नहीं किया जा सकता ।

(2) इस तरह सिद्ध किए गए तथ्य कि अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के साथ ही संगत होनी चाहिए, अर्थात् उनका अभियुक्त की दोषिता के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए ।

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ।

(4) उन्हें प्रत्येक संभव परिकल्पना पर अपवर्जित किया जाना चाहिए सिवाय पूर्ण रूप से साबित किए जाने के ; और

(5) इस तरह, साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और अभियुक्त, की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इससे यह भी दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय अधिसंभावताओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया जाना चाहिए ।

21. वर्तमान मामले में, अभियुक्त/अपीलार्थी के वक्तव्य (प्रदर्श पी /11) का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी का मृतका कुमारी पवन रेखा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था क्योंकि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी से बातचीत करना छोड़ दिया था तब उसने सबसे पहले उसकी हत्या की और इसके पश्चात् उसकी नानी श्रीमती मकतुला की दरांती और चाकू से हत्या की । उसके वक्तव्य पर दरांती, चाकू, टी-शर्ट और फुल पेन्ट और मोबाइल फोन प्रदर्श पी/11 और प्रदर्श पी/12 के माध्यम से अभिगृहीत किए गए थे, इन वस्तुओं को रसायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था और बिना प्रदर्श के

न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार उनमें रक्त की मौजूदगी (मोबाइल फोन को छोड़कर) की पुष्टि की गई थी परन्तु अभिलेख पर सीरम विज्ञानी की कोई रिपोर्ट नहीं थी जिससे इसके मूल ग्रुप की पुष्टि होती है । इस प्रकार सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट के अभाव में प्रदर्श पी /11-क और प्रदर्श पी/12ख कतिपय वस्तुओं के बारे में वक्तव्य पर आधारित है, अपने महत्व को खोती है ।

22. **कंस बेहरा** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में रक्तरंजित वस्तुओं की बरामदगी पर उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

> "11. रक्तरंजित कमीज या धोती की बरामदगी के बारे में जो सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट के अनुसार, उनमें रक्त लगा हुआ था परन्तु रक्त समूह के बारे में सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं है और, इसलिए, इसे मृतका से सकारात्मक रूप में संबंधित नहीं किया जा सकता । साक्ष्य में अन्वेषक अधिकारी ने रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इस बारे में उल्लेख नहीं किया है । रक्त के धब्बों की लम्बाई चौड़ाई क्या थी और किसी व्यक्ति के कपड़ों पर छोटे-मौटे रक्त के धब्बों पर उसका स्वयं ही रक्त हो सकता है । खास रूप से यदि वह गांववासी है और उन कपड़ों को अपने पास रखा है । रक्त समूह के बारे में साक्ष्य केवल मृतका के रक्त के धब्बों को संबंधित करने के लिए केवल निश्चायक है । साक्ष्य का अभाव और मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारी यह राय है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।"

23. एक अन्य परिस्थिति जिसे घटनास्थल पर प्रदर्श पी/14 से चप्पल के जोड़ों को अभिगृहीत किए जाने के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा दलील दी हुई है जिनके बारे में अभियुक्त/अपीलार्थी से संबंधित होने का अभिकथन किया गया है और इसकी पहचान पंचनामा प्रदर्श पी/26 है ।

---

[1] ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1507.

24. प्रभाकर पांडे (अभि. सा. 7) जो पंचनामा प्रदर्श पी/26 को पहचानने का अभिसाक्षी है, ने पैरा 2 में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि क्योंकि पुलिस द्वारा उसे यह बताया गया था कि इसने चप्पलों की पहचान की है जो अभियुक्त/अपीलार्थी की हैं । इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि समरूप चप्पल बाजार से आसानी से उपलब्ध हो सकती है । इस प्रकार चप्पल का अभिग्रहण उनकी पहचान से संदेह पैदा होता है और जो अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया अभिसाक्ष्य की प्रकृति कमजोर है और उसके आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

25. इस प्रकार, विधि के पूर्वोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले में साक्ष्य की परीक्षा करते हुए हम यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी प्रश्नगत अपराध का दोषी है । विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी परिस्थिति का अवलंब नहीं लिया गया है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा इस संभावना को अपवर्जित करते हुए साबित किया गया हो कि वह अकेला अपीलार्थी था जो सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अपराध का कर्ता है । ऐसा होते हुए भी संदेह का फायदा अपीलार्थी को मिलना चाहिए और उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

26. परिणामस्वरूप, अपील सफल है और तद्नुसार इसे मंजूर किया जाता है । एतद्द्वारा आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 450 और 302 (दो गणनाओं पर) संदेह का फायदा देते हैं । उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी के बारे में यह रिपोर्ट दी गई है कि वह जेल में है । यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

# निताई पोद्दार और एक अन्य

बनाम

# त्रिपुरा राज्य

तारीख 2 अगस्त, 2018

**न्यायमूर्ति अरिन्दम लोध**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 332 – लोक सेवक को भयोपरत करने के लिए उपहति कारित करना – अभियुक्तों की दुकान से देशी शराब अभिगृहीत करने हेतु पुलिस का दुकान में प्रवेश करना – अभियुक्तों द्वारा पुलिस कार्मिकों के साथ कहा-सुनी, हाथापाई और मारपीट करना – प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य से घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी साबित होना – प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस, अपीलार्थियों की दुकान में गई थी और उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई तथा मारपीट की है, अतः ऐसी स्थिति में उनकी दोषसिद्धि न्यायोचित है ।**

**दंड संहिता, 1860 – धारा 53 – दंड की मात्रा – अभियुक्तों द्वारा एक मास का कारावास भोगा जाना – दोनों अभियुक्तों का निर्धन होना जिनमें से एक अभियुक्त का रोगग्रस्त पाया जाना – दोनों अभियुक्तों ने एक मास का कारावास भोगा है और एक अभियुक्त गंभीर रूप से बीमार भी है, अतः कारावास की अवधि कम करते हुए जुर्माने की रकम बढ़ाना न्यायोचित है ।**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना बीरगंज के श्रीकृष्णान्दन देबनाथ ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अवैध रूप से शराब बेचे जाने की गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने अभियुक्तों की मिठाई की दुकान पर छापा मारा । तलाशी की कार्यवाही के दौरान पुलिसकर्मियों ने 50 लीटर देशी शराब अभियुक्त पप्पन पोद्दार की दुकान से बरामद की किन्तु अभियुक्त पप्पन

पोद्दार एक अन्य अभियुक्त निताई पोद्दार हिंसक हो गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों की शासकीय ड्यूटी में बाधा उत्पन्न की । शिकायत के अनुसार, दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों ने पुलिसकर्मियों पर लात-घूसों से हमला किया और उन्होंने एक कांस्टेबल देबाशीष चक्रबोर्ती का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया । तथापि, उसे अन्य पुलिसकर्मी द्वारा बचा लिया गया । अन्य पुलिसकर्मियों को भी क्षतियां पहुंचीं । तद्नुसार, पुलिस थाना, बीरगंज के भारसाधक अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 353/333/307 के अधीन मामला सं. 39/2015 दर्ज किया और इस मामले में स्वयं अन्वेषण किया और अन्त में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 353/332/307 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य और सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् तारीख 21 अगस्त, 2017 को निर्णय पारित किया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों को तीन मास के कठोर कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 15 दिन के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया है । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – प्रतिरक्षा साक्षी-1 और प्रतिरक्षा साक्षी-2 अपने साक्ष्य में विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं कर सके कि अपीलार्थियों को किस कारण गिरफ्तार किया गया है । इन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस अपीलार्थी पप्पन पोद्दार की दुकान में गई थी । इसलिए, अपीलार्थी पप्पन पोद्दार की उक्त दुकान में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी साबित हो जाती है और अभियोजन साक्षियों ने यह भी साबित किया है कि अपीलार्थियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ कहासुनी, हाथापाई की गई तथा उन पर मुष्टि-प्रहार किए गए । मेरे अनुसार, वर्तमान मामले में साक्ष्य की श्रृंखला में कोई भी कड़ी कम नहीं है । इसके अतिरिक्त, प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 से यह उपदर्शित होता है कि दो पुलिस अधिकारी देबाशीष चक्रबोर्ती और सुखेन सरकार को क्षतियां

पहुंची हैं । (पैरा 11)

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती जिला, उदयपुर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विनिश्चयाधार का अवलंब लेते हुए दंड संहिता की धारा 332 के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित आक्षेपित विनिश्चय का अवलंब लिया है, मुझे इस प्रकार अवलंब लिए जाने में कोई कमी दिखाई नहीं देती है । तथापि, अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा कारित किए गए अपराध की प्रकृति पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्धि और तीन मास की अवधि का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश उपान्तरित किया जा सकता है । सुनवाई के दौरान विद्वान् काउंसेल सुश्री एस. चक्रबोर्ती ने यह दलील दी है कि दोनों अभियुक्तों ने एक मास का कारावास भोगा है और उन्हें इस आधार पर शेष दो मास का कारावास भोगने से उन्मुक्त किया जा सकता है कि दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों अत्यंत निर्धन हैं और इनमें से एक अपीलार्थी अर्थात् निताई पोद्दार गंभीर रूप से बीमार है । अतः, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलील पर विचार करने पर इस न्यायालय की यह राय है कि आहत पुलिसकर्मियों के साथ सारभूत न्याय तभी होगा जब जुर्माने की रकम बढ़ा दी जाए । तद्नुसार, अपीलार्थियों द्वारा पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना दंड अभिनिर्धारित किया जाता है किन्तु प्रत्येक अपीलार्थी को 5,000/- रुपए जुर्माने के बजाय 8,000/- रुपए का जुर्माने का संदाय करना होगा । जुर्माने की रकम विचारण न्यायालय में जमा की जानी चाहिए और वह न्यायालय बीरगंज पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा जिसका वितरण आहत पुलिसकर्मियों में किया जाएगा । चूंकि अभियुक्त-अपीलार्थी जमानत पर हैं इसलिए उनके जमानत-पत्र प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा 8,000/- रुपए का संदाय, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, किए जाने के पश्चात् उन्मोचित कर दिए जाएंगे और यह संदाय इस निर्णय की तारीख से एक मास के भीतर करना होगा । (पैरा 15 और 16)

**अवलंबित निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [1996] | (1996) 3 एस. सी. सी. 338 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3079 : **ताहिर** बनाम **राज्य (दिल्ली)** । | 14 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 26.**

2015 के सेशन विचारण मामला सं. 17 (जी. टी./ए) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर द्वारा तारीख 21 अगस्त, 2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** सुश्री एस. चक्रबोर्ती

**प्रत्यर्थी की ओर से** लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति अरिन्दम लोध** – यह अपील 2015 के सेशन विचारण मामला सं. 17 (जी. टी./ए) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर द्वारा तारीख 21 अगस्त, 2017 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 332 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और तीन मास के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 15 दिन के साधारण कारावास से दोनों अपीलार्थियों को दंडादिष्ट किया गया है ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना बीरगंज के श्रीकृष्णान्दन देबनाथ ने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अवैध रूप से शराब बेचे जाने की गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने अभियुक्तों की मिठाई की दुकान पर छापा मारा । तलाशी की कार्यवाही के दौरान पुलिसकर्मियों ने 50 लीटर देशी शराब अभियुक्त पप्पन पोद्दार की दुकान से बरामद की किन्तु अभियुक्त पप्पन पोद्दार एक अन्य अभियुक्त निताई पोद्दार हिंसक हो गए और उन्होंने

पुलिसकर्मियों की शासकीय ड्यूटी में बाधा उत्पन्न की । शिकायत के अनुसार, दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों ने पुलिसकर्मियों पर लात-घूसों से हमला किया और उन्होंने एक कांस्टेबल देबाशीष चक्रबोर्ती का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया । तथापि, उसे अन्य पुलिसकर्मी द्वारा बचा लिया गया । अन्य पुलिसकर्मियों को भी क्षतियां पहुंचीं । तद्नुसार, पुलिस थाना, बीरगंज के भारसाधक अधिकारी ने दंड संहिता की धारा 353/333/307 के अधीन मामला सं. 39/2015 दर्ज किया और इस मामले में स्वयं अन्वेषण किया और अन्त में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहित की धारा 353/332/307 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

3. विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अमरपुर द्वारा सुपुर्द किए जाने के पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध निम्न आरोप विरचित किए गए जिन पर उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की ।

आरोप निम्न प्रकार विरचित किए गए :-

प्रथमतः, तारीख 9 जून, 2015 को लगभग 9 बजे अपराह्न में टेटन बाजार में पुलिस थाना बीरगंज, जिला गोमती, त्रिपुरा के अधिकार-क्षेत्र में आप दोनों ने पुलिसकर्मियों पर आपराधिक बल का प्रयोग किया और लोक सेवक के रूप में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में हस्तक्षेप किया या आपने उक्त पुलिसकर्मियों को रोकने अथवा उनके कार्य में बाधा डालने के आशय से उन्हें लोक सेवक के रूप में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने से अवरुद्ध किया और एतद् द्वारा आपने दंड संहिता की धारा 353 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है जिसका मैं संज्ञान लेता हूं ।

द्वितीयतः, आपने उसी दिन, समय और स्थान पर जान-बूझकर पुलिस कांस्टेबल देबाशीष चक्रबोर्ती सं. टी/4047, आगा किशोर जमातिया सं. टी/3718 और सुखेन सरकार सं. टी/3744 को लोक सेवक के रूप में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में

जानबूझकर गंभीर क्षति कारित की और एतद्द्वारा दंड संहिता की धारा 333 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया जिसका मैं संज्ञान लेता हूं ।

तृतीयतः, आपने उसी दिन, समय और स्थान पर सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए और ऐसी परिस्थितियों में कि देबाशीष चक्रबोर्ती सं. टी/4077 की मृत्यु हो सकती थी और हत्या के अपराध के दोषी हो सकते थे और एतद्द्वारा आपने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का प्रयास किया है जिसका मैं संज्ञान लेता हूं ।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर आठ साक्षियों की परीक्षा कराई और 9 दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1), प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर अभि. सा. 6 द्वारा किया गया पृष्ठांकन (प्रदर्श 1/1), बिमल मजूमदार (अभि. सा. 4) का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन (प्रदर्श 2), छपी हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 3), कच्चा नक्शा (प्रदर्श 4), कच्चे नक्शे की अनुक्रमणिका (प्रदर्श 5), तारीख 9 जून, 2015 को रोजनामचे में की गई प्रविष्टि 25 और 32 (प्रदर्श 6), देबाशीष चक्रबोर्ती की क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श 7) और सुखेन सरकार की क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श 8) हैं ।

5. अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में दो साक्षी अर्थात् अमल मजूमदार (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और बिशु दास (प्रतिरक्षा साक्षी 2) को प्रस्तुत किया है ।

6. दोनों ओर से पक्षों के अपने-अपने काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय देने हेतु तीन बिन्दु विरचित किए हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

"1. क्या अभियुक्तों ने पुलिसकर्मियों पर उनके शासकीय कार्य में बाधा डालने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया है या नहीं ।

2. क्या अभियुक्तों ने कांस्टेबल देबाशीष चक्रबोर्ती, आगा किशोर जमातिया और सुखेन सरकार को उनके शासकीय कार्य के निर्वहन के दौरान गंभीर क्षति कारित की है या नहीं और

3. क्या अभियुक्तों ने जैसा कि अभिकथन किया गया है, कांस्टेबल देबाशीष चक्रबोर्ती की हत्या के सामान्य आशय को अग्रसर करने का प्रयास किया है या नहीं ।"

7. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य और सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् तारीख 21 अगस्त, 2017 को निर्णय पारित किया है जिसके द्वारा और जिसके अधीन दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों को तीन मास के कठोर कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 15 दिन के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया है ।

8. 2015 के विचारण मामला सं. 17 (जी. टी./1) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर में तारीख 21 अगस्त, 2017 को पारित उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थियों ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

9. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया है । अभि. सा. 4 के सिवाए सभी अभियोजन पुलिसकर्मी हैं और उन्होंने वही तथ्य दोहराए हैं जिनका उल्लेख शिकायत में किया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिसकर्मियों ने अभियुक्त-अपीलार्थी पप्पन पोद्दार की दुकान पर छापा मारा जहां पर वह अपनी दुकान से अवैध रूप से देशी शराब बेच रहा था और छापे के दौरान उन्होंने 15 लीटर देशी शराब बरामद की । अभियुक्त-अपीलार्थी पप्पन पोद्दार हिंसक हो गया और उसने पुलिसकर्मियों के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की । अचानक निताई पोद्दार घटनास्थल पर पहुंचा और उसने पप्पन पोद्दार की सहायता करते हुए पुलिसकर्मियों के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की । उन्होंने पुलिसकर्मियों पर लात-घूसों से क्षति पहुंचाई और कांस्टेबल देबाशीष चक्रबोर्ती की हत्या करने का प्रयास किया । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद उनका साक्ष्य

विचलित नहीं हो सका । अभि. सा. 4 को उसकी परीक्षा के समय पक्षद्रोही घोषित किया गया ।

10. मैंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन की गई अभियुक्त-अपीलार्थियों की परीक्षा का परिशीलन किया है । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इस धारा के अधीन अभियोजन पक्ष की ओर से उनके विरुद्ध किए गए अभिकथनों तथा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से इनकार किया है । उन्होंने यह कथन किया है कि कोई भी देशी शराब नहीं पाई गई है फिर भी उन्हें निरुद्ध किया गया है । धारा 313 के अधीन अभिलिखित उनके कथनों के मात्र परिशीलन से ही यह उपदर्शित होता है कि उन्होंने इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था ।

11. प्रतिरक्षा साक्षी-1 और प्रतिरक्षा साक्षी-2 अपने साक्ष्य में विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं कर सके कि अपीलार्थियों को किस कारण गिरफ्तार किया गया है । इन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस अपीलार्थी पप्पन पोद्दार की दुकान में गई थी । इसलिए, अपीलार्थी पप्पन पोद्दार की उक्त दुकान में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी साबित हो जाती है और अभियोजन साक्षियों ने यह भी साबित किया है कि अपीलार्थियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ कहासुनी, हाथापाई की गई तथा उन पर मुष्टि-प्रहार किए गए । मेरे अनुसार, वर्तमान मामले में साक्ष्य की श्रृंखला में कोई भी कड़ी कम नहीं है । इसके अतिरिक्त, प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 से यह उपदर्शित होता है कि दो पुलिस अधिकारी देबाशीष चक्रबोर्ती और सुखेन सरकार को क्षतियां पहुंची हैं ।

12. विद्वान् विचारण न्यायाधीश के अनुसार अभि. सा. 4, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, के साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए, प्रतिरक्षा साक्षी-1 और, प्रतिरक्षा साक्षी-2 विश्वसनीय और विश्वासप्रद साक्षी नहीं हैं, विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके पूर्ववर्ती

कथन के आधार पर, पक्षद्रोही घोषित किया गया है जो निम्न प्रकार उद्धृत है :-

"... और जब मैं वहां गया तब मैंने देखा कि निताई पोद्दार **उर्फ** दिलीप और उसका पुत्र पप्पन पोद्दार पुलिस को गालियां दे रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे तथा पुलिस के कब्जे से शराब के थैले को झपटने का प्रयास कर रहे थे । इसके पश्चात् मैंने देखा कि निताई पोद्दार और पप्पन पोद्दार पुलिस पर हमला करने लगे ।"

13. विद्वान् विचारण न्यायालय ने निम्न प्रकार निष्कर्ष निकाला है :-

"तथापि, यह साक्ष्य का नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में स्वतंत्र साक्षी की ही परीक्षा कराई जाए चाहे वह अभियोजन पक्षकथन का समर्थन न करे । साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है अपितु साक्ष्य की गुणवत्ता पर मुख्य रूप से विचार करना चाहिए । आर. शाजी **बनाम** केरल राज्य ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 651 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्षियों की संख्या नहीं अपितु उनके साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि साक्ष्य विधि के अधीन ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की गई है कि किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए साक्षियों की विशेष संख्या आवश्यक है । यह मूल सिद्धांत है कि साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए न कि उसकी गिनती । यह पता लगाना तर्कसम्मत होगा कि साक्ष्य सत्य, विश्वसनीय और विश्वासप्रद है या नहीं । विधिक तंत्र के अधीन इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का महत्व क्या है और साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है । इस प्रकार, साक्ष्य की उपयुक्तता उसकी गुणवत्ता से सुनिश्चित की जाती है न कि मात्रा से, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अधीन उपबंधित है ।"

14. विद्वान् विचारण न्यायालय ने **ताहिर** बनाम **राज्य (दिल्ली)**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है जिसका सुसंगत भाग पृष्ठ 341 पर है जो निम्न प्रकार है :–

> "6 ... हमारी राय में मात्र इस कारण से पुलिस पदधारियों के परिसाक्ष्य में कोई कमी नहीं है कि उनका संबंध पुलिस बल से है और विधि का कोई ऐसा नियम नहीं है न ही ऐसा कोई साक्ष्य का नियम है जिसके अधीन यह अधिकथित किया गया है कि पुलिस पदधारियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती, यदि वह विश्वसनीय पाई जाए और दोषसिद्धि केवल तब नहीं की जा सकती जब उसकी संपुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य से न हो सके । तथापि, प्रज्ञा के नियम के अधीन ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की संवीक्षा कड़ी सावधानी से की जानी चाहिए क्योंकि वे इस आधार पर हितबद्ध साक्षी कहे जा सकते हैं कि उन्होंने ही इस मामले को संस्थित किया है । यदि पुलिस पदधारियों का साक्ष्य, सावधानीपूर्वक संवीक्षा किए जाने के पश्चात् विश्वासोत्पादक प्रतीत होता है और विश्वसनीय तथा विश्वासप्रद पाया जाता है, तब इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है और उस इलाके के किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से संपुष्टि न होने पर भी अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

15. विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती जिला, उदयपुर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विनिश्चयाधार का अवलंब लेते हुए दंड संहिता की धारा 332 के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित आक्षेपित विनिश्चय का अवलंब लिया है, मुझे इस प्रकार अवलंब लिए जाने में कोई कमी दिखाई नहीं देती है । तथापि, अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा कारित किए गए अपराध की प्रकृति पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्धि और तीन मास की अवधि का

---

[1] (1996) 3 एस. सी. सी. 338 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3079.

कठोर कारावास भोगने का दंडादेश उपान्तरित किया जा सकता है ।

16. सुनवाई के दौरान विद्वान् काउंसेल सुश्री एस. चक्रबोर्ती ने यह दलील दी है कि दोनों अभियुक्तों ने एक मास का कारावास भोगा है और उन्हें इस आधार पर शेष दो मास का कारावास भोगने से उन्मुक्त किया जा सकता है कि दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों अत्यंत निर्धन हैं और इनमें से एक अपीलार्थी अर्थात् निताई पोद्दार गंभीर रूप से बीमार है । अतः, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलील पर विचार करने पर इस न्यायालय की यह राय है कि आहत पुलिसकर्मियों के साथ सारभूत न्याय तभी होगा जब जुर्माने की रकम बढ़ा दी जाए । तद्नुसार, अपीलार्थियों द्वारा पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना दंड अभिनिर्धारित किया जाता है किन्तु प्रत्येक अपीलार्थी को 5,000/- रुपए जुर्माने के बजाय 8,000/- रुपए का जुर्माने का संदाय करना होगा । जुर्माने की रकम विचारण न्यायालय में जमा की जानी चाहिए और वह न्यायालय बीरगंज पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजेगा जिसका वितरण आहत पुलिसकर्मियों में किया जाएगा । चूंकि अभियुक्त-अपीलार्थी जमानत पर हैं इसलिए उनके जमानत-पत्र प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा 8,000/- रुपए का संदाय, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, किए जाने के पश्चात् उन्मोचित कर दिए जाएंगे और यह संदाय इस निर्णय की तारीख से एक मास के भीतर करना होगा ।

17. तद्नुसार, अपील भागतः मंजूर की जाती है और इसका निपटारा भी किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

**भरत साउ**

बनाम

**बिहार राज्य**

तारीख 6 अप्रैल, 2018

**न्यायमूर्ति डा. रविरंजन और न्यायमूर्ति प्रकाश चंद जायसवाल**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – पीड़िता का पति और ससुर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कुटुंब विवाद के कारण ईंट मारकर पीड़िता की हत्या किया जाना – मामले में पीड़िता की तीन वर्ष की पुत्री के सिवाय घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होना – पीड़िता के चाचा को मृत्यु की सूचना दूरभाष से प्राप्त होना – मृत्यु का कारण और अपराधकर्ता के बारे में उन्हें ज्ञात न होना – नातेदार साक्षियों को सुना-सुनाया साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत न होना – पीड़िता की माता इत्तिलाकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त (दामाद) द्वारा पैसों की मांग की गई, उक्त रकम न देने पर पीड़िता के साथ वाक्कलह हुई, विभेदकारी है – पीड़िता की तीन वर्ष आयु की पुत्री द्वारा घटना नहीं देखा जाना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि पीड़िता की मृत्यु किसी नुकिले धारदार वस्तु से हुई है जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार ईंट से हमला करने के कारण हुई तो मृत्यु कारित करने वाली वस्तु के बारे में विभेद प्रकट हुआ है, इसलिए अभियोजन पक्ष का वृत्तांत युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुआ है – अतः अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।**

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव थाना गृह अधिकारी पुलिस थाना अरिचारी द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2010 को 7.30 बजे पूर्वाह्न ग्राम भोजदी में इस अभिकथन के साथ मीता देवी पत्नी इन्द्र देव साउ के अभिलिखित फर्द बयान के आधार पर भरत साउ और कमलेश्वर साउ के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन

2010 का अरिचारी पुलिस थाना मामला सं. 106 संस्थित किया था । इत्तिलाकर्ता ने भरत साउ के साथ जो ग्राम भोजदी का रहने वाला है, लगभग 10 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री जय पाती देवी का विवाह किया था । पूर्वोक्त विवाह से उसकी दो पुत्रियां एक पुत्र हुआ था । उसका दामाद बेरोजगार गरीब व्यक्ति था । वह फेरी लगाकर सिन्दूर और टिकली बेचा करता था और उससे वह अपने कुटुम्ब के खर्चे बड़ी मुश्किल से चलाता था । उसकी पुत्री उससे कुछ अन्य कार्य करके अधिक पैसा कमाने के लिए कहा करती थी जिस पर वह उसे धमकाता था, उसकी पुत्री द्वारा उन बातों के लिए उससे शिकायत करने पर, वह अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह पर जाया करती थी और उसने अपनी पुत्री तथा दामाद को इस बात के लिए राजी कर लिया परंतु वह अपने दामाद के स्वभाव में बदलाव नहीं कर पाई थी और वह उसकी पुत्री को लगातार धमकाता था । आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 9 जुलाई, 2010 को प्रातः उसे अपनी पुत्री की हत्या के बारे में सूचना मिली, जिसके उत्तर में वह अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह की ओर गई और उसके घर के चबूतरे में उसने अपनी पुत्री के शव को देखा । उसका चेहरा रक्त से सना हुआ था । जांच करने पर उसे पता चला कि उसका दामाद भरत साउ और उसका पिता कामेश्वर साउ द्वारा रात्रि में ईंट से हमला करके उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई । वे दोनों घर से फरार पाए गए थे । पूर्वोक्त मामले का पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया था और अन्वेषण समाप्त कर अन्वेषक अधिकारी ने पूर्वोक्त अभियुक्त भरत साउ के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र तथा केस डायरी को प्राप्त करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया और मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और अंतिम रूप से इस मामले को विचारण के लिए तदर्थ सेशन अपर जिला न्यायाधीश, शेखपुरा में अंतरित कर दिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्त के समक्ष आरोपों को पढ़ा गया था तथा उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह दोषी नहीं है और उसने विचारण

किए जाने का दावा किया । विचारण पर तदर्थ अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-II शेखपुरा द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए मामले के 6 तात्विक साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 की परीक्षा कराई । पूर्वोक्त साक्षी में से अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया जबकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 सुना सुनाए साक्षी हैं क्योंकि अभि. सा. 2 धीरेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में भरत साउ की पत्नी के हमलावर के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 में यह कथन किया है कि उसे दूसरे दिन प्रातः मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी । उसने न तो घटना देखी और न किसी व्यक्ति ने उसे उस घटना के बारे में बताया । उसने पूर्व में उन दम्पतियों के बीच किसी झगड़े के बारे में सुनने से भी इनकार किया था । माकसुदन साउ अभि. सा. 6 जो मृतका का चाचा है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि फोन की कॉल सुनने के पश्चात् वे मृतका के वैवाहिक गृह पर पहुंचे और उन्होंने जय पाती देवी के शव पर रक्त देखा था । स्थानीय लोगों ने उसे यह बताया कि भरत साउ ने उसके जीवन को छीन लिया है और उसे इस बारे में पता नहीं है हत्या का कारण क्या रहा है । उसने उसके हमलावर के बारे में बच्चों से भी पूछताछ नहीं की । उसने घटना की सूचना के स्रोत के बारे में किसी व्यक्ति का नाम भी उसे पता नहीं है और किसी भी व्यक्ति द्वारा घटना को बताने के बारे में कोई संपुष्टि नहीं हुई है । इस प्रकार, उक्त सुने सुनाए साक्षी का पूर्वोक्त असंपुष्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष भतीजी से पैसों की मांग के बारे में इनकार किया है । उसने यह कथन किया है कि उसकी ननद (इत्तिलाकर्ता) ने अपीलार्थी भरत साउ द्वारा पैसे की मांग करने के बारे में उसे बताया था परन्तु इत्तिलाकर्ता ने पूर्वोक्त मामले के तथ्य की संपुष्टि नहीं की है इसलिए, सुने सुनाए साक्षी के पूर्वोक्त कथन

साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होते । यद्यपि इत्तिलाकर्ता मीता देवी (अभि. सा. 4) ने अभियोजन पक्षकथन के समरूप अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अपीलार्थी भरत साउ ने ग्राम भोजदी में लगभग 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री को मिटा दिया था । उसने फोन कॉल प्राप्त करने के पश्चात् वह ग्राम भोजदी गई थी और अपनी पुत्री के शव को रक्त में डूबा हुआ पाया था, उसके सिर पर क्षति हुई थी । उसे वहां पता चला कि भरत साउ ने उसकी पुत्री को मिटा दिया था । परन्तु उसने सूचना देने वाले का नाम या पहचान नहीं बताई और कोई भी व्यक्ति उसकी पुत्री की हत्या की कहानी को प्रकट करने के तथ्य की संपुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया । इसके अतिरिक्त अभियोजन मामले में काफी विभेद हैं जैसाकि उसके द्वारा अपने फर्द बयान में कहा गया है कि जब वह घटना के स्थान पर पहुंची तब उसे अपीलार्थी और उसके पिता का रामेश्वर द्वारा उसकी पुत्री की हत्या किए जाने के बारे में पता चला, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसे केवल अपीलार्थी भरत साउ द्वारा उसकी पुत्री की हत्या किए जाने के बारे में पता चला । अपने फर्द बयान में उसने सूचना देने वाले का नाम और पहचान के बारे में नहीं बताया है परन्तु मामले के पूर्वोक्त पहलू पर पूर्ण विभेद प्रकट हैं, उसने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 2 में यह कथन किया है कि उसकी पोती ने उसे यह बताया कि उसके पिता ने उसकी माता की हत्या की है जिसमें लोदा (आटा पीसने की मशीन के पत्थर से) उस पर हमला किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 10 में यह भी कथन किया है कि उसकी पोती को छोड़कर किसी भी व्यक्ति ने भरत साउ द्वारा हत्या किए जाने के बारे में नहीं बताया है । इत्तिलाकर्ता राधा कुमारी की पोती की अभि. सा. 5 की इस मामले में परीक्षा कराई गई जिसने अपने पिता द्वारा मृतका की हत्या किए जाने के तथ्य की संपुष्टि नहीं की है । इसलिए इत्तिलाकर्ता का पूर्वोक्त कथन में संपुष्टि का अभाव है, इसलिए, उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जैसाकि फर्द बयान की रूपरेखा से पता चलता है, अपीलार्थी उसकी पुत्री को मारापीटा करता था क्योंकि वह फेरी करके टिकली और सिन्दूर बेचकर बहुत कम पैसा कमाया करता था और

उसकी पुत्री के दृढ़तापूर्वक कहने के बावजूद भी कोई अन्य कार्य करने का प्रयास नहीं करता । पूर्वोक्त अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी ने फेरी वाले के रूप में टिकली और सिन्दूर बेचने के बजाय कोई अन्य कार्य करने से अधिक पैसा अर्जित करने के लिए मृतका का दृढ़तापूर्वक कहने पर उसने उसकी हत्या कर दी । परन्तु पूर्वोक्त अभियोजन पक्षकथन में पूर्ण विभेद हैं, इत्तिलाकर्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 4 में यह अभिकथन किया है कि भरत साउ ने इस घटना के पूर्व 10,000/- रुपए की मांग की थी और पूर्वोक्त मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री की हत्या कर दी । इसके अतिरिक्त, यद्यपि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना से पूर्व भरत साउ द्वारा 10,000/- रुपए की मांग करने के बारे में कथन किया है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में यह कथन किया है कि भरत साउ ने कभी-भी उससे पैसों की मांग नहीं की थी और उसने उसकी पुत्री से पैसे की कोई मांग नहीं की थी । इस प्रकार, इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि उसका पूर्वोक्त परिसाक्ष्य अभियोजन पक्षकथन के पूर्णतया विभेदकारी हैं जैसाकि फर्द बयान में अभिकथित किया गया है और इस बात की भी भरत साउ (अपीलार्थी) द्वारा पैसे की मांग करना उसकी पुत्री की हत्या करने के पूर्व, उसकी पुत्री की हत्या करने का कारण रहा है, मृतका की हत्या करने का सूचना का स्रोत जो मृतका का हमलावर है । अपीलार्थी द्वारा मृतका की हत्या किए जाने की कहानी की कोई संपुष्टि नहीं हुई है जैसाकि इत्तिलाकर्ता द्वारा अपनी पोती का नाम लेकर कथन किया गया है । इसलिए इत्तिलाकर्ता का पूर्वोक्त परिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतका की पुत्री होना कहा गया है (जो इत्तिलाकर्ता की पोती है) अर्थात् राधा कुमारी अभि. सा. 5 के रूप में है । उक्त साक्षी के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य में घटना की तारीख को अपनी आयु 3 वर्ष की बतायी थी, यद्यपि, न्यायालय द्वारा उसकी आयु 6 वर्ष के रूप में निर्धारित की गई । परन्तु इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह कथन किया है कि उसकी पोती (अभि. सा. 5) की आयु लगभग 5 वर्ष

है । इत्तिलाकर्ता का उक्त अभिसाक्ष्य जिसे तारीख 8 मई, 2012 को अभिलिखित किया गया था जबकि घटना की तारीख 9 जुलाई, 2010 है, इसलिए, अभि. सा. 5 घटना के समय पर 3 वर्ष आयु की होगी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने उसके परिसाक्ष्य को अभिलिखित करने के पूर्व उक्त साक्षी की सक्षमता की परीक्षा की जिस वजह उसके समक्ष कुछ प्रश्न रखे गए और प्रश्न के उत्तर में जो इस प्रयोजन से रखे गए थे जिस प्रयोजन के लिए उसे न्यायालय में बुलाया गया था, उसने यह उत्तर दिया कि वह जेल पर पहुंची थी और उसने वहां जाने के अपने कारण को बताने में विफल रही । यद्यपि उसने अपने भाइयों और बहनों की संख्या के बारे में भी उत्तर दिया क्या सच बोली या झूठ, यह अच्छी बात है, परन्तु उससे न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के लिए उसकी सक्षमता की कसौटी के संबंध में अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए थे । क्योंकि उसे जिस स्थान पर वह गई थी उसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी और न उन स्थानों पर जाने के प्रयोजन के बारे में । परन्तु ऐसा करने के बजाय विद्वान् विचारण न्यायालय ने सक्षम साक्षी के रूप में उसे मानते हुए उसे अभिप्रमाणित किया । मामले के पूर्वोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इस साक्षी की कोमल आयु पर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि वह सक्षम बालक साक्षी नहीं है । अभिलेख का परिशीलन करने से यह प्रकट हुआ है कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 5 के पूर्वोक्त परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया है । इस प्रकार ऐसे असंपुष्ट परिसाक्ष्य और असक्षम बालक साक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, फर्द बयान के अनुसार इत्तिलाकर्ता को उसके दामाद (अपीलार्थी) द्वारा उसकी पुत्री की हत्या के बारे में पता चला था और यह हत्या उसके पिता द्वारा सिर पर ईंट मार कर की गई थी परन्तु उसने ऐसी सूचना देने वाले का नाम और उसकी पहचान के बारे में तब कुछ भी नहीं बताया जब उससे मुख्य परीक्षा की गई, उसने यह कथन किया कि उसे पूर्वोक्त घटना के बारे में उसकी पोती (अभि. सा. 5) की जानकारी से अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह में पता चला था । परन्तु उसने फर्द बयान में अपनी पोती के माध्यम से घटना के पता चलने के तथ्य को प्रकट नहीं किया था, यद्यपि यह फर्द बयान

घटना के स्थान पर पोती से मिलने के पश्चात् दिया गया था जिससे अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर संदेह पैदा होता है तथा इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 4 की विश्वसनीयता पर भी क्योंकि उसे अभि. सा. 5 के माध्यम से घटना में अपीलार्थी के सह-अपराधिता के बारे में पता चला तब उसने अपने फर्द बयान में कथन क्यों नहीं किया ? मामले के उक्त पहलू से भी यह उपदर्शित होता है कि अभि. सा. 5 ने वास्तविक रूप से घटना नहीं देखी थी बल्कि वह एक सिखाई पढ़ाई साक्षी है । यद्यपि अभि. सा. 5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पिता भरत साउ (अपीलार्थी) ने ईंट, लोदा और खन्ती का प्रयोग करके उसकी माता की हत्या की थी, उसने घटना देखी थी जबकि उसके पिता ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए धमकाया भी था और उसके बाद उसका पिता फरार हो गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह कथन किया है कि वह घटना के समय सोई हुई थी जब वह जागी तो उसने अपनी माता को मृत पाया और पिताजी को वहां से फरार हुआ पाया । जब उसके पिता ने उसकी माता पर हमला किया, तब वह और उसके भाई और बहिन सो रहे थे और जब वे जागे तो वहां पर कई लोग पहुंचे थे । अभि. सा. 5 के पूर्वोक्त कथन से स्पष्टतया यह उपदर्शित होता है कि उसने घटना नहीं देखी बल्कि अपने भाई बहन के साथ घटना के समय सो रही थी और जब वह जागी तो उसने देखा कि उसकी माता मृत पड़ी हुई है । अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए कथन के बीच पूर्वोक्त विभेदों को ध्यान में रखते हुए जो उसने घटना देखे जाने के बारे में अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया है, इसलिए, पूर्वोक्त बालक साक्षी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार, हमारी यह राय है कि मामले में असक्षम बालक साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाना सुरक्षित नहीं होगा । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जैसाकि इत्तिलाकर्ता द्वारा अपने फर्द बयान में प्रकट किया गया है कि अपीलार्थी ने ईंट से प्रहार करके मृतका को क्षति पहुंचाई थी जबकि इत्तिलाकर्ता के कथन के अनुसार जो उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया है, उसे अपीलार्थी द्वारा लोदा से कारित की गई क्षति जिससे मृतका को चोट पहुंची, के बारे में अपनी पोती अभि. सा. 5

से जानकारी हुई थी जिससे यह अभिप्रेत है कि अपीलार्थी ने कठोर और कुंद वस्तु से मृतका पर हमला किया था । अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 7) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 4 में यह कथन किया है कि उसने रक्तरंजित ईंट देखी परन्तु घटना के स्थान पर और शव-परीक्षा रिपोर्ट का परिशीलन करने पर डा. सुधीर कुमार (अभि. सा. 8) के परिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि डा. ने यह राय व्यक्त की है कि नुकीला पैना आयुध से मृतका पर कारित की गई मृत्यु पूर्व क्षति से मृतका की मृत्यु हुई थी । इस प्रकार, अभियोजन का पूर्वोक्त मौखिक साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं हुई है । (पैरा 14, 15, 16, 17 और 18)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 974.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री सैय्यद रिजवानतुला, श्रीमती प्रोनिति सिंह, न्यायमित्र

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री ए. के. सिन्हा सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति प्रकाश चंद जायसवाल ने दिया ।

**न्या. जायसवाल** – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल, विद्वान् न्यायमित्र श्रीमती प्रोनिति सिंह और इस दांडिक अपील पर राज्य की ओर से विद्वान् सहायक लोक अभियोजक को सुना ।

2. यह दांडिक अपील 2010 के पुलिस मामला सं. 106 से उद्भूत 2011 का सेशन विचारण सं. 722 में तदर्थ अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-II शेखपुरा द्वारा तारीख 25 जून, 2012 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश तथा 26 जून, 2012 को पारित दंडादेश के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया और उसे आजीवन कठोर

कारावास (आर. आई.) से दंडादिष्ट किया गया और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर कारावास के मूल दंड के अतिरिक्त एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया ।

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव थाना गृह अधिकारी पुलिस थाना अरिचारी द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2010 को 7.30 बजे पूर्वाह्न ग्राम भोजदी में इस अभिकथन के साथ नीता देवी पत्नी इन्द्र देव साउ के अभिलिखित फर्द बयान के आधार पर भरत साउ और कमलेश्वर साउ के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन 2010 का अरिचारी पुलिस थाना मामला सं. 106 संस्थित किया था । इत्तिलाकर्ता ने भरत साउ के साथ जो ग्राम भोजदी का रहने वाला है, लगभग 10 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री जय पाती देवी का विवाह किया था । पूर्वोक्त विवाह से उसकी दो पुत्रियां एक पुत्र हुआ था । उसका दामाद बेरोजगार गरीब व्यक्ति था । वह फेरी लगाकर सिन्दूर और टिकली बेचा करता था और उससे वह अपने कुटुम्ब के खर्चे बड़ी मुश्किल से चलाता था । उसकी पुत्री उससे कुछ अन्य कार्य करके अधिक पैसा कमाने के लिए कहा करती थी जिस पर वह उसे धमकाता था, उसकी पुत्री द्वारा उन बातों के लिए उससे शिकायत करने पर, वह अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह पर जाया करती थी और उसने अपनी पुत्री तथा दामाद को इस बात के लिए राजी कर लिया परंतु वह अपने दामाद के स्वभाव में बदलाव नहीं कर पाई थी और वह उसकी पुत्री को लगातार धमकाता था । आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि तारीख 9 जुलाई, 2010 को प्रातः उसे अपनी पुत्री की हत्या के बारे में सूचना मिली, जिसके उत्तर में वह अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह की ओर गई और उसके घर के चबूतरे में उसने अपनी पुत्री के शव को देखा । उसका चेहरा रक्त से सना हुआ था । जांच करने पर उसे पता चला कि उसका दामाद भरत साउ और उसका पिता कामेश्वर साउ द्वारा रात्रि में ईंट से हमला करके उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई । वे दोनों घर से फरार पाए गए थे ।

4. पूर्वोक्त मामले का पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया था और

अन्वेषण समाप्त कर अन्वेषक अधिकारी ने पूर्वोक्त अभियुक्त भरत साउ के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

5. विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र तथा केस डायरी को प्राप्त करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया और मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और अंतिम रूप से इस मामले को विचाररण के लिए तदर्थ सेशन अपर जिला न्यायाधीश, शेखपुरा में अंतरित कर दिया गया ।

6. अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्त के समक्ष आरोपों को पढ़ा गया था और तथा उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह दोषी नहीं है और उसने विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन में मौखिक साक्ष्य को सिद्ध करने के लिए नौ अभियोजन साक्षियों अर्थात् वीरेन्द्र प्रसाद (अभि. सा. 1), धीरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 2) अनिल कुमार (अभि. सा. 3) इत्तिला-कर्ता मीता देवी (अभि. सा. 4), राधा कुमारी (अभि. सा. 5) माकसुदान साउ (अभि. सा. 6), अशोक कुमार यादव (अभि. सा. 7), डा. सुधीर कुमार जिन्होंने अभि. सा. 8 के रूप में मृतका के शव की शव-परीक्षा की थी तथा डा. मोहम्मद फैजउद्दीन जो चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों में से एक है, ने अभि. सा. 9 के रूप में मृतका के शव की शव-परीक्षा की । उक्त सभी साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी । अभियोजन पक्ष ने मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ दस्तावेज फाइल किए और उन्हें साबित किया ।

8. अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था । प्रतिरक्षा का मामला यह है कि उन्होंने मृतका की मृत्यु के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मामला होने से इनकार किया है । अभियुक्तों ने न तो कोई मौखिक और न दस्तावेजी साक्ष्य अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए पेश किया है ।

9. विद्वान् विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने और अभिलेख

का परिशीलन करने के पश्चात् दोषसिद्धि और दंडादेश का पूर्वोक्त निर्णय और आदेश पारित किया जैसाकि पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित किया गया है ।

10. दोषसिद्धि और दंडादेश का पूर्वोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर दोषसिद्ध व्यक्ति ने वर्तमान दांडिक अपील फाइल की है ।

11. इस मामले में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे मामले को सिद्ध करने में समर्थ हुआ है या नहीं ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल तथा विद्वान् न्यायमित्र ने यह निवेदन किया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है, राधा कुमारी को छोड़कर (अभि. सा. 5) जो मृतका की पुत्री है परन्तु स्वीकृततः उक्त साक्षी की घटना के समय लगभग 3 वर्ष की आयु थी और वह बालक साक्षी थी । न्यायालय द्वारा उसे प्रथम साक्षी के रूप में नहीं पाया गया जिससे कि मामले में अभिसाक्ष्य देने के लिए वह सक्षमता की कसौटी पर खरी उतर सके, उसने यह उत्तर दिया कि वह जेल में गई थी और न्यायालय द्वारा वहां जाने के कारण के बारे में प्रश्न का उत्तर देने में उसने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और वह न्यायालय में साक्ष्य देने में अपनी सक्षमता की परीक्षा में खरी नहीं उतरी थी । उसकी सक्षमता के बारे में उससे अधिक प्रश्न नहीं किए गए थे, वह अपने भाइयों और बहिनों के अलावा न्यायालय में किए गए साक्ष्य में खरी नहीं उतरी थी । उक्त बालक साक्षी का पूर्वोक्त परिसाक्ष्य की किसी अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा संपुष्टि भी नहीं हुई है । इसलिए पूर्वोक्त अब संपुष्ट परिसाक्ष्य से बालक साक्षी की अक्षमता प्रकट होती है इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । यह भी निवेदन किया गया कि उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि घटना के समय पर वह सोई हुई थी और जब वह जागी तो उसने अपनी माता को मृत स्थिति में देखा था तथा उसके पिता जी फरार हो गए थे । इस प्रकार वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । यह भी निवेदन किया गया कि फर्द बयान के अनुसार इत्तिलाकर्ता को अपने दामाद (अपीलार्थी) से पुत्री की हत्या के बारे में पता चला और अपीलार्थी के पिता ने ईंट से मृतका पर हमला किया था

परन्तु वह यह नहीं बता पाई थी कि उसे किस व्यक्ति द्वारा इत्तिला दी गई थी, उसका नाम और पहचान नहीं बता पाई थी । यद्यपि इत्तिलाकर्ता ने अपने कथन में यह कहा है कि उसे अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह पर अपनी पोती अभि. सा. 5 से पूर्वोक्त घटना के बारे में जानकारी हुई थी परन्तु फर्द बयान में उसने घटना के पता चलने के तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया है । यद्यपि फर्द बयान घटना के स्थान पर अपनी पोती से मिलने के बाद किया गया था जिसमें अभियोजन पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और अभि. सा. 5 की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा होता है क्योंकि उसे घटना में अपीलार्थी की सह-अपराधिता के बारे में पता चला था जो उसे उसकी पोती द्वारा बताया गया था, उसने इस तरह अपने फर्द बयान में कथन किया गया होगा परन्तु उसने ऐसा नहीं किया जिससे कि यह भी उपदर्शित होता कि अभि. सा. 5 ने वास्तव में घटना नहीं देखी थी बल्कि वह सिखाई पढ़ाई साक्षी है । यह भी निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपीलार्थी टिकली और सिन्दूर बेचने की फेरी लगाता था जिससे वह बहुत कम पैसा अर्जित करता था और अपीलार्थी ने उसकी पुत्री के कहने के बावजूद भी कोई अन्य कार्य करके पैसा अर्जित करने का प्रयास नहीं किया और भी उसकी पिटाई करता था, परन्तु अभियोजन पक्ष ने किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई जो अभियोजन के पूर्वोक्त कथन की संपुष्टि करता हो । इसके अतिरिक्त, अभियोजन के पूर्वोक्त पक्षकथन में काफी विभेद प्रकट हैं । इत्तिलाकर्ता ने फर्द बयान में मृत्यु कारित होने के बारे में यह कथन किया है कि वह अपीलार्थी को 10,000/- रुपए की मदद करने में विफल रही । अभियोजन के उक्त पक्षकथन की किसी अन्य साक्षी द्वारा भी संपुष्टि नहीं की गई है । यह भी निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपीलार्थी ने ईंट से मृतका पर हमला किया था परन्तु अभियोजन के पूर्वोक्त पक्षकथन में पूर्ण विभेद प्रकट हैं । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने ईंट, लोदा और खन्ती से मृतका पर हमला किया था तथा इत्तिलाकर्ता ने अपीलार्थी द्वारा लोदा से मृतका पर हमला करने के बारे में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है । इसके अतिरिक्त अभियोजन का पूर्वोक्त पक्षकथन की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी संपुष्टि नहीं हुई है क्योंकि डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है

कि मृत्यु पूर्व क्षति तेज धारदार आयुध से मृतका पर की गई थी । इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल हुआ है तथा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने में कोई मौखिक साक्ष्य या विश्वसनीय साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य देने में विफल हुआ है इसलिए अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है ।

13. दूसरी ओर, विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि तथा दंडादेश के आदेश की विधिमान्यता और सत्यता पर दलील देते हुए यह निवेदन किया है कि अभि. सा. 5 जो मृतका की पुत्री है, उसने घटना देखी थी और उसने अभियोजन पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन किया है । अन्य साक्षी और चिकित्सा साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन की संपुष्टि हुई है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का सही रूप से मूल्यांकन करके पूर्वोक्त निर्णय और दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश पारित करके ठीक ही किया है जिसे कायम रखा जाता है और इस अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है ।

14. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए मामले के 6 तात्विक साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 की परीक्षा कराई । पूर्वोक्त साक्षी में से अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया जबकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 सुना सुनाए साक्षी हैं क्योंकि अभि. सा. 2 धीरेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में भरत साउ की पत्नी के हमलावर के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 में यह कथन किया है कि उसे दूसरे दिन प्रातः मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी । उसने न तो घटना देखी और न किसी व्यक्ति ने उसे उस घटना के बारे में बताया । उसने पूर्व में उन दम्पतियों के बीच किसी झगड़े के बारे में सुनने से भी इनकार किया था । माकसुदन साउ अभि. सा. 6 जो मृतका का चाचा है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि फोन की कॉल सुनने के पश्चात् वे मृतका के वैवाहिक गृह पर पहुंचे और उन्होंने जय पाती देवी के शव पर रक्त देखा था । स्थानीय लोगों ने उसे यह बताया कि भरत साउ ने उसके जीवन को छीन लिया है और उसे इस बारे में पता नहीं है हत्या का कारण क्या रहा है । उसने उसके हमलावर के बारे में बच्चों से भी

पूछताछ नहीं की । उसने घटना की सूचना के स्रोत के बारे में किसी व्यक्ति का नाम भी उसे पता नहीं है और किसी भी व्यक्ति द्वारा घटना को बताने के बारे में कोई संपुष्टि नहीं हुई है । इस प्रकार, उक्त सुने सुनाए साक्षी का पूर्वोक्त असंपुष्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष भतीजी से पैसों की मांग के बारे में इनकार किया है । उसने यह कथन किया है कि उसकी ननद (इत्तिलाकर्ता) ने अपीलार्थी भरत साउ द्वारा पैसे की मांग करने के बारे में उसे बताया था परन्तु इत्तिलाकर्ता ने पूर्वोक्त मामले के तथ्य की संपुष्टि नहीं की है इसलिए, सुने सुनाए साक्षी के पूर्वोक्त कथन साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होते ।

15. यद्यपि इत्तिलाकर्ता मीता देवी (अभि. सा. 4) ने अभियोजन पक्षकथन के समरूप अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अपीलार्थी भरत साउ ने ग्राम भोजदी में लगभग 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री को मिटा दिया था । उसने फोन कॉल प्राप्त करने के पश्चात् वह ग्राम भोजदी गई थी और अपनी पुत्री के शव को रक्त में डूबा हुआ पाया था, उसके सिर पर क्षति हुई थी । उसे वहां पता चला कि भरत साउ ने उसकी पुत्री को मिटा दिया था । परन्तु उसने सूचना देने वाले का नाम या पहचान नहीं बताई और कोई भी व्यक्ति उसकी पुत्री की हत्या की कहानी को प्रकट करने के तथ्य की संपुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया । इसके अतिरिक्त अभियोजन मामले में काफी विभेद हैं जैसाकि उसके द्वारा अपने फर्द बयान में कहा गया है कि जब वह घटना के स्थान पर पहुंची तब उसे अपीलार्थी और उसके पिता का रामेश्वर द्वारा उसकी पुत्री की हत्या किए जाने के बारे में पता चला, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसे केवल अपीलार्थी भरत साउ द्वारा उसकी पुत्री की हत्या किए जाने के बारे में पता चला । अपने फर्द बयान में उसने सूचना देने वाले का नाम और पहचान के बारे में नहीं बताया है परन्तु मामले के पूर्वोक्त पहलू पर पूर्ण विभेद प्रकट हैं, उसने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 2 में यह कथन किया है कि उसकी पोती ने उसे यह बताया कि उसके पिता ने उसकी माता की हत्या की है जिसमें लोदा (आटा पीसने की मशीन के पत्थर से) उस पर हमला किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 10 में यह भी कथन किया है कि उसकी पोती को छोड़कर किसी भी व्यक्ति ने भरत साउ द्वारा हत्या किए जाने के

बारे में नहीं बताया है । इत्तिलाकर्ता की पोती अर्थात् राधा कुमारी (अभि. सा. 5) की इस मामले में परीक्षा कराई गई जिसने अपने पिता द्वारा मृतका की हत्या किए जाने के तथ्य की संपुष्टि नहीं की है । इसलिए इत्तिलाकर्ता के पूर्वोक्त कथन में संपुष्टि का अभाव है, इसलिए, उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जैसाकि फर्द बयान की रूपरेखा से पता चलता है, अपीलार्थी उसकी पुत्री को मारापीटा करता था क्योंकि वह फेरी करके टिकली और सिन्दूर बेचकर बहुत कम पैसा कमाया करता था और उसकी पुत्री के दृढ़तापूर्वक कहने के बावजूद भी कोई अन्य कार्य करने का प्रयास नहीं करता । पूर्वोक्त अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी ने फेरी वाले के रूप में टिकली और सिन्दूर बेचने के बजाय कोई अन्य कार्य करने से अधिक पैसा अर्जित करने के लिए मृतका का दृढ़तापूर्वक कहने पर उसने उसकी हत्या कर दी । परन्तु पूर्वोक्त अभियोजन पक्षकथन में पूर्ण विभेद हैं, इत्तिलाकर्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 4 में यह अभिकथन किया है कि भरत साउ ने इस घटना के पूर्व 10,000/- रुपए की मांग की थी और पूर्वोक्त मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री की हत्या कर दी । इसके अतिरिक्त, यद्यपि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना से पूर्व भरत साउ द्वारा 10,000/- रुपए की मांग करने के बारे में कथन किया है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में यह कथन किया है कि भरत साउ ने कभी-भी उससे पैसों की मांग नहीं की थी और उसने उसकी पुत्री से पैसे की कोई मांग नहीं की थी । इस प्रकार, जैसा कि फर्दबयान में अभिकथित है, इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि उसका उपरोक्त परिसाक्ष्य अभियोजन पक्षकथन के पूर्णतया प्रतिकूल है और इत्तिलाकर्ता की पुत्री की हत्या के पूर्व अपीलार्थी भरत साउ द्वारा की गई धन की मांग, उसकी पुत्री की हत्या का कारण, हत्या की सूचना का स्रोत, मृतका पर हमला करने वाले लोग, मृतका की हत्या के संबंध में अपीलार्थी द्वारा बताई गई कहानी अभियोजन वृत्तांत और इस कहानी से मेल नहीं खाते हैं जो इत्तिलाकर्ता की पुत्री ने इत्तिलाकर्ता को बताई थी । इसलिए इत्तिलाकर्ता का पूर्वोक्त परिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

16. घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतका की पुत्री होना कहा गया है (जो इत्तिलाकर्ता की पोती है) अर्थात् राधा कुमारी अभि. सा. 5

के रूप में है । उक्त साक्षी के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य में घटना की तारीख को 3 वर्ष की अपनी आयु बताया था, यद्यपि, न्यायालय द्वारा उसकी आयु 6 वर्ष के रूप में निर्धारित की गई । परन्तु इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह कथन किया है कि उसकी पोती (अभि. सा. 5) की आयु लगभग 5 वर्ष है । इत्तिलाकर्ता का उक्त अभिसाक्ष्य जिसे तारीख 8 मई, 2012 को अभिलिखित किया गया था जबकि घटना की तारीख 9 जुलाई, 2010 है, इसलिए, अभि. सा. 5 घटना के समय पर 3 वर्ष आयु की होगी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने उसके परिसाक्ष्य को अभिलिखित करने के पूर्व उक्त साक्षी की सक्षमता की परीक्षा की जिस वजह उसके समक्ष कुछ प्रश्न रखे गए और प्रश्न के उत्तर में जो इस प्रयोजन से रखे गए थे जिस प्रयोजन के लिए उसे न्यायालय में बुलाया गया था, उसने यह उत्तर दिया कि वह जेल पर पहुंची थी और उसने वहां जाने के अपने कारण को बताने में विफल रही । यद्यपि उसने अपने भाइयों और बहनों की संख्या के बारे में भी उत्तर दिया क्या सच बोली या झूठ, यह अच्छी बात है, परन्तु उससे न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के लिए उसकी सक्षमता की कसौटी के संबंध में अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए थे । क्योंकि उसे जिस स्थान पर वह गई थी उसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी और न उन स्थानों पर जाने के प्रयोजन के बारे में । परन्तु ऐसा करने के बजाय विद्वान् विचारण न्यायालय ने सक्षम साक्षी के रूप में मानते हुए उसे अभिप्रमाणित किया । मामले के पूर्वोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इस साक्षी की कोमल आयु पर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि वह सक्षम बालक साक्षी नहीं है । अभिलेख का परिशीलन करने से यह प्रकट हुआ है कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 5 के पूर्वोक्त परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया है । इस प्रकार ऐसे असंपुष्ट परिसाक्ष्य और असक्षम बालक साक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

17. इसके अतिरिक्त, फर्द बयान के अनुसार इत्तिलाकर्ता को उसके दामाद (अपीलार्थी) द्वारा उसकी पुत्री की हत्या के बारे में पता चला था और यह हत्या उसके पिता द्वारा सिर पर ईंट मार कर की गई थी परन्तु उसने ऐसी सूचना देने वाले का नाम और उसकी पहचान के बारे

में तब कुछ भी नहीं बताया जब उससे मुख्य परीक्षा की गई, उसने यह कथन किया कि उसे पूर्वोक्त घटना के बारे में उसकी पोती (अभि. सा. 5) की जानकारी से अपनी पुत्री के वैवाहिक गृह में पता चला था । परन्तु उसने फर्द बयान में अपनी पोती के माध्यम से घटना के पता चलने के तथ्य को प्रकट नहीं किया था, यद्यपि यह फर्द बयान घटना के स्थान पर पोती से मिलने के पश्चात् दिया गया था जिससे अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर संदेह पैदा होता है तथा इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 4 की विश्वसनीयता पर भी क्योंकि उसे अभि. सा. 5 के माध्यम से घटना में अपीलार्थी के सह-अपराधिता के बारे में पता चला तब उसने अपने फर्द बयान में कथन क्यों नहीं किया ? मामले के उक्त पहलू से भी यह उपदर्शित होता है कि अभि. सा. 5 ने वास्तविक रूप से घटना नहीं देखी थी बल्कि वह एक सिखाई पढ़ाई साक्षी है । यद्यपि अभि. सा. 5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पिता भरत साउ (अपीलार्थी) ने ईंट, लोदा और खन्ती का प्रयोग करके उसकी माता की हत्या की थी, उसने घटना देखी थी जबकि उसके पिता ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए धमकाया भी था और उसके बाद उसका पिता फरार हो गया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह कथन किया है कि वह घटना के समय सोई हुई थी जब वह जागी तो उसने अपनी माता को मृत पाया और पिताजी को वहां से फरार हुआ पाया । जब उसके पिता ने उसकी माता पर हमला किया, तब वह और उसके भाई और बहिन सो रहे थे और जब वे जागे तो वहां पर कई लोग पहुंचे थे । अभि. सा. 5 के पूर्वोक्त कथन से स्पष्टतया यह उपदर्शित होता है कि उसने घटना नहीं देखी बल्कि अपने भाई बहन के साथ घटना के समय सो रही थी और जब वह जागी तो उसने देखा कि उसकी माता मृत पड़ी हुई है । अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए कथन के बीच पूर्वोक्त विभेदों को ध्यान में रखते हुए जो उसने घटना देखे जाने के बारे में अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया है, इसलिए, पूर्वोक्त बालक साक्षी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार, हमारी यह राय है कि मामले में असक्षम बालक साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाना सुरक्षित नहीं होगा ।

18. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जैसाकि इत्तिलाकर्ता द्वारा अपने फर्द बयान में प्रकट किया गया है कि अपीलार्थी ने ईंट से प्रहार

करके मृतका को क्षति पहुंचाई थी जबकि इत्तिलाकर्ता के कथन के अनुसार जो उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया है, उसे अपीलार्थी द्वारा लोदा से कारित की गई क्षति जिससे मृतका को चोट पहुंची, के बारे में अपनी पोती अभि. सा. 5 से जानकारी हुई थी जिससे यह अभिप्रेत है कि अपीलार्थी ने कठोर और कुंद वस्तु से मृतका पर हमला किया था । अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 7) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 4 में यह कथन किया है कि उसने रक्तरंजित ईंट देखी परन्तु घटना के स्थान पर और शव-परीक्षा रिपोर्ट का परिशीलन करने पर डा. सुधीर कुमार (अभि. सा. 8) के परिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि डा. ने यह राय व्यक्त की है कि नुकीला पैना आयुध से मृतका पर कारित की गई मृत्यु पूर्व क्षति से मृतका की मृत्यु हुई थी । इस प्रकार, अभियोजन का पूर्वोक्त मौखिक साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं हुई है ।

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि अभियोजन पक्ष संगत विश्वसनीय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को पेश करने में बुरी तरह विफल हुआ है । इसलिए, मामला सभी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं हुआ है । इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा दंडादेश को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध उस पर लगाए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । क्योंकि अपीलार्थी अभिरक्षा में है, इसलिए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किए जाने का निदेश किया जाता है । तद्नुसार, दांडिक अपील मंजूर की जाती है ।

20. इस निर्णय का प्रथम और अंतिम पृष्ठ विद्वान् न्यायमित्र सुश्री प्रोनिति सिंह को दिया जाता है और विद्वान् न्यायमित्र को पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा विहित की गई फीस का संदाय किया जाएगा ।

21. मैं न्यायमूर्ति डा. रविरंजन से सहमत हूं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

---

## हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

## मदन सिंह

तारीख 11 मई, 2018

**न्यायमूर्ति चंद्र भूषण वारोवालिया**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और 338 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – दुर्घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित को गंभीर क्षति पहुंचना – यदि यह बात स्पष्ट नहीं कि पीड़ित के गिरने की वजह से दुर्घटना घटी या अभियुक्त ड्राइवर के उपेक्षा से गाड़ी चलाने के कारण तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है तो पीड़ित का एकमात्र कथन अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषिता को साबित करने में युक्तियुक्त संदेह के परे विफल हुआ है तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषमुक्ति उचित है ।**

वर्तमान अपील में उद्भूत संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं जैसाकि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 4 दिसंबर, 2003 को श्रीमती रीता देवी अपने पुत्र राहुल के साथ नाहान बाजार पर घरेलू सामान खरीदने के लिए पहुंची थी और सामान क्रय करने के पश्चात् वे अपने घर विक्रम कासटले पर पहुंचने के लिए बस सं. हि. प्र. 18 3601 पर चढ़े । लगभग 6.00 बजे अपराह्न बस विक्रम कासटले पर पहुंची तथा ड्राइवर/अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) ने वहां पर यात्रियों के उतरने के लिए बस रोकी, यद्यपि श्रीमती रीता देवी सुरक्षित रूप से बस से नीचे उतरी, तथापि, जब उसका पुत्र राहुल बस से नीचे उतर रहा था तब अभियुक्त ने कंडक्टर की सीटी का इंतजार किए बिना बस चलाई जिसके परिणामस्वरूप राहुल नीचे गिर गया और उसके बाएं पैर पर क्षति पहुंची जो बस के पिछले टायर से पहुंची थी । नरेश कुमार/शिकायतकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "शिकायतकर्ता" कहा गया

है) और उसका भाई संजीव कुमार पूर्वोक्त बस पर थे जो आहत व्यक्ति को उपचार के लिए जनरल अस्पताल नाहान पर ले गए और उक्त दुर्घटना के बारे में पुलिस को दूरभाष से सूचना दी । पुलिस ने शिकायतकर्ता के कथन को लेखबद्ध किया जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 243/03 पुलिस थाना नाहान पर अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई थी । अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर गए और घटनास्थल की स्थिति के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और बस को उसके दस्तावेजों के साथ कब्जे में लिया गया था तथा उस बारे में ज्ञापन भी तैयार किया गया था । आघाती बस सहित उस स्थान के फोटोग्राफ प्राप्त किए गए थे और बस की तकनीकी रूप से परीक्षा की गई थी जिसमें कोई तकनीकी कमी नहीं पाई गई थी । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 जून, 2005 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279 और 338 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त कर दिया, इसलिए वर्तमान अपील फाइल की गई । अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषमुक्ति के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य की अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् जो अभिलेख पर प्रकट है, यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 11 बस का कंडक्टर है, उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । वह यद्‌यपि अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि बस में कई यात्री थे परन्तु अन्वेषण अधिकारी ने स्वतंत्र साक्षी के रूप में उनमें से किसी भी व्यक्ति को सहबद्ध नहीं किया । अभि. सा. 2 का मात्र कथन अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह एक हितबद्ध साक्षी है और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 उसे जानते हैं क्योंकि वह उनके साथ काम किया करता था । स्वीकृततः,

इस लड़के को अपने दाहिने पैर पर गंभीर क्षति हुई थी परन्तु क्या यह गिरने से या ड्राइवर/अभियुक्त के उतावलेपन से गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई है, यह बात संदेहपूर्ण है । इसलिए इन परिस्थितियों में साक्ष्य को विचार में लेने के पश्चात् जो अभिलेख पर प्रकट है और साक्षियों के परिसाक्ष्य का तथा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में विफल हुआ है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के युक्तियुक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है । उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों को तथा इसमें ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता हूं और उसे खारिज किया जाता है । तद्नुसार इसे खारिज किया गया । यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उनका भी निपटारा किया जाएगा । (पैरा 11, 12 और 16)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2008] | (2008) 1 एस. सी. सी. 258 : **के. प्रकाशन** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन** ; | 13 |
| [2007] | (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850 : **चंद्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; | 15 |
| [2006] | (2006) 1 एस. सी. सी. 401 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836 : **टी. सुब्रहमण्यिम** बनाम **तमिलनाडु राज्य** । | 14 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 427.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री अश्विनी शर्मा और पी. के. भाटी, अपर महाधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री आर. पी. सिंह

**न्यायमूर्ति चन्द्रभूषण वारोवालिया** – वर्तमान अपील अपीलार्थी-हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दंड संहिता की धारा 279 और 338 के अधीन 2004 का दांडिक मामला सं. 36/2 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नाहान, जिला सिरमोर, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 29 जून, 2005 को पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय को आक्षेपित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन फाइल की गई है ।

2. वर्तमान अपील में उद्भूत संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं जैसाकि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 4 दिसंबर, 2003 को श्रीमती रीता देवी अपने पुत्र राहुल के साथ नाहान बाजार पर घरेलू सामान खरीदने के लिए पहुंची थी और सामान क्रय करने के पश्चात् वे अपने घर विक्रम कासटले पर पहुंचने के लिए बस सं. हि. प्र. 18 3601 पर चढ़े । लगभग 6.00 बजे अपराह्न बस विक्रम कासटले पर पहुंची तथा ड्राइवर/अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) ने वहां पर यात्रियों के उतरने के लिए बस रोकी, यद्यपि श्रीमती रीता देवी सुरक्षित रूप से बस से नीचे उतरी, तथापि, जब उसका पुत्र राहुल बस से नीचे उतर रहा था तब अभियुक्त ने कंडक्टर की सीटी का इंतजार किए बिना बस चलाई जिसके परिणामस्वरूप राहुल नीचे गिर गया और उसके बाएं पैर पर क्षति पहुंची जो बस के पिछले टायर से पहुंची थी । नरेश कुमार/शिकायतकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "शिकायतकर्ता" कहा गया है) और उसका भाई संजीव कुमार पूर्वोक्त बस पर थे जो आहत व्यक्ति को उपचार के लिए जनरल अस्पताल नाहान पर ले गए और उक्त दुर्घटना के बारे में पुलिस को दूरभाष से सूचना दी । पुलिस ने शिकायतकर्ता के कथन को लेखबद्ध किया जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 243/03 पुलिस थाना नाहान पर अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई थी । अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर गए और घटनास्थल की स्थिति के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और बस को उसके दस्तावेजों के साथ कब्जे में लिया गया था तथा उस बारे में ज्ञापन भी तैयार किया गया था । आघाती बस सहित उस स्थान के फोटोग्राफ प्राप्त किए गए थे और बस की तकनीकी रूप से परीक्षा की गई थी जिसमें कोई तकनीकी कमी नहीं पाई गई थी । अन्वेषण पूरा

करने के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 29 जून, 2005 को आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279 और 338 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त कर दिया, इसलिए वर्तमान अपील फाइल की गई ।

4. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा कारित किया गया दोषमुक्ति के निर्णय में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है जिससे कि सही परिप्रेक्ष्य का पता चलता और इसलिए, साक्ष्य का सही रूप से पुन: मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित किया है । दूसरी ओर, अभियुक्त/प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में विफल हुआ है और, इसलिए, दोषमुक्ति का तर्कयुक्त निर्णय विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है ।

5. विद्वान् विधि अधिकारी और विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल की दलीलों का मूल्यांकन करते हुए इस न्यायालय ने विस्तृत रूप से अभिलेख का परिशीलन किया तथा साक्षियों के कथनों की बारीकी से संवीक्षा की ।

6. हेड कांस्टेबल चोली राम अभि. सा. 1 जिन्होंने आघाती बस सहित घटनास्थल के फोटोग्राफ प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-5 लिए थे और जिनके निगेटिव प्रदर्श पी-6 से प्रदर्श पी-10 हैं । एच. आर. टी. सी. डिपो नाहान में कार्यरत जमील अहमद अभि. सा. 5 ड्राइवर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क का साक्षी है जिसके द्वारा आघाती बस के साथ उसके दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे । लायक राम अभि. सा. 9 ने लॉगबुक

और ड्यूटी रजिस्टर पेश किया जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क और पी. डब्ल्यू. 9/ख हैं । हेड कांस्टेबल सरन सिंह अभि. सा. 8 ने एच. आर. टी. सी. बस संख्या हि. प्र. 18 3601 की तकनीकी रूप से परीक्षा की और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क पेश की । वह अपनी प्रतिपरीक्षा में उस समय ड्यूटी को नहीं बता सका जब उसने आघाती बस की तकनीकी रूप से परीक्षा की ।

7. शिकायतकर्ता नरेश कुमार (अभि. सा. 2) साक्षी कठघरे में खड़ा हुआ और उसने यह कथन किया कि तारीख 4 दिसंबर, 2003 को लगभग 5.30 बजे अपराह्न वह बस स्टैण्ड नाहान से बस सं. हि. प्र. 18 3601 पर चढ़ा और लगभग 6.00 बजे अपराह्न बस विक्रम कासटले पर पहुंची जहां पर रीता देवी (अभि. सा. 4) सुरक्षित रूप से बस से उतर गई । तथापि, जब राहुल अभि. सा. 3 बस से उतर रहा था तब अभियुक्त ने अचानक बस चलानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप राहुल नीचे गिर गया और उसका दाहिना पैर बस के पिछले टायर के नीचे आ गया । इसके पश्चात्, उसे रीता देवी अभि. सा. 4 अपने भाई संजीव कुमार के साथ घायल अवस्था में उपचार के लिए जोनल अस्पताल नाहान ले जाया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि बस में कई यात्री थे जब बस विक्रम कासटले पर पहुंची । उसने यह भी कथन किया कि अभि. सा. 3 और 4 उसे जानते हैं क्योंकि वह उनके साथ काम करता है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि राहुल अभि. सा. 3 उसके साथ बैठा हुआ था जबकि उसकी माता (अभि. सा. 4) उनके सामने की सीट पर बैठी हुई थी । उसने यह स्वीकार किया है कि वह पहले भी कई बार इस बस में चढ़ा और प्रायः इसे अभियुक्त द्वारा चलाया जाता था जो बड़ी सावधानी के साथ इसे चलाया करता था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 बस से उतरे तब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था । उसने स्वयं यह भी कथन किया है कि अभि. सा. 4 के पास थैला था । उसने प्रतिरक्षा सुझाव से इनकार किया है कि जब बस चलनी प्रारंभ हुई तब राहुल अभि. सा. 3 उन वस्तुओं को वापस लेने के लिए दौड़ा और जिसके कारण वह गिर गया जिसके परिणामस्वरूप बस के टायर के नीचे उसका पैर आ गया ।

8. यह विवाद नहीं किया गया है कि राहुल (अभि. सा. 3) और रीता देवी (अभि. सा. 4) ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्षकथन के समर्थन करने की कोशिश की । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में वे समाधानप्रद रूप से अभियुक्त की ओर से बरती गई असावधानी का भी विधिमान्य अभिकथन नहीं कर सके । उन्होंने यह कथन किया कि तारीख 4 दिसंबर, 2003 की सायं को वे बस सं. हि. प्र. 18 3601 पर 5.30 बजे अपराह्न चढ़े थे और 6.00 बजे अपराह्न विक्रम कासटले पर पहुंचे । जब अभि. सा. 3 बस से नीचे उतर रहा था तब अभियुक्त ने अचानक बस चला दी जिसके परिणास्वरूप अभि. सा. 3 नीचे गिर गया और उसके दाहिने पैर पर क्षति पहुंची । अभि. सा. 3 के अनुसार, जिससे दुर्घटना घटित हुई, क्योंकि अभियुक्त ने अचानक बस चला दी थी । तथापि, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या बस कंडक्टर ने बस को चलाने के लिए सीटी बजाई थी या नहीं । दूसरी ओर अभि. सा. 4 के अनुसार, अभियुक्त दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उसने बिना कंडक्टर के सीटी का इंतजार किए बस चला दी थी । परन्तु इन दोनों साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में वस्तुओं के ब्यौरे के बारे में संपुष्टि की जो वे दुर्घटना के समय बस में ला रहे थे । अभि. सा. 3 ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि वे एक सब्जी का थैला और एक ब्रीफकेस ला रहे थे जिन्हें उन्होंने बस से उतरने के पश्चात् सड़क पर रखा था । तथापि, अभि. सा. 4 ने उक्त दुर्घटना के समय पर अपने पास एक ब्रीफकेस होने के तथ्य से इनकार किया है ।

9. आघाती बस का कंडक्टर माम राज अभि. सा. 11 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है । उसने अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 4 जनवरी, 2003 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 सुरक्षित रूप से बस से उतरे थे और इसके पश्चात् बस में बैठे यात्रियों के कहने पर अभियुक्त ने बस चला दी । जब बस चली तो अभि. सा. 3 अपनी वस्तुओं को लेने के लिए दौड़कर पीछे लौटा जिस कारण वह गिर गया और उसका दाहिना पैर बस के पिछले टायर के नीचे आ गया । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि चीख-पुकार सुनने पर उसने सीटी बजाई और ड्राइवर ने बस को रोक दिया । उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त की उपेक्षा की वजह से दुर्घटना

घटी थी ।

10. डा. एस. सी. गोयल (अभि. सा. 7) ने अभि. सा. 3, राहुल की चिकित्सा परीक्षा की और एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क जारी किया और क्षति के बारे में गंभीर प्रकृति का होना कहा गया । डा. डी. वी. कुलकर्णी (अभि. सा. 6) जो विकिरण विज्ञानी के पद पर जोनल अस्पताल नाहान में कार्यरत है । उसने आहत का एक्सरे लिया और उस पर अपनी राय व्यक्त की जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग है ।

11. साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् जो अभिलेख पर प्रकट है, यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 11 बस का कंडक्टर है, उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । वह यद्यपि अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि बस में कई यात्री थे परन्तु अन्वेषण अधिकारी ने स्वतंत्र साक्षी के रूप में उनमें से किसी भी व्यक्ति को सहबद्ध नहीं किया । अभि. सा. 2 का मात्र कथन अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह एक हितबद्ध साक्षी है और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 उसे जानते हैं क्योंकि वह उनके साथ काम किया करता था ।

12. स्वीकृततः, इस लड़के को अपने दाहिने पैर पर गंभीर क्षति हुई थी परन्तु क्या यह गिरने से या ड्राइवर/अभियुक्त के उतावलेपन से गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई है, यह बात संदेहपूर्ण है । इसलिए इन परिस्थितियों में साक्ष्य को विचार में लेने के पश्चात् जो अभिलेख पर प्रकट है और साक्षियों के परिसाक्ष्य का तथा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में विफल हुआ है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के सुकारण युक्त निर्णय पर हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है ।

13. **के. प्रकाशन** बनाम **पी. के. सुरेन्द्रन**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब दो मत संभव हों तो अपील न्यायालय मात्र इस कारण से कि दूसरा मत संभव था । दोषमुक्ति के

---

[1] (2008) 1 एस. सी. सी. 258.

निर्णय को उलटना नहीं चाहिए । जब विचारण न्यायालय का निर्णय न तो उलटा था और न किसी विधिक दुर्बलता से ग्रसित था या अभिलेख पर साक्ष्य में विचार न करना अवमूल्यन करने पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को उलटना न्यायसंगत नहीं था ।

14. **टी. सुब्रहमण्यिम** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एक ही साक्ष्य से दो मत युक्तियुक्त रूप से संभव हों तब अभियोजन यह नहीं कह सकता है कि इसे युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित किया है ।

15. **चंद्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालयों की शक्तियों के निम्नलिखित सिद्धांतों पर यह मत व्यक्त किया है :–

> "42. पूर्वोक्त चर्चा से हमारी विचारित राय यह है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित साधारण सिद्धांत से यह प्रकट है –
>
> (1) अपील न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की शक्ति है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है ।
>
> (2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ऐसी शक्ति को प्रयोग करने पर कोई परिसीमा निर्बंधन या शर्त नहीं रखता है और अपील न्यायालय इससे पूर्व साक्ष्य पर अपने स्वयं के निष्कर्ष तथ्य के प्रश्न तथा कानून पर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है ।
>
> (3) इस प्रकार विभिन्न अभिव्यक्तियां 'सारभूत और विवशकारी' कारण, 'उत्तम और पर्याप्त आधार', 'अति प्रबल परिस्थितियां', 'संक्षिप्त निष्कर्ष', 'मुख्य गलतियां' आदि, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की प्रबल शक्तियों

---

[1] (2006) 1 एस. सी. सी. 401 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836.

[2] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850.

को कम करने का आशय नहीं है ऐसे मुहावरे अपील न्यायालय की 'भाषा की उन्नति' की प्रकृति से अधिक है जिससे कि अपील न्यायालय की अनिच्छा पर जोर दिया जाता है जो न्यायालय की शक्ति को कम करने की अपील दोषमुक्ति पर हस्तक्षेप है जिससे कि इससे साक्ष्य के पुनर्विलोकन करने और इस पर स्वयं के निष्कर्ष निकालने पर उसकी शक्ति संक्षिप्त हो जाती हैं ।

(4) तथापि, अपील न्यायालय को इस बात को अपने विवेक में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है । प्रथमत: दांडिक विधिशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के अधीन उसे निर्दोषी की भावना उपलब्ध होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी जब तक कि विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरा अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति को सुनिश्चित करता है, उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को विचारण न्यायालय द्वारा मजबूती और पुन: उसकी पुष्टि और बल भी दिया जाता है ।

(5) यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं तब अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

16. उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों को तथा इसमें ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता हूं और उसे खारिज किया जाता है । तद्नुसार इसे खारिज किया गया । यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उनका भी निपटारा किया जाएगा ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

<u>संसद् के अधिनियम</u>

# प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
# (1961 का अधिनियम संख्यांक 53)

**[12 दिसंबर, 1961]**

**कतिपय स्थापनों में शिशु जन्म के पूर्व और पश्चात् की कतिपय कालावधियों में स्त्रियों के नियोजन को विनियमित करने तथा प्रसूति प्रसुविधा और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए**

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) यह अधिनियम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार [1]*** संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा, जो –

[3][(क) खानों के संबंध में और किसी ऐसे अन्य स्थापन के संबंध में, जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा, तथा]

(ख) किसी राज्य के अन्य स्थापनों के संबंध में, उस राज्य सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित की जाए ।

2. **अधिनियम का लागू होना** – [4][(1) यह प्रथमत: :–

---

[1] 1970 के अधिनियम सं. 51 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा (1.9.1971 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1 नवम्बर, 1963 ; देखिए अधिसूचना सं. आ. का. 2920, तारीख 5 अक्तूबर, 1963, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृष्ठ 3735.

[3] 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 2 द्वारा (1.3.1975 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 2 द्वारा (10.1.1989 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) हर ऐसे स्थापन को जो कारखाना, खान या बागान है, जिसके अन्तर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन भी है और प्रत्येक ऐसे स्थापन को लागू होता है जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है ;

(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक दुकान या स्थापन को लागू होता है जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित थे :]

परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसा करने के अपने आशय की दो मास से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक या अन्य प्रकार के किसी अन्य स्थापन या स्थापनों के वर्ग को भी लागू होंगे ।]

(2) [1][[2][धारा 5क और धारा 5ख] में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात] किसी ऐसे कारखाने या अन्य स्थापन को लागू न होगी जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध तत्समय लागू होते हों ।

3. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समुचित सरकार" से ऐसे स्थापन के संबंध में, जो खान है [3][या ऐसा स्थापन है जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य स्थापन के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ;]

(ख) "शिशु" के अंतर्गत मृतजात शिशु भी है ;

---

[1] 1972 के अधिनियम सं. 21 की धारा 2 द्वारा "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1976 के अधिनियम सं. 53 की धारा 2 द्वारा (1.5.1976 से) "धारा 5क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 4 द्वारा (1.3.1975 से) अंत:स्थापित ।

(ग) "प्रसव" से शिशु का जन्म अभिप्रेत है ;

(घ) "नियोजक" से –

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जो सरकार के नियंत्रण के अधीन है, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, या जहां कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे नियुक्त नहीं है वहां विभागाध्यक्ष, अभिप्रेत है ;

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन के स्थापन के संबंध में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति या जहां कोई भी व्यक्ति ऐसे नियुक्त नहीं है, वहां उस स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक आफिसर अभिप्रेत है ;

(iii) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या वह प्राधिकारी जो स्थापन के कार्यकलाप पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहां उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा गया है, चाहे वह प्रबंधक, प्रबंध-निदेशक, प्रबंध-अभिकर्ता कहलाता है या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है ;

[1][(ङ) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) कोई कारखाना ;

(ii) कोई खान ;

(iii) कोई बागान ;

(iv) कोई ऐसा स्थापन जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी, और अन्य करतबों के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है ; [2][**]

[3][(ivक) कोई दुकान या स्थापन ; या]

---

[1] 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 4 द्वारा (1.3.1975 से) खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 3 द्वारा (10.1.1989 से) "या" शब्द का लोप किया गया ।

[3] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 3 द्वारा (10.1.1989 से) अंत:स्थापित ।

(v) कोई ऐसा स्थापन जिसे इस अधिनियम के उपबंध धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन लागू घोषित किए गए हैं ;]

(च) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कारखाना अभिप्रेत है ;

(छ) "निरीक्षक" से धारा 14 के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(ज) "प्रसूति प्रसुविधा" से धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अभिप्रेत है ;

[1][(जक) "गर्भ का चिकित्सीय समापन" से गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय गर्भ का समापन अभिप्रेत है ;]

(झ) "खान" से खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित खान अभिप्रेत है ;

(ञ) "गर्भपात" से गर्भावस्था के छब्बीसवें सप्ताह के पूर्व या दौरान की किसी कालावधि में सगर्भ गर्भाशय की अंतर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता है जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दंडनीय है ;

(ट) "बागान" से बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बागान अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "राज्य सरकार" से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ढ) "मजदूरी" से वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी स्त्री को, नकदी में संदत्त किया गया या यदि नियोजन की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो

---

[1] 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 2 द्वारा (1.2.1996 से) अंतःस्थापित ।

संदेय होता और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं –

(1) ऐसे नकद भत्ते (जिनके अंतर्गत महंगाई भत्ता और गृह भाटक भत्ता भी है) जिनकी कोई स्त्री तत्समय हकदार हो ;

(2) प्रोत्साहन बोनस ; तथा

(3) खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का धन मूल्य,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं –

(i) प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई बोनस ;

(ii) अतिकालिक उपार्जन और जुर्मानों के लिए की गई कोई कटौती या संदाय ;

(iii) किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या उस स्त्री की प्रसुविधा के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय कोई अभिदाय ; तथा

(iv) सेवा के पर्यवसान पर संदेय कोई उपदान ;

(ण) "स्त्री" से किसी स्थापन में मजदूरी पर नियोजित स्त्री अभिप्रेत है चाहे वह सीधे नियोजित हो या किसी अभिकरण के माध्यम से ।

4. **कतिपय कालावधियों के दौरान स्त्रियों का नियोजन या उनके द्वारा काम का किया जाना प्रतिषिद्ध** – (1) कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव [1][गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन] के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह के दौरान किसी स्थापन में जानते हुए नियोजित न करेगा ।

(2) कोई भी स्त्री अपने प्रसव [1][गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन] के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह मास के दौरान किसी स्थापन में काम नहीं करेगी ।

---

[1] 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 3 द्वारा (1.2.1996 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) धारा 6 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि किसी भी गर्भवती स्त्री से इस निमित्त उसके द्वारा प्रार्थना की जाने पर उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान उसके नियोजक द्वारा कोई ऐसा काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो कठिन प्रकृति का हो या जिसमें दीर्घकाल तक खड़ा रहना अपेक्षित हो या जिससे उसके गर्भवतित्व में या भ्रूण के प्रसामान्य विकास में किसी भी प्रकार विघ्न होना संभाव्य हो या जिससे उसका गर्भपात कारित होना या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि निम्नलिखित होगी –

(क) उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के पूर्व के छह सप्ताह की कालावधि के अव्यवहित पूर्ववर्ती एक मास की कालावधि ;

(ख) उक्त छह सप्ताह की कालावधि के दौरान की कोई कालावधि जिसके लिए वह गर्भवती स्त्री अनुपस्थिति की छुट्टी का उपभोग धारा 6 के अधीन नहीं करती ।

5. **प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार** – [1][(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, हर स्त्री अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की कालावधि, अर्थात् अपने प्रसव के दिन के अव्यवहित पूर्ववर्ती कालावधि, अपने प्रसव के वास्तविक दिन और उस दिन की अव्यवहित पश्चात्वर्ती किसी कालावधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर पर प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी और उसका नियोजक उसके लिए दायी होगा ।]

**स्पष्टीकरण** – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए औसत दैनिक मजदूरी से उस तारीख के, जिससे वह स्त्री प्रसूति के कारण अनुपस्थित होती है, अव्यवहित पूर्ववर्ती तीन कलैंडर मासों की कालावधि के दौरान के उन दिनों के लिए जिन दिनों उसने काम किया है उसको संदेय उसकी मजदूरी का औसत [2][मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

---

[1] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 4 द्वारा (10.1.1989 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 4 द्वारा (10.1.1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दर या दस रुपए प्रतिदिन, जो भी अधिक हो] ।

(2) कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की तब तक हकदार न होगी, जब तक उसने अपने प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मासों में [1][अस्सी दिन] से अन्यून दिन की कालावधि पर्यंत उस नियोजक के जिससे प्रसुविधा का वह दावा करती है किसी स्थापन में वस्तुतः काम न किया हो :

परंतु पूर्वोक्त [1][अस्सी दिन] की अर्हक कालावधि उस स्त्री को लागू न होगी जिसने असम राज्य में अप्रवास किया हो और अप्रवास के समय गर्भवती रही हो ।

**स्पष्टीकरण** – इस उपधारा के अधीन उन दिनों की जिन दिनों स्त्री ने स्थापन में वस्तुतः काम किया संगणना करने के प्रयोजनार्थ, उन दिनों को गणना में लिया जाएगा जिन दिनों उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख के अव्यवहित पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान [1][उसकी कामबंदी की गई हो या वह ऐसे अवकाश पर हो जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूरी सहित अवकाश घोषित किया गया हो] ।

[1][(3) वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, बारह सप्ताह होगी, जिसमें से छह सप्ताह से अनधिक उसके प्रसव की प्रत्याशित तारीख से पूर्व होंगी :]

परंतु जहां कि कोई स्त्री इस कालावधि के दौरान मर जाए, वहां प्रसूति प्रसुविधा उसकी मृत्यु के दिन तक के लिए ही, जिसके अंतर्गत वह दिन भी सम्मिलित होगा, संदेय होगी :

[1][परंतु यह और भी कि जहां कोई स्त्री शिशु को जन्म देकर अपने प्रसव के दौरान या अपने प्रसव की तारीख के अव्यवहित पश्चात्वर्ती उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा के लिए हकदार है, इन दोनों दशाओं में से किसी भी दशा में उस शिशु को छोड़कर मर

---

[1] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 4 द्वारा (10.1.1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

जाती है, वहां नियोजक उस संपूर्ण कालावधि के लिए, यदि शिशु भी उक्त कालावधि के दौरान मर जाए तो शिशु की मृत्यु के दिन तक की, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित होगा, कालावधि के लिए, प्रसूति प्रसुविधा का दायी होगा ।]

[1][**5क. कुछ दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का बना रहना** – इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा पाने की हकदार हर स्त्री, उस कारखाने या अन्य स्थापन को जिसमें वह नियोजित है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के लागू होते हुए भी, तब तक पूर्ववत् हकदार बनी रहेगी जब तक वह उस अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दावा करने के लिए अर्हित न हो जाए ।]

[2][**5ख. कतिपय दशाओं में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय** – प्रत्येक स्त्री –

(क) जो किसी ऐसे कारखाने अथवा अन्य स्थापन में नियोजित है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंध लागू होते हैं ;

(ख) जिसकी मजदूरी (अतिकाल काम के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) एक मास के लिए उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के उपखंड में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है ; और

(ग) जो धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करती है,

इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी ।]

6. **प्रसूति प्रसुविधा के दावे की सूचना और उसका संदाय** – (1) किसी स्थापन में नियोजित और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने नियोजक को ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, यह कथन करते हुए लिखित सूचना दे सकेगी कि उसकी प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम, जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार हो, उसे या उस व्यक्ति को, जिसे वह सूचना में नामनिर्देशित करे संदत्त की जाए और यह कि वह उस

---

[1] 1972 के अधिनियम सं. 21 की धारा 3 द्वारा (1.6.1972 से) अंत:स्थापित ।

[2] 1976 के अधिनियम सं. 53 की धारा 3 द्वारा (1.5.1976 से) अंत:स्थापित ।

कालावधि के दौरान जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है किसी स्थापन में कार्य नहीं करेगी ।

(2) ऐसी स्त्री की दशा में जो गर्भवती है ऐसी सूचना में वह तारीख कथित होगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी और वह तारीख उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह के पूर्वतर की नहीं होगी ;

(3) कोई स्त्री जिसने तब सूचना न दी हो जब वह गर्भवती थी प्रसव के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी सूचना दे सकेगी ।

[1][(4) उस सूचना की प्राप्ति पर नियोजक उस स्त्री को यह अनुज्ञा देगा कि वह उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है स्थापन से अनुपस्थित रहे ।]

(5) किसी स्त्री के प्रत्याशित प्रसव की तारीख की पूर्ववर्ती कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की रकम, इस बात के कि वह स्त्री गर्भवती है ऐसे सबूत के जैसा विहित किया जाए, पेश किए जाने पर, उस स्त्री को नियोजक द्वारा अग्रिम दी जाएगी, और पश्चात्वर्ती कालावधि के लिए देय रकम, इस बात के कि उस स्त्री ने शिशु का प्रसव किया है ऐसे सबूत के जैसा विहित किया जाए, पेश किए जाने के अड़तालीस घंटों के अंदर उस स्त्री को नियोजक द्वारा संदत्त की जाएगी ।

(6) इस धारा के अधीन सूचना न दे पाना किसी स्त्री को इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम के हक से वंचित न करेगा यदि वह ऐसी प्रसुविधा या रकम के लिए अन्यथा हकदार हो और ऐसे किसी मामले में निरीक्षक या तो स्वप्रेरणा से या उसको उस स्त्री द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी प्रसुविधा या रकम का संदाय ऐसी कालावधि के अंदर करने का आदेश दे सकता जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो ।

7. **किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय** – यदि इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम की

---

[1] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 5 द्वारा (10.1.1989 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

हकदार कोई स्त्री ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम को प्राप्त करने से पूर्व मर जाए तो, या जहां नियोजक धारा 5 की उपधारा (3) के द्वितीय परंतुक के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का दायी हो वहां नियोजक ऐसी प्रसुविधा या रकम धारा 6 के अधीन दी गई सूचना में स्त्री द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को, और उस दशा में जबकि कोई ऐसा नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक प्रतिनिधि को, संदत्त करेगा ।

[1][8. **चिकित्सीय बोनस का संदाय** – यदि नियोजक द्वारा प्रसवपूर्व रखने और प्रसवोत्तर देखरेख की कोई भी व्यवस्था नि:शुल्क न की गई हो तो इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार हर स्त्री अपने नियोजक से एक हजार रुपए का चिकित्सीय बोनस पाने की भी हकदार होगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक तीन वर्ष के पूर्व, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चिकित्सीय बोनस की रकम को, बीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, बढ़ा सकेगी ।]

[2][9. **गर्भपात, आदि की दशा में छुट्टी** – गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथास्थिति, अपने गर्भपात या अपने गर्भ के चिकित्सीय समापन के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छह सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी ।]

[3][**9क. ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया के लिए मजदूरी सहित छुट्टी** – ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया की दशा में, कोई स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, अपनी ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती दो सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी ।]

10. **गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, या गर्भपात से पैदा**

---

[1] 2008 के अधिनियम सं. 15 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 4 द्वारा (1.2.1996 से) धारा 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 5 द्वारा (1.2.1996 से) अंत:स्थापित ।

**होने वाली रुग्णता के लिए छुट्टी** – गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म, [1][गर्भपात, गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया] से पैदा होने वाली रुग्णता से पीड़ित स्त्री, ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसा विहित किया जाए, यथास्थिति, धारा 6 या धारा 9 के अधीन उसे अनुज्ञात अनुपस्थिति कालावधि के अतिरिक्त, प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की कालावधि की छुट्टी की हकदार होगी ।

11. **पोषणार्थ विराम** – हर प्रसूता स्त्री को जो प्रसव के पश्चात् काम पर वापस आती है उसे विश्रामार्थ अंतराल के अतिरिक्त जो उसे अनुज्ञात है अपने दैनिक काम की चर्या में विहित कालावधि के दो विराम शिशु के पोषण के लिए तब तक अनुज्ञात होंगे, जब तक वह शिशु पंद्रह मास की आयु पूरी न कर ले ।

12. **गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति** – (1) जब कोई स्त्री काम पर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपस्थित रहती है तब उसके नियोजक के लिए यह विधिविरुद्ध होगा कि वह उसे ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या कारण उन्मोचित या पदच्युत करे या उसे उन्मोचन या पदच्युति की सूचना ऐसे दिन दे कि वह सूचना ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अवसित हो, या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी में उसके लिए अहितकर फेरफार करे ।

(2) (क) किसी स्त्री का, उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी समय उन्मोचन या पदच्युति का प्रभाव उसे प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित करना न होगा, यदि वह स्त्री ऐसे उन्मोचन या पदच्युति के अभाव में, धारा 8 में निर्दिष्ट प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस की हकदार होती :

परंतु जहां कि पदच्युति किसी विहित घोर अवचार के कारण हो वहां नियोजक स्त्री को संसूचित लिखित आदेश द्वारा उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकेगा ।

---

[1] 1995 के अधिनियम सं. 29 की धारा 6 द्वारा (1.2.1996 से) प्रतिस्थापित ।

[1][(ख) प्रसूति प्रसुविधा, या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार काम से अपनी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत स्त्री, उस तारीख से, साठ दिन के भीतर जिसको ऐसे वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किए जाने का आदेश उसे संसूचित किया गया हो, ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगी और ऐसी अपील पर उस प्राधिकारी का यह विनिश्चय अंतिम होगा कि स्त्री को प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस, या दोनों से, वंचित या सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया जाना चाहिए या नहीं ।]

(ग) इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी ।

13. **कतिपय मामलों में मजदूरी में से कटौती का न किया जाना** – इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री की प्रसामान्य और प्रायिक दैनिक मजदूरी में से केवल –

(क) धारा 4 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के आधार पर उसे समनुदिष्ट काम की प्रकृति; अथवा

(ख) धारा 11 के उपबंधों के अधीन उसे शिशु के पोषण के लिए अनुज्ञात विरामों,

के ही कारण कोई भी कटौती नहीं की जाएगी ।

14. **निरीक्षकों की नियुक्ति** – समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आफिसरों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और अधिकारिता की वे स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर वे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे ।

15. **निरीक्षकों की शक्ति और कर्तव्य** – निरीक्षक, ऐसे निर्बन्धनों या शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निम्नलिखित सब शक्तियों का या उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जो सरकार की या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में के व्यक्ति हों,

---

[1] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 7 द्वारा (10.1.1989 से) प्रतिस्थापित ।

और जिन्हें वह ठीक समझे, किसी भी ऐसे परिसर या स्थानों में जहां स्थापन में स्त्रियों को नियोजित किया जाता है, या काम दिया जाता है, किन्हीं ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों और सूचनाओं की जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन रखे या प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश करना और उन्हें निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करना, जिसे वह किसी ऐसे परिसर या स्थान में पाए और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक हो कि वह उस स्थापन में नियोजित है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अधीन ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या ऐसा साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति स्वयं उसे अपराध में फंसाने की हो ;

(ग) नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह नियोजित स्त्रियों के नामों और पतों, उन्हें किए गए संदायों और इस अधिनियम के अधीन उनसे प्राप्त आवेदनों या सूचनाओं के बारे में जानकारी दें ; तथा

(घ) किन्हीं रजिस्टरों और अभिलेखों या सूचनाओं या उनके किन्हीं प्रभागों की प्रतिलिपियां लेना ।

16. **निरीक्षकों का लोक सेवक होना** – इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हर निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा ।

17. **संदाय किए जाने का निदेश देने की निरीक्षक की शक्ति** – [1][(1) इस बात का दावा करने वाली कोई भी स्त्री कि –

(क) प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य रकम, जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार है, अनुचित रूप से विधारित की गई

[1] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 8 द्वारा (10.1.1989 से) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

है, और इस बात का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति कि वह संदाय, जो धारा 7 के अधीन शोध्य है, अनुचित रूप से विधारित किया गया है ;

(ख) उसके नियोजक ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण, उसको सेवोन्मुक्त या पदच्युत कर दिया है,

निरीक्षक को परिवाद कर सकेगी ।

(2) निरीक्षक, स्वप्रेरणा से या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद की प्राप्ति पर, जांच कर सकेगा या करा सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि –

(क) संदाय सदोषतः विधारित किया गया है, तो वह अपने आदेशों के अनुसार संदाय किए जाने का निदेश दे सकेगा ;

(ख) स्त्री को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण सेवोन्मुक्त या पद-च्युत किया गया है, तो वह ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित हों ।]

(3) निरीक्षक के उपधारा (2) के अधीन के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसा विनिश्चय ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाए, तीस दिन के भीतर अपील विहित प्राधिकारी को कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई अपील विहित प्राधिकारी को की गई हो, वहां उसका, और जहां ऐसी अपील न की गई हो, वहां निरीक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[1][(5) इस धारा के अधीन संदेय रकम कलक्टर द्वारा, निरीक्षक द्वारा उस रकम के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्र पर, भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय होगी ।]

---

[1] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 8 द्वारा (10.1.1989 से) उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

18. **प्रसूति प्रसुविधा का समपहरण** – यदि कोई स्त्री, अपने नियोजक द्वारा धारा 6 के उपबन्धों के अधीन अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किए जाने के पश्चात् ऐसी प्राधिकृत अनुपस्थिति के दौरान किसी कालावधि में किसी स्थापन में काम करेगी, तो ऐसी कालावधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा का उसका दावा समपहृत हो जाएगा ।

19. **अधिनियम और तद्धीन नियमों की संक्षिप्ति का प्रदर्शित किया जाना** – इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की उस परिक्षेत्र की भाषा या भाषाओं में संक्षिप्ति स्थापन के हर ऐसे भाग में, जिसमें स्त्रियां नियोजित हों, किसी सहजदृश्य स्थान में नियोजक द्वारा प्रदर्शित की जाएगी ।

20. **रजिस्टर, आदि** – हर नियोजक ऐसे रजिस्टर, अभिलेख और मस्टर रोल, जैसे और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, तैयार करेगा और रखेगा ।

[1][21. **नियोजक द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति** – (1) यदि कोई नियोजक, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी स्त्री की प्रसूति प्रसुविधा की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार काम से अनुपस्थित रहने के दौरान या उसके कारण ऐसी स्त्री को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करेगा, तो वह कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय, पर्याप्त कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, और कम अवधि के कारावास का या कारावास के बजाय जुर्माने का दंडादेश, अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई अन्य शास्ति

---

[1] 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 9 द्वारा (10.1.1989 से) धारा 21 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उपबंधित नहीं की गई है, ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परंतु जहां उल्लंघन प्रसूति प्रसुविधा के बारे में या किसी अन्य रकम के संदाय के बारे में किसी उपबंध का हो और ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम पहले ही वसूल नहीं कर ली गई हो वहां, न्यायालय, उसके अतिरिक्त, ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या रकम ऐसे वसूल करेगा, मानो वह जुर्माना हो और उसे उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त करेगा ।]

22. **निरीक्षक को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति** – जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए अपनी अभिरक्षा में के किसी रजिस्टर या दस्तावेज को निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर पेश करने में असफल रहेगा या किसी व्यक्ति को, निरीक्षक के समक्ष उपसंजात होने से या उसके द्वारा परीक्षित किए जाने से, निवारित करेगा, या उसे छिपाएगा, वह कारावास से, [1][जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा,] या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

[2][23. **अपराधों का संज्ञान** – (1) कोई व्यथित स्त्री, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे व्यवसाय संघ का, जिसकी ऐसी स्त्री सदस्य है, कोई पदाधिकारी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगठन या कोई निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपराध के किए जाने की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में परिवाद फाइल कर सकेगा और ऐसा कोई परिवाद उस तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से

---

1 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 10 द्वारा (10.1.1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2 1988 के अधिनियम सं. 61 की धारा 11 द्वारा (10.1.1989 से) धारा 23 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।]

24. **सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए परित्राण** – किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं होगी, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित हो ।

25. **केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति** – केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

26. **स्थापनों को छूट देने की शक्ति** – यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसी प्रसुविधाओं के, जो इस अधिनियम में उपबन्धित प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हों, अनुदान का उपबन्ध करने वाले किसी स्थापन को या स्थापनों के वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस स्थापन को या स्थापनों के वर्ग को इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, छूट दे सकेगी ।

27. **इस अधिनियम से असंगत विधियों और करारों का प्रभाव** – (1) इस अधिनियम के उपबन्ध उनसे असंगत किसी बात के किसी अन्य विधि में या किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा-संविदा के निबन्धनों में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व चाहे पश्चात् बनाई गई, किया गया या की गई हो, अन्तर्विष्ट होते हुए भी प्रभावी होंगे :

परंतु जहां किसी ऐसे अधिनिर्णय, करार, सेवा-संविदा के अधीन या अन्यथा कोई स्त्री किसी बात के बारे में ऐसी प्रसुविधाओं की हकदार हो, जो उसके लिए उन प्रसुविधाओं से अधिक अनुकूल हों जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होती, वहां वह स्त्री उस बात के बारे में अधिक अनुकूल प्रसुविधाओं की हकदार इस बात के होते हुए भी बनी

रहेगी कि वह स्त्री अन्य बातों के बारे में, इस अधिनियम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की हकदार है ।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जो किसी स्त्री को इस बात से प्रवारित करे कि वह अपने नियोजक से ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के अनुदान के लिए करार करे जो उसे उनसे अधिक अनुकूल हों, जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होती ।

28. **नियम बनाने की शक्ति** – (1) समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे –

(क) रजिस्टरों, अभिलेखों और मस्टर रोलों को तैयार करना और बनाए रखना ;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों द्वारा शक्तियों का (जिनके अन्तर्गत स्थापनों का निरीक्षण आता है) प्रयोग और कर्तव्यों का पालन ;

(ग) प्रसूति प्रसुविधा और इस अधिनियम के अधीन की अन्य प्रसुविधाओं के संदाय का ढंग, वहां तक जहां तक उसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है ;

(घ) धारा 6 के अधीन की सूचनाओं का प्ररूप ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित सबूत की प्रकृति ;

(च) धारा 11 में विनिर्दिष्ट पोषणार्थ विरामों की कालावधि ;

(छ) वे कार्य, जो धारा 12 के प्रयोजनों के लिए घोर अवचार गठित करें ;

(ज) वह प्राधिकारी, जिसको धारा 12 की उपधारा (2) के

खण्ड (ख) के अधीन अपील होगी ; वह प्ररूप और रीति, जिसमें ऐसी अपील की जा सकेगी और वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण उसे निपटाने में किया जाना है ;

(झ) वह प्राधिकारी, जिसको धारा 17 के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील होगी ; वह प्ररूप और रीति जिसमें ऐसी अपील की जा सकेगी और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण उसे निपटाने में किया जाना है ;

(ञ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक से परिवाद किए जा सकेंगे और वह प्रक्रिया, जिसका अनुसरण उस धारा की उपधारा (2) के अधीन जांच करने या कराने में उनके द्वारा किया जाना है ;

(ट) कोई अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए ।

[1][(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

29. **1951 के अधिनियम सं. 69 का संशोधन** – बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 32 में, –

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी" के पूर्व कोष्ठक और अक्षर "(क)", शब्द "रुग्णता भत्ता", के पश्चात् के

---

[1] 1973 के अधिनियम सं. 52 की धारा 5 द्वारा (1.3.1975 से) प्रतिस्थापित ।

शब्द "तथा" और खण्ड (ख) लुप्त कर दिए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "या प्रसूति" लुप्त कर दिए जाएंगे ।

30. **निरसन** – इस अधिनियम के –

(i) खानों को लागू होने पर, दि माइन्स मेटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट, 1941 (1941 का 19) ; तथा

(ii) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में स्थित कारखानों को लागू होने पर बाम्बे मेटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट, 1929 (1929 का मुम्बई अधिनियम सं. 7) जैसा वह उस राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है,

निरसित हो जाएगा ।

Cover iii

**कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची**

| क्रम सं. | पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण) | पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में) | 7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में) | 8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में) | 15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989 | 30 | – | – | 8 |
| 2. | माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990 | 40 | – | – | 10 |
| 3. | वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993 | 108 | – | – | 27 |
| 4. | अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993 | 40 | – | – | 10 |
| 5. | अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996 | 115 | – | – | 29 |
| 6. | श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996 | 452 | – | – | 113 |
| 7. | संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998 | 275 | – | – | 69 |
| 8. | चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख -1999 | 293 | – | – | 74 |
| 9. | आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000 | 429 | – | – | 108 |
| 10. | भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000 | 225 | – | – | 57 |
| 11. | हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ -2001 | 425 | – | – | 106 |
| 12. | भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001 | 165 | – | – | 41 |
| 13. | प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001 | 200 | – | – | 50 |
| 14. | भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002 | 741 | – | – | 185 |
| 15. | विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002 | 311 | – | – | 78 |
| 16. | विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005 | 580 | – | 290 | – |
| 17. | मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006 | 120 | – | 60 | – |

**विधि साहित्य प्रकाशन**
**(विधायी विभाग)**
**विधि और न्याय मंत्रालय**
**भारत सरकार**
**भारतीय विधि संस्थान भवन,**
**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

Cover iv

पी एल डी (पी. डी)-1-2019
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

## सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2100/-, ₹ 1300/- और ₹ 1300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

**विधि साहित्य प्रकाशन**
**(विधायी विभाग)**
**विधि और न्याय मंत्रालय**
**भारत सरकार**
**भारतीय विधि संस्थान भवन,**
**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**
**दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105**

**विक्रेता :** 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in